लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary from of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

2040 (Ai) LS—A

विषय-सूची

अंक 9—गुरुवार, 26 नवम्बर, 1964/5 अग्रहायण, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
205	अनुसूचित बैंकों द्वारा बैंक दरों में वृद्धि	741—43
206	नर्मदा घाटी योजना	743—46
207	नगर विकास योजनायें	746—49
208	एक सदस्यीय महंगाई भत्ता आयोग	749—53
209	राजस्थान नहर	754—58
210	घग्घर बाढ़ नियन्त्रण योजना	758—62
211	सरकारी बस्तियों में उद्यान व्यवस्था	762—64

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या		
212	बाढ़ से क्षति	765–66
213	मैसर्स लुई टेप्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	766
214	राज्यों के विद्युत् बोर्डों को राज-सहायता	766
215	सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर बिक्री कर	767
216	एकाधिकार आयोग	767–68
217	लड़की के पेट में कैंची	768–69
218	बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी समिति	769
219	अनाज के अतिरिक्त अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के भाव	770
220	आय पर दोहरे कराधान को रोकना	770–71
221	राज्य बैंक	771
222	'सी' बिजली घर, दिल्ली	771–72
223	गुप्त धन का पकड़ा जाना	772–73
224	विद्युत् प्रशुल्क समिति	774

अतारांकित प्रश्न संख्या		
496–क	आय-कर अधिकारियों के लिए कालीकट में क्वार्टर	774

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 9—Thursday, November 26, 1964/Agrahayana 5, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question No.	*Subject*	PAGE
205	Increase in Bank Rates by Scheduled Banks	741—43
206	Narmada Valley Scheme	743—46
207	City Development Plans	746—49
208	One-man D.A. Commission	749—53
209	Rajasthan Canal	754—58
210	Ghaggar Flood Control Scheme	758—62
211	Horticulture in Government Colonies	762—64

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question No.		
212	Loss due to Floods	765–66
213	M/S Louis Dreyfus & Co. Ltd., Calcutta	766
214	Subsidies to State Electricity Boards	766
215	Sales Tax on Transfer of Property	767
216	Monopolies Commission	767–68
217	Scissors in Girl's stomach	768–69
218	Committee on Flood Control	769
219	Prices of Essential Commodities other than Food grains	770
220	Avoidance of Double Taxation of Income	770–71
221	State Bank	771
222	'C' Power Station, Delhi	771–72
223	Seizure of Unaccounted Money	742–73
224	Power Tariff Committee	774

Unstarred Question No.		
495-A	Quarters for Income-Tax Officials at Calicut	774

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
497	औषध जांचने की प्रयोगशाला . . .	775
498	उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से एकत्र किया गया राजस्व	775
499	होटलों के रसोईघरों पर छापे . .	776—77
500	मकानों के निर्माण के लिए भविष्य निधि से ऋण .	777
501	आपातकालीन आकस्मिक सेवा	777—78
502	भाखड़ा ऋण की शर्तें	778—79
503	ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सहूलियतों पर व्यय . .	779
504	कृष्णा नदी के पुल को क्षति	779—80
505	आसाम में बाढ़ और कटाव .	780—81
506	सड़कों और पुलों के लिए विकास ऋण	781
507	बान ऋण की रुपयों में अदायगी .	782
508	योजना आयोग द्वारा निकाले गये प्रकाशन . . .	782
509	हिन्दी में भारत के गजट का मुद्रण	782—83
510	ठेकेदारों से वसूल किया गया धन . .	783
511	दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन . . .	783—84
512	भवन निर्माण सामग्री का मूल्य	784
513	सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा भत्ता . .	784
514	सोने का तस्कर व्यापार . . .	784—85
515	पंजाब के भारी और मध्यवर्ती उद्योग . .	785
516	पश्चिमी जर्मनी से सहायता . .	785—86
517	चेचक उन्मूलन . . .	786
518	गिल्लड़ रोग का सर्वेक्षण . . .	786
519	दक्षिण दिल्ली में भूमिगत जल . .	786—87
520	जाली औषधियों के कारखाने . .	787
521	बेल्जियम से सहायता . .	788
522	मध्य वर्ग के निर्वाह अंक	888
523	अफीम का अवैध व्यापार . .	788—89
524	सरकारी भवनों में आग लगने की घटनाएं . . .	789
525	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन को बेची गई जीवन बीमा निगम की सम्पत्तियां	789—90
526	अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण	790
527	तापीय बिजली स्टेशन .	790
528	जल उपकर . .	791—92
529	हट्टी स्थित सोने की खानें . . .	792
531	तृतीय पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी विनियोजन	792
532	लंकारणसर को जल-प्रदाय .	792—93
533	कर्मचारीवर्ग निरीक्षण एकक	793
534	सिंचाई और विद्युत् का समन्वयकारी बोर्ड . . .	793
535	पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य आन्दोलन	794—95

Unstarred Question No.	*Subject*	PAGES
497	Drug Testing Laboratory	775
498	Revenue collected from Central Excise in Orissa	775
499	Raids on Hotel Kitchens	776–77
500	Loans from Provident Fund for constructing Houses	777
501	Emergency Casualty Service	777–78
502	Terms of Bhakra Loan	778–79
503	Expenditure on Basic Amenities in Rural Areas	779
504	Damage to bridge on the Krishna River	779–80
505	Floods and Erosion in Assam	780–81
506	Development Credit for Roads and Bridges	781
507	Repayment of Bonn Credit in Rupees	782
508	Publications brought out by Planning Commission	782
509	Printing of Gazette of India in Hindi	782–83
510	Money recovered from contractors	783
511	Reorganisation of D.V.C.	783–84
512	Prices of Building construction Material	784
513	Education Allowance to Children of Government Employees	784
514	Gold Smuggling	784–85
515	Heavy and Medium industries in Punjab	785
516	Aid form West Germany	785–86
517	Small-pox Eradication	786
518	Survey of Tonsillitis Cases	786
519	Sub-soil water in South Delhi	786–87
520	Spurious Drug Factories	787
521	Aid from Belgium	788
522	Middle Class cost of living indices	788
523	Illicit Trade in Opium	788–89
524	Fire Incidents in Government Buildings	789
525	LIC Hodlings sold to British India Corporation	789–90
526	Loans by Scheduled Banks	790
527	Thermal Power Station	790
528	Water Cess	791–92
529	Hutti Gold Mines	792
531	Investment in Private Sector in Third Plan	792
532	Water Supply to Lunkaransar	792–93
533	Staff Inspection Unit	793
534	Coordination Board of Irrigation and Power	793
535	Health Drive in Hill Areas	794–95

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
536	टिक्केपाड़ा बांध परियोजना . .	795—96
537	योगिक अनुसन्धान संस्थायें . .	796
538	सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें .	796
539	उत्तर प्रदेश के स्वर्णकारों को रोजगार .	796—97
540	परिवार नियोजन चिकित्सालय . .	797
541	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	797
542	चाय, काफी, रबड़ और इलायची के बागानों से आय .	798
543	केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना का बढ़ाया जाना .	799
544	पौधशाला	799
545	गैर-सरकारी निगमों द्वारा पूंजी निर्माण . .	800
546	रति रोग	800—01
547	भारतीयों का औसत भोजन . .	801
548	पोलिया	802
549	नागपुर के निगम की बकाया की अदायगी . .	802
550	नई दिल्ली में सफाई	802—03
551	नर्सिंग कालेज . .	803—04
552	बिहार में हैज़ा.	804

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

(1) इण्डियन एयर लाइन्स की विमान सेवाओं का अव्यवस्थित होना. 804

श्री हरिश्चन्द्र माथुर . 804

श्री कानूनगो 805

(2) मरमागोआ पत्तन के कर्मचारियों की हड़ताल के समाचार 840

श्री स० मो० बनर्जी . 840

श्री संजीवय्या . . 840

सदन के गोष्ठी-कक्ष में भूख हड़ताल के बारे में . . . . 807—08

सभा पटल पर रखे गये पत्र 808

आगरी जाति को पिछड़ी जातियों की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने के बारे में याचिका 810

प्रतिरक्षा मंत्री के ब्रिटेन के दौरे के बारे में वक्तव्य . . . 811

श्री यशवन्तराव चव्हाण 811

केरल में खाद्य स्थिति के बारे में वक्तव्य 811

श्री दा० रा० चव्हाण 811

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक 813

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव

श्री हिम्मतसिंहका 813

श्री मोहन स्वरूप 814

Unstarred Question No.	Subject	PAGES
536	Tikkerpara Dam Project .	795–96
537	Yogic Research Institutions . . .	796
538	Irrigation and Power Projects . .	796
539	Employment to Goldsmiths in U.P.	796–97
540	Family Planning Clinics .	797
541	Primary Health Centres	797
542	Earnings form Tea, Coffee, Rubber and Cardamom Plantations	798
543	Extension of Central Government Health Scheme .	799
544	Herbarium	799
545	Capital Formation by Private Corporate Sector	800
546	Venereal Diseases . .	809–01
547	Average Indian Diet . .	801
548	Jaundice	802
549	Outstanding Payments to Corporation of Nagpur	802
550	Sanitary conditions in Delhi	802–03
551	Nursing Colleges	803–94
552	Cholera in Bihar	804

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—

(*i*) Dislocation of Indian Airlines Services— 804

Shri Harish Chandra Mathur 804

Shri Kanungo 805

(*ii*) Reported strike by workers of Mormugao Port— . 840

Shri S. M. Banerjee 840

Shri D. Sanjivayya 840

Re : Hunger strike in the Lobbies of the House 807–08

Papers laid on the Table 808

Petition *re* : Classification of Agri-community as a Backward Community

Statement *re* : Defence Minister's visit to U.K. . . 810

Shri Y. B. Chavan 811

Statement *re* : Food position in Kerala 811

Shri D.R. Chavan 811

Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill— 811

Motion to consider, as reported by Joint Committee . 813

Shri Himatsingka 813

Shri Mohan Swarup 814

विषय	पृष्ठ
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	815
श्री काशी राम गुप्त .	816
श्री नि० चं० चटर्जी .	818
श्री अ० शं० आल्वा .	819
श्रीमती सावित्री निगम	820
श्री मुथिया	821
श्री शिव नारायण	822
डा० मा० श्री० अणे	823
श्री प्र० चं० बरुआ	823
डा० सुशीला नायर	824
खण्ड 2 से 14 और 1	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
डा० सुशीला नायर	829
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक	839
विचार करने का प्रस्ताव	839
श्री जगन्नाथ राव	839
श्री कपूर सिंह	840

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (Amendment) BILL—

Subject	*Page*
Shri Harish Chandra Mathur . . .	815
Shri Kashi Ram Gupta . . .	816
Shri N. C. Chatterjee	818
Shri A. S. Alva . .	819
Shrimati Savitri Nigam . .	820
Shri Muthiah . .	821
Shri Sheo Narain .	822
Dr. M. S. Aney .	823
Shri P. C. Borooah .	823
Dr. Sushila Nayar .	824
Clauses 2 to 14 and 1 . .	829
Motion to pass, as amended . .	
Dr. Sushila Nayar	839
Representation of the People (Second Amendment) Bill—	
Motion to consider . . .	839
Shri Jaganatha Rao	839
Shri Kapur Singh	840

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंकिनीड, श्री (गुडिवाडा)

अजनप्पा, श्री (नेल्लोर)

अकम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरी)

अचल सिंह, श्री (आगरा)

अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)

अणे, डा० मा० श्री (नागपुर)

अब्दुल रशीद, बखशी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल वहीद, श्री (वैल्लोर)

अरुणाचलम, श्री (रामनाथपुरम्)

अलगेशन, श्री (चिंगलपट)

अल्वारेस, श्री (पंजिम)

आ

आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)

आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फीरोजपुर)

इम्बोचिबावा, श्री इजुकुढेक्कल (पोन्नाणि)

इलियापेरुमाल, श्री (तिरुकोइलूर)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

उ

उइके, श्री मं० गं० (मंडला)

उटिया, श्री (शहडोल)

उ—क्रमशः

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)
उमानाथ, श्री (पुद्दुकोट्टै)
उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापट)

ए

एंथनी, श्री फेंक (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय)
एरिंग, श्री डा० (नाम-निर्देशित—उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्र)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्रनगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)
कछवाय, श्री हुक्म चन्द (देवास)
कजरोलकर, श्री सादोबानारायण (बम्बई मध्य प्रदेश)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडाडी, श्री मांदे या बंदप्पा (शोलापुर)
कनकसबै, श्री (चिदाबरम्)
कन्डप्पन, श्री (तिरूचेगोड)
कपूर सिंह, सरदार (लुधियाना)
कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)
कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)
करुथिरमण, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कांबले, श्री तु० द० (लातूर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किशन वीर, श्री (सतारा)
किशिंग, श्री रिशांग (बाह्य मनीपुर)
कुन्हन, श्री प० (पालघाट)
कुमारन, श्री मे० क० चिरयिन्कील)

क—क्रमशः

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)

कृपा शंकर, श्री (डुमरिया गंज)

कृपालानी, श्री जी० भ० (अमरोहा)

कृष्ण, श्री मं० रं० पद्दपल्लि)

कृष्णपाल सिंह, श्री (जलेसर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (तिचेंदूर)

केदरिया, श्री छ० म० मांडवी)

केप्पन, श्री चेरियन (मुबात्तुपुजा)

केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)

कोया, श्री (कोजीकोड)

कोलाको, डा० (गोआ, दमन, और दीव)

कोहोर, डा० राजेन्द्र (फूलबनी)

कोजलगी, श्री हे० वी० (बलगांव)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)

खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)

खां, श्री उस्मान अली (अनन्तपुर)

खां, डा० पूर्णेन्दनारायण (उलुबेरिया)

खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)

खाडिलकर, श्री र० के० (खेड़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)

गजराज सिंह राव, श्री (गुड़गांव)

गणपति राम, श्री (मछलीशहर)

गयासुद्दीन अहमद, श्री (धुबरी)

गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)

गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण)

गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)

गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री काशीराम (अलवर)

ग—क्रमशः

गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)
गुप्त, श्री बादशाह (मनपुरी)
गुप्त, श्री शिवचरण (दिल्ली सदर)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)
गोकरन प्रसाद, श्री (मिसरिख)
गोनी, श्री अब्दुल गनी (जम्मू तथा काश्मीर)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोंडर, श्री मुत्तु (तिरुपत्तर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुड़ी)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची-पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)
चतर सिंह, श्री (चम्बा)
चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोजाबाद)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रभान सिंह, श्री (बिलासपुर)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (मयूरम)
चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथराव (रायचर)
चव्हाण, श्री दा० रा० (करोड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (नासिक)
चांडक, श्री मी० ल० (छिंदवाड़ा)
चावड़ा, श्रीमती जोहराबेन (बनस्कंठा)
चुन्नीलाल, श्री (अम्बाला)
चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)

च—क्रमशः

चौधरी, श्री चन्द्रमणिलाल (महुआ)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथरा)
चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़)
चौधरी, श्री सचीन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (ससराम)
जमीर, श्री स० चु० (नामनिर्देशित—नागालैण्ड)
जमुना देवी, श्रीमती (झबुआ)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम)
जयरामन, श्री वांडीवाश)
जाधव, श्री तुलशीदास (नांदेड़)
जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)
जेधे, श्री गुलाबलराव केशवराव (बारामती)
जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)
जैन, श्री अजित प्रसाद (तुमकुर)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)
ज्योतिषी, श्री ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री जोगेगन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

त

तन सिंह, श्री (बाड़मेर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार)
तिवारी, श्री कमलनाथ (बगहा)
तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुला राम, श्री (घाटमपुर)
तेवर, श्री बरोना (पंजानूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)
त्रिवेदी, श्री उ० मू० (मन्दसौर)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)
थेंगल, श्री नल्लाकोया (नामनिर्देशित—लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह)
थेदगोंडर, श्री गोपालस्वामी (नागपट्टिनम्)

द

दफले, श्री (मिरज)
दलजीत सिंह, श्री (उना)
दशरथ देव, श्री (त्रिपुरापुर्व)
दांडेकर, श्री नारायण (गोंडा)
दाजी, श्री होमी (इंदौर)
दास, श्री (तिरुपति)
दास, श्री निगम तारा (जमुई)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, डा० मनमोहन (औग्रासम)
दास, श्री सुधांशु भूषण (डायमन्द हार्बर)
दिगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)
दिनेश सिंह, श्री (सालोन)
दिक्षित, श्री गो० ना० (इटावा)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर उत्तर)
दरै, श्री काशीनाथ (अरूप्पुकोट्टै)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री विजयभूषण (रायगढ़)
देवभंज, श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)
देशमुख, डा० पंजाब राव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री भा० द० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्री शिवाजी शंकरराव (परभणी)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)
दोराइ, श्री काशीनाथ (अरुप्पुकोट्टई)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)
धवन, श्री (लखनऊ)
धूलेश्वर मीन, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकंठा)
नम्बियार, श्री आनन्द (तिरूचिरापल्लि)
नाथपाई, श्री (राजापुर)
नायर, श्री दे० जी० (पंचमहल)
नायक, श्री महेश्वर (मयूरगंज)
नायक, श्री मोहन (भजनगर)
नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन (अम्बलपुजा)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)
निगम, श्रीमती सावित्री (बांदा)
निरंजन लाल, श्री (नाम-निर्देशित--अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह)
नेसामनी, श्री (नागरकोइल)

प

पंत, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)
पटनायक, श्री किशन (सम्बलपुर)
पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)
पटेल, श्री छोटूभाई (भड़ौंच)
पटेल, श्री नानूभाई नि० (बुलसार)
पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (पाटन)
पटेल, श्री मानसिंह पु० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पट्टाभिरामन, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)
पन्नालाल, श्री (अकबरपुर)

प—क्रमशः

परमशिवन, श्री० स० क० (इरोड)

पराधी, श्री भोलाराम (बालाघाट)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाटा)

पाटिल, श्री जु० शं० (जलगांव)

पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)

पाटिल, श्री देवराम शिवराम (यवतमाल)

पाटिल, श्री मा० म० (रामटेक)

पाटिल, श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)

पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)

पाटिल, श्री स० ब० (बीजापुर—दक्षिण)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई—दक्षिण)

पाण्डेय, श्री रा० शि० (गुना)

पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (विसलेमपुर)

पाण्डेय, श्री सरजू (रसड़ा)

पाराशर, श्री (शिवपुरी)

पालीवाल, श्री टीकाराम (हिंडोन)

पिल्ले, श्री नटराज (त्रिवेन्द्रम)

पुरी, श्री दे० द० (कैथल)

पृथवीराज, श्री (दौसा)

पोट्टेकाट्ट, श्री (टेलीचेरी)

प्रताप सिंह, श्री (सरमूर)

प्रभाकर, श्री नवल (दिल्ली—करोलबाग)

फ

फिरोडिया, श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)

बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)

बड़े, श्री रामचन्द्र (खरगोन)

बदरुद्दजा, श्री (मुर्शिदाबाद)

बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)

बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्लचन्द्र (शिवसागर).

फ––क्रमशः

बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री प० चं० (कूच-बिहार)

बसन्त कुमारी, श्रीमती (कैसरगंज)

बसवन्त, सोनुभाई दागडू (थाना)

बसुमतारी, श्री ध० (ग्वालपाड़ा)

बावलीवाल, श्री (दुर्ग)

ब

बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)

बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)

बालकृष्ण सिंह, श्री (चन्दौसी)

बालकृष्णन, श्री (कोइलपट्टी)

बाल्मीकी, श्री क० ला० (खुर्जा)

बासप्पा, श्री (तिपतुर)

बिष्ट, श्री जं० ब० सिंह (अलमोड़ा)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा-पश्चिम)

बूटा सिंह, श्री (मोगा)

बृजवासी लाल, श्री (फैजाबाद)

बृजराज सिंह, श्री (बरेली)

बेजराज सिंह––कोटा, श्री (झालावाड़)

बेसरा, श्री स० चं० (दुमका)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित––आंग्ल-भारतीय)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्मप्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)

भगवती, श्री वि० चं० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजी (खामगांव)

भ--क्रमशः

भट्टाचार्य (श्री च० का० (रायगंज)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर)
भवानी, श्री लखमू (बस्तर)
भानुप्रकाश सिंह, श्री (रायगढ़)
भार्गव, पंडित मु० बि० ला० (अजमेर)
भील, श्री प० ह० (दोहद)

म

मण्डल, श्री जियालाल (खगरिया)
मण्डल, डा० प० (विष्णुपुर)
मण्डल, श्री यमुना प्रसाद (जयनगर)
मंत्री, श्री द्वारका दास (भीर)
मच्छराजू, श्री प० (नरसीपटनम)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री (कोट्टयम)
मेनन, श्री (दार्जिलिंग)
मनोहरन, श्री (मद्रास-दक्षिण)
मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)
मरुथैया, श्री (मेलर)
मलाइछामी, श्री (पेरियाकुलम)
मलिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)
मल्लया, श्री उ० श्री० (उदोपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीतलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रू० (राजकोट)
मसूरिया, दीन, श्री (चैल)
महताब, श्री हरे कृष्ण (अंगुल)
महतो, श्री भंजहरि (पुरुलिया)
महन्ती, श्री गोकुलानन्द (बालासोर)
महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)
महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलनगीर)
महिषि, डा० सरोजिनी (धारवाड़--उत्तर)

म--क्रमशः

महीड़ा, श्री नरेन्द्र सिंह (ग्रानन्द)
माते, श्री कुरे (टीकमगढ़)
माथुर, श्री शिवचरण (भीलवाड़ा)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)
मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)
मिनीमाता, श्रीमती ग्रागमदास गुरु (बालोदा बाजार)
मिर्जा, श्री बाकर ग्रली (वारंगल)
मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)
मिश्र, श्री विभुधेन्द्र (पुरी)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)
मिश्र, श्री महेश दत्त (खंडवा)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता--मध्य)
मुकाने, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव (भिवाण्डि)
मुज्जफ्फर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवली)
मुन्जनी, श्री डविड (लोहरदगा)
मूरमू, श्री सरकार (बलरघाट)
मुरली मनोहर, श्री (बलिया)
मुरारका, श्री (झूंझनू)
मुसाफिर, श्री गुरमुख सिंह (ग्रमृतसर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)
मुहम्मद, युसूफ, श्री (सीवन)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० सू० (ग्रमालपुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (ग्रनकापल्ली)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई--उत्तर)
मेनन, श्री प० गो० (मकुन्दपुरम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री ज० रा० (पाली)

म--क्रमशः

मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)
मेहदी, श्री स० अ० (रामपुर)
मेहरोत्रा, श्री ब्र० वि० (बिल्हौर)
मेंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)
मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)
मोरे, डा० कु० ल० (हतकंगले)
मोरे, श्री शं० शा० (पूना)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धारावाड़--दक्षिण)
मौर्य, श्री बु० प्रि० (अलीगढ़)

य

यशपाल सिंह, श्री (कैराना)
याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यादव, श्री राम हरख (आजमगढ़)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)
रंगराव, श्री र० व० गो० कु० (चीपुरुपल्लि)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुरमैया, श्री को० (गुंटूर)
रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रतन लाल, श्री (बंसवारा)
रांउत, श्री भोला (बतिया)
राघवन, श्री अ० व० (बडागरा)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजा, चित्तरंजन (जूनागढ़)
राजाराम, श्री (कृष्णगिरि)

स--क्रमशः

राजू, श्री द० बलराम (नरसापुर)
राजू, डा० द० स० (राजामंडी)
राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)
राणे, श्री शिवरामरंगो (बुलडाना)
राम, श्री तु० (सोनबरसा)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)
रामधनीदास, श्री (नवादा)
राम नाथन चेट्टियार, श्री (करूर)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलवर्गा)
रामभद्रन, श्री (कडलूर)
राम सिंह, श्री (बहराइच)
राम सुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)
रामसेवक, श्री (जालोन)
रामस्वरूप, श्री (राबर्ट्सगंज)
रामस्वामी, श्री व० क० (नामक्कल)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सलेम)
रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)
राय, डा० सारादीश (कटवा) :
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)
राव, श्री जगन्नाथ (नौरंगपुर)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (महबूबनगर)
राव, श्री रमापति (करीमनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)
राव, श्री हनुमन्त (मदक)
रावनदले, श्री (धूलिया)

रेड्डियार, श्री वेंकट सुब्बा (तिन्डीवनम्)
रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री क० च० (चिकबल्लापुर)
रेड्डी, श्री नरसिम्हा (राजकोट)
रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)
रेड्डी, डा० बे० गोपाल (कावलि)
रेड्डी, श्री यलमन्दा (मारकापुर)
रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)
रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दपुर)

ल

लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्भम)
लक्ष्मी दास, श्री (मिरयालगुडा)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)
ललित सेन, श्री (मण्डी)
लहरी सिंह, श्री (रोहतक)
लाखन दास, चौधरी (शाहजहांपुर)
लास्कर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)
लोहिया, डा० राम मनोहर (फरुखाबाद)

व

बर्मा, श्री कु० कृ० (सुलतानपुर)
बर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
बर्मा, श्री मा० ला० (चित्तौड़गढ़)
बर्मा, श्री रवीन्द्र (तिरुवल्ला)
बर्मा, श्री सूरजमल (सीतापुर)
वाडीवा, श्री (स्योनी)
वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदु (नानदरबार)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (गोंडिया)
विजय आनन्द, श्री (विशाखापटनम)

व—क्रमशः

विजय राजे, श्रीमती (छतरा)

विद्यालंकार, श्री अमर नाथ (होशियारपुर)

विमला देवी, श्रीमती (एलुरू)

विश्राम प्रसाद, श्री (लालगंज)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)

वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)

वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)

वेंकटा सुब्बय्या, श्री पेंदेकान्ति (अडोनी)

वेंकैया, श्री कोल्ला (तेनालि)

वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास, (साबरमती)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरय्या, श्री (मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)

शर्मा, श्री अ० प० (बक्सर)

शर्मा, श्री कृ० चं० (सरधना)

शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)

शशांक मंजरी, श्रीमती (पालामऊ)

शशिरंजन, श्री (पपरी)

शामनाथ, श्री (दिल्ली-चांदनी चौक)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)

शास्त्री, श्री रामानन्द (रामसंचीघाट)

शास्त्री, श्री लालबहादुर (इलाहाबाद)

शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)

शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शिकरे, श्री (मरमागोआ)

शिन्दे, श्री अन्ना साहेब (कोपरगांव)

शिवनंजप्पा, श्री (मुड्या)

शिव नारायण, श्री (बांसी)

श—क्रमशः

शिव प्रधासन, श्री (पांडीचेरी)
शिवशंकरन, श्री (श्रीपेरुमबुदूर)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमन्द)
श्यामकुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)
श्रीनारायण दास, (श्री दरभंगा)
श्रीनिवासन , डा० (मद्रास उत्तर)

स

सत्यनारायण, श्री बिड्डिका (पार्वतीपुरम)
सत्य भामा देवी, श्रीमती (जहानाबाद)
सनजी रूपजी, श्री (नामनिर्देशित—दादरा तथा नगर हवेली)
समनानी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
सर्राफ, श्री श्यामलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
सहगल, श्री अ० सिं० (जंजगीर)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री स० चं० (तामलक)
साहा, डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)
साहू, डा० रामेश्वर (रोसेरा)
सिंघवी, डा० लक्ष्मी मल्ल (जोधपुर)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)
सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री कृ० का० (महाराजगंज)
सिंह, श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)
सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर)
सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)
सिंह, श्री युवराजदत्त (शाहाबाद)
सिंह, श्री य० ना० (सुन्दरगढ़)
सिंह, श्री राम शेखर प्रसाद (छप्परा)
सिंह, श्री स० टी० (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिद्धय्या, श्री (चामराजनगर)

स—क्रमशः

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिद्धान्ती, श्री जगदेव सिंह (झज्जर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्रीमती राजदुलारी (पटना)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्बारामन, श्री (मदुरै)
सुब्रह्मण्यम, श्री चि० (पोल्लाची)
सुब्रह्मण्यम, श्री टेंकुर (बेल्लारी)
सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)
सेझियान, श्री ईरा (पैरम्बलूर)
सेठ, श्री बिशनचन्द्र (एटा)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री फणिगोपाल (पूर्निया)
सेन, डा० रानेन (कलकत्ता-पूर्व)
सोनावने, श्री (पंढरपुर)
सोय, श्री हरिचरण (सिंहभूम)
सोलंकी, श्री प्रवीणसिंह, नटवरसिंह (कैरा)
सौंदरम रामचन्द्रन, श्रीमती (डिंडिगल)
स्वर्णसिंह, श्री (जलन्धर)
स्वामी, श्री मडलावेंकट (मसुलीपटनम)
स्वामी, श्री म० ना० (ओंगोल)
स्वामी, श्री म० प० (टंकासी)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कोप्पल)
स्वैल, श्री ज० गि० (आसाम-स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)
हक, श्री मु० मो० (अकोला)
हजरनवीस, श्री रं० म० (भंडारा)

ह—क्रमश:

हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हनुमन्तैया, श्री (बंगलौर नगर)
हरवानी. श्री अन्सार (बिसौली)
हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोण्डा)
हिम्मतसिंहका, श्री (कच्छ)
हुक्म सिंह, सरदार (पटियाला)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

सरदार हुकम सिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्ति राव

सभापति तालिका

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री तिरुमल राव

श्री खाडिलकर

डा० सरोजिनी महिषी

श्री सोनावने

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री —श्री लाल बहादुर शास्त्री
गृह-कार्य मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
वित्त मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी
सूचना और प्रसारण मंत्री—श्रीमती इंदिरा गांधी
वैदेशिक कार्य मंत्री —श्री स्वर्ण सिंह
रेलवे मंत्री—श्री स० का० पाटिल
विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री —श्री अ० कु० सेन
प्रतिरक्षा मंत्री—श्री यशवन्तराव चह्वाण
इस्पात और खान मंत्री—श्री संजीव रेड्डी
खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री चि० सुब्रह्मण्यम
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री—श्री हुमायून् कबिर
संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह
शिक्षा मंत्री—श्री मु० क० चागला
श्रम और रोजगार मंत्री—श्री संजीवय्या
पुनर्वास मंत्री—श्री महावीर त्यागी

राज्य-मंत्री

निर्माण और आवास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना
वाणिज्य मंत्री—श्री मनुभाई शाह
असैनिक उड्डयन मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो
परिवहन मंत्री—श्री राज बहादुर
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सु० कु० डे
स्वास्थ्य मंत्री—डा० सुशीला नायर
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री जयसुखलाल हाथी
वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा प्रविधिक विकास मंत्री—श्री रघुरामैया
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री अलगेशन
रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री—डा० राम सुभग सिंह
शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री—श्री हजरनवीस
सिंचाई और विद्युत् मंत्री—डा० कु० ल० राव
योजना मंत्री—श्री ब० रा० भगत
प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री—श्री अ० म० थामस
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री—श्री त्रि० ना० सिंह

उपमंत्री

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री—डा० म० मो० दास

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री— श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दा० रा० चह्वाण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री— श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

सामजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री—श्रीमती चन्द्रशेखर

विधि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री जगन्नाथ राव

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाम नाथ

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—डा० द० स० राजू

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दिनेश सिंह

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री विभुधेन्द्र मिश्र

संचार विभाग में उपमंत्री—श्री भगवती

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री—श्री श्यामधर मिश्र

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री—श्री प्रकाशचन्द्र सेठी

श्रम और रोज़गार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्री भक्त दर्शन

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री पू० श० नास्कर

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रामेश्वर साहू

सभा-सचिव

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव—श्री शिन्दे

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री डा० एरिंग

सिचाई और विद्युत् मंत्री के सभा सचिव —श्री सै० अ० मेहदी

प्रधान मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित सेन

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री स० चु० जमीर

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचिव—श्री तिम्मय्या ।

तृतीय माला, खंड 35, अंक 9 — गुरुवार, 26 नवम्बर 1964/5 अग्रहायण/1886 (शक)
Third Series, Vol. XXXV No. 9 — Thursday Nov. 26, 1964/Agrahayana 5, 1886 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

दसवां सत्र
Tenth Session

खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXV. contains Nos. 1—10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मूल्य : एक रुपया — Price : One Rupee

लोक-सभा

LOK-SABHA

गुरुवार, 26 नवम्बर, 1964/5 अग्रहायण, 1886 (शक)

Thursday, November 26, 1964/Agrahayana 5, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अनुसूचित बैंकों द्वारा बैंक दरों में वृद्धि

+

*205. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी अनुसूचित बैंकों ने 1 अक्तूबर, 1964 से जमा राशि पर ब्याज की दरों को बढ़ाने के निर्णय को क्रियान्वित कर दिया है ; और

(ख) जमा राशि पर बढ़ी हुई दरों की इस नई योजना के प्रति विनियोजकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि लम्बी अवधि के लिए जमा की जाने वाली रकमों के लिए ब्याज की नयी दरें ऊंची हैं, इसलिए आशा है कि जमाकर्ताओं की प्रतिक्रिया अनुकूल ही रहेगी ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब से यह नई योजना लागू की गई तब से जमा की गई रक़मों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है ?

श्री ब० रा० भगत : अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

2040 (ai) LSD—1.

श्री रा० गि० दुबे : क्या इन नये अनुदेशों की दृष्टि में स्टेट बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोई नई योजना चलाना चाहता है जिससे कि वहां से धनराशियां इकट्ठी की जा सकें ?

श्री ब० रा० भगत : इस प्रकार की योजना के अतिरिक्त भी स्टेट बैंक के कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं जिनके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के बैंकों की शाखाओं का विस्तार होगा और ये कार्यक्रम चल भी रहे हैं ।

Shri Yashpal Singh: Have the State Bank and the other banks implemented these decisions?

Shri B. R. Bhagat: Yes, Sir. All have implemented these decisions.

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या अक्तूबर, 1964 से पहले की बैंकों में जमा की गई राशियों पर ब्याज बढ़ाया जाएगा ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं। इस योजना के लागू होने से पहले जमा की गई राशियों पर ब्याज की दरें नहीं बढ़ेंगी ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या भारत के रिज़र्व बैंक ने ऐसी कोई व्यवस्था की है जिससे कि अनुसूचित बैंक अनजाने में ब्याज की अपनी दरों को उस हिसाब से न बढ़ायें जिस हिसाब से जमा की दरें बढ़ी हैं ?

श्री ब० रा० भगत : रिज़र्व बैंक का बैंकिंग विभाग बहुत ही सतर्क है और इन बातों की छानबीन करता है ।

Shri Kashi Ram Gupta: Will not the increase in bank rates result in the fact that the Co-operative banks shall have to increase their rates per compulsion, and if so, to what extent has the relaxation been given to them for increasing their rates?

Shri B. R. Bhagat: This is in their interest as their deposits *will* increase with an increase in their rates.

श्री काशी राम गुप्त : श्रीमान्, मैं इस उत्तर को समझ नहीं सका ।

Mr. Speaker: The hon. Minister has said that an increase in their rates is a healthy sign, because their deposits will increase with an increase in their rates.

श्री जोकीम आल्वा : क्या हम बैंक ऑव इंग्लैण्ड द्वारा दरें बढ़ाये जाने का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं, और यदि हां, तो क्या उनकी दरों की वृद्धि का हमारे बैंक की दरों से कोई सम्बन्ध है ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : बैंक जमा की गई रकमों पर किस दर से ब्याज देते हैं और ऋण दी गई राशियों पर किस दर से ब्याज लेते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : घोषित की गई दरों के हिसाब से ही इन बातों का नियामन होगा ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या उत्तर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : नये आदेश के अनुसार इसका नियामन होगा ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : वर्तमान दरें क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह किसी भी बैंक में जाकर मालूम कर सकते हैं ।

नर्मदा घाटी योजना

\+

*206. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मानसिंह पु० पटेल :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री उइके :
श्री राधे लाल व्यास :
श्री बालनाथ सिंह :
श्री रा० स० तिवारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश तथा गुजरात में पानी के उपयोग के लिये नर्मदा घाटी के बेसिन के विकास के बारे में हुई प्रगति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) नर्मदा घाटी की विकास योजना को शीघ्रतया आरम्भ करने में क्या रुकावटें हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) मध्य प्रदेश और गुजरात की राज्य सरकारों की ओर से केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने नर्मदा जल-संसाधनों के विकास के लिये गवेषणा कर ली है । तवा, बार्गी, पुनासा और ब्रड़ौच की परियोजना रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं और राज्य सरकारों को अगली कार्रवाई के लिये भेज दी गई हैं । इन में से, तवा और बड़ौच सिंचाई योजनाएं कार्यान्विनार्थ स्वीकृत हो चुकी हैं । पुनासा परियोजना तीसरी योजना में सम्मिलित है । इसकी परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी परीक्षण हो रहा है ।

गुजरात सरकार ने अब बताया है कि नर्मदा के पानी के बेहतर और अनुकूलतम उपयोग के लिये बड़ौच परियोजना में और सुधार लाया जा सकता है । इस वैकल्पिक स्कीम का भी अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) नर्मदा घाटी की विकास योजनाओं के शीघ्र कार्यान्विन में केवल एक बाधा यह है कि नर्मदा जल संसाधनों के अनुकूलतम विकास के लिये गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों में सहमति नहीं हो सकी है । इस बारे में, भारत सरकार ने उड़ीसा के राज्यपाल डा० ए० एन० खोसला की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : नर्मदा घाटी स्कीम के विकास के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश तथा गुजरात सरकारों के बीच क्या विशिष्ट कठिनाइयां अथवा असहमतियां हैं, और डा० खोसला की इस समिति ने उन कठिनाइयों को हल करने में क्या प्रगति की है ?

डा० कु० ल० राव : मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि मुख्य कठिनाई नर्मदा घाटी स्कीम के अन्तर्गत पानी के बटवारे की नहीं, जो वस्तुतः बहुत कठिन स्थिति पैदा करती। कठिनाई यह पैदा हुई है कि गुजरात राज्य स्थित नौगाम में बांध की ऊंचाई परेशानी पैदा कर रही है। इस कठिनाई को हल करने के लिए हमने डा० खोसला की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की है। आशा की जाती है कि यह समिति कहीं जनवरी के महीने में अपनी रिपोर्ट देगी।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस समिति के क्या निर्देश-पद है और क्या सम्बद्ध सरकारों ने उक्त समिति के निश्चय पर चलने की सहमति दी है, अथवा क्या वे पहले इसकी जांच करेंगे और बाद में यह निश्चय करेंगे कि समिति की रिपोर्ट उन्हें स्वीकार्य होगी अथवा नहीं ? क्या इसका पंचाट का-सा रूप है अथवा क्या यह प्रशासनिक समिति की रिपोर्ट होगी ?

डा० कु० ल० राव : समिति के निदश-पद बिल्कुल व्यापक हैं। उन्हें नर्मदा घाटी के लिए मास्टर प्लान तैयार करना है और यह भी बताना है कि किन परियोजनाओं को पहले आरम्भ किया जाय तथा गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच किस प्रकार लागत और लाभ का बटवारा होगा।

माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैं यह बतला दूं कि इस बात की आशा हैं कि इस समिति की उपपत्तियों को सम्बद्ध सरकारें शीघ्रतः स्वीकार करेंगी क्योंकि इस समिति की नियुक्ति से पहले हमने दोनों राज्यों के साथ इस विषय पर विचार किया था और वे दोनों निर्देश-पद, कार्यकर्त्ता-वर्ग तथा हरेक बात से सहमत हैं। इसलिए मैं साधारणरूप से यह आशा करता हूं कि उक्त समिति की सिफारिशें, सम्बद्ध राज्यों द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तनों सहित, स्वीकार्य होंगी।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं खासतौर पर यह जानना चाहता था कि क्या उन सरकारों ने पहले से ही इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना मान लिया है अथवा नहीं ?

डा० कु० ल० राव : मैंने भी इसी बात का उत्तर दिया है। इस प्रकार का कोई विशिष्ट करार नहीं हुआ है, किन्तु चूंकि इन दोनों राज्यों से हर एक स्तर पर निर्देश-पदों तथा समिति से सम्बद्ध अन्य बातों के विषय में मशविरा किया गया है, अतः इस प्रकार की आशा करना स्वाभाविक है कि इस समिति की उपपत्तियां दोनों राज्य-सरकारों को स्वीकार्य होंगी।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या सरकार नर्मदा घाटी परियोजना के महत्व से अवगत है क्योंकि गुजरात के लिए यह परमावश्यक है ? राज्यों का इस मामले में मतभेद है। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच करार होने में अभी कितना समय लगेगा ताकि यह महत्वपूर्ण परियोजना चालू हो जाय ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य की बात सही है। सरकार को नर्मदा नदी के विकास के परम महत्व का पूरा-पूरा ध्यान है क्योंकि यह एक ऐसी नदी है जिससे हमें सिंचाई सम्बन्धी तथा विद्युत् सम्बन्धी लाभ हो सकता है। जैसा कि मैं बता भी चुका हूं कि हमें डा० खोसला की समिति की रिपोर्ट जनवरी में प्राप्त होगी और तभी हमारे लिए यह संभव हो सकेगा कि हम उनकी सिफारिशों पर अमल करने की कार्यवाही करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: If the report is available by January, when will the work be taken up; will the Central Govt. co-operate in this, and if so, by how much?

डा० कु० ल० राव : हमें ज्योंही समिति की उपपत्तियों का पता चलेगा, और ज्योंही राज्यों के बीच अन्तिम करार होने की, जो मैं आशा करता हूं शीघ्रतः होगा, बात भी पूरी हो जाएगी, तो हम तत्काल पुनासा और बड़ौच (नौगाम) की परियोजनाओं का काम आरम्भ करेंगे क्योंकि इन परियोजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है और इनके लिये तृतीय योजना में उपबन्ध भी किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते थे कि क्या केन्द्र का भी अंशदान रहेगा ।

डा० कु० ल० राव : इन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय ऋण से ही सहायता मिलती है ।

श्री चन्द्रभान सिंह : इस परियोजना में देर होने के कारण राष्ट्रीय जनशक्ति तथा खाद्य-उत्पादन में कितनी हानि हुई है ?

डा० कु० ल० राव : मैं बतला चुका हूं कि इस नदी पर हम काफी अच्छा विकास-कार्य कर सकते हैं । इस परियोजना से हम 70 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकते हैं तथा लगभग 15 लाख किलोवाट बिजली पैदा कर सकते हैं । इन बड़ी-बड़ी मात्राओं को दृष्टि में रखते हुए यह कहना कठिन है कि कितनी हानि हुई । मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस परियोजना के न चलने के कारण देश को आर्थिक हानि हो रही है ।

श्री अ० सिं० सहगल : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस करार पर, जो पहले हुआ था, अपने विचार भेज दिये थे ताकि सरकार अथवा नियुक्त की जाने वाली समिति उन पर विचार करे ?

डा० कु० ल० राव : डा० खोसला वाली समिति की नियुक्ति से पहले हमने इस पर विचार-विमर्श किया था ताकि हम शीघ्रता से किसी करार पर पहुंच सकें । हमने दो बार इस मामले पर पूर्ण रूप से विचार किया था और हमारा आपसी समझौता भी हुआ था किन्तु वह पूर्ण करार नहीं था । इसीलिए हमने सोचा कि इस समस्या को हल करने का यही एक बढ़िया रास्ता है कि इसे समिति को सौंपा जाय । सितम्बर में इस समिति की नियुक्ति हुई थी और आशा की जाती है कि वह जनवरी में अपनी रिपोर्ट भेज देगी ।

श्रीमती सावित्री निगम : उक्त विवरण में यह बताया गया है कि गुजरात सरकार ने यह बताया है कि बड़ौच परियोजना में और भी परिवर्तन किया जा सकता है जिससे कि नर्मदा नदी के जल का श्रेष्ठतर ढंग से तथा अधिकतम उपयोग हो सके । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या रुख है और मध्य प्रदेश सरकार--जो इसमें भागीदार है--की प्रतिक्रिया को छोड़ कर क्या यह मांग वास्तविक है ?

डा० कु० ल० राव : भारत सरकार की दिलचस्पी इसी बात में है कि नर्मदा नदी परियोजना का विकास श्रेष्ठतम ढंग से हो । इसी सिलसिले में हमने एक समिति नियुक्त की है और अब हम उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

Shri Sheo Narain: Why does not the Central Government nationalise irrigation in view of the food crisis in the country, and why does not it take full powers with regard to it? What is the Government's reaction to it?

Mr. Speaker: This is a matter of opinion, let the Government consider it first.

श्री बड़े : मध्य प्रदेश तथा गुजरात सरकारों का कोई समझौता न करने में क्या बाधा आ रही है ? क्या यह कठिनाई उनके अंशदान के भाग के सम्बन्ध में है अथवा इस परियोजना द्वारा पैदा की जाने वाली बिजली के वितरण के सम्बन्ध में है ?

डा० कु० ल० राव : जैसा मैं बतला चुका हूं, नौगाम स्थित बांध की ऊंचाई के कारण ही मुख्यतः यह मतभेद हो रहा है। अन्यथा, दोनों राज्यों के बीच और कोई बड़ा मतभेद नहीं।

नगर विकास योजनायें

+

*207. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने राज्य सरकारों को 1965–66 के लिए नगर विकास योजनाएं तैयार करने का काम शुरू करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने राज्यों ने ऐसा करने के बारे में अपनी सहमति प्रकट की है ;

(ग) इन नगर योजनाओं के अन्तर्गत क्या-क्या मुख्य बातें होंगी ; और

(घ) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्र राज्यों को किस प्रकार की सहायता देगा ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

14 राज्यों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं और उन में से कई राज्यों ने प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया है ।

इन योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य बातें होंगी :—

(1) भूमि अवाप्ति तथा विकास

(2) नगर जल-प्रदाय, सफाई तथा नालियां

(3) आवास, विशेषतया औद्योगिक आवास, तथा अल्प आय आवास

(4) गन्दी बस्ती सफाई तथा सुधार और मेहतरों के क्वार्टरों की व्यवस्था

(5) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा जिसमें माध्यमिक स्तर व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण सम्मिलित हैं (राज्य योजना के अनुसार)

(6) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें (राज्य योजना के अनुसार)

(7) प्रौढ़ साक्षरता तथा शिक्षा

(8) नगर सीमा में पड़ने वाले ग्राम-क्षेत्रों का विकास (राज्य योजना के अनुसार)

विकास योजनाएं तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। योजनाओं को चलाने के लिये भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता गन्दी बस्ती की सफाई, आवास, जल-प्रदाय आदि जैसी विशिष्ट परियोजनाओं के अधीन है ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : विवरण के अंतिम पैरा में कहा गया है :

"विकास योजनाएं तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।"

क्या हम इससे यही समझें कि विकास योजनाओं की तैयारी पर जो व्यय होगा वह संभवतः इतना अधिक होगा कि राज्य सरकारें अपने संसाधनों से उसे पूरा नहीं कर पाएंगी और उन्हें केन्द्रीय सरकार से सहायता लेनी पड़ेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : राज्य सरकारों के पास हमेशा धन की कमी रहती है, और यही अन्य लोगों के बारे में भी है। यदि उन्हें इन विकास योजनाओं की तैयारी के लिए कोई प्रोत्साहन मिले तो वे संभवतः अधिक शीघ्रता से काम आरम्भ करेंगे।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या गहन विकास के लिये देश में कुछ एक कृषि-औद्योगिक कस्बों को भी इस स्कीम में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत ऐसे कितने कस्बे आएंगे और उनके विकास पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

डा० सुशीला नायर : मुझे कृषि-औद्योगिक कस्बों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं। इस स्कीम से जो भी निर्दिष्ट है वह यह है कि योजना आयोग की एक चिट्ठी राज्य सरकारों के पास गई थी जिसमें उन्हें बताया गया था कि वे बड़े बड़े क़स्बों सम्बन्धी सर्वोपरि विकास-योजनाएं तैयार कर लें ताकि गन्दी बस्ती सफाई, जल-प्रदाय अथवा भूमि-अवाप्ति, आदि जैसी अन्य अनेक स्कीमों को उन्हीं सर्वोपरि विकास योजनाओं में सम्मिलित किया जाए ताकि वे अधिक अच्छे कस्बे बन सकें।

Shri Y. S. Chaudhary: Whether in view of the food shortage as also in the context of welfare of villages the Government have any proposal of diverting all the money towards the welfare of villages which was otherwise to be spent on the development of small or big cities?

Dr. Sushila Nayar: Development plan concerns the development of one or two cities, and regional development is also there under which composite development schemes pertaining to both villages and cities are considered.

Shri Onkarlal Berwa: Whether there is any other suggestion from the State Governments regarding any other plan besides the plans which are already there?

Dr. Sushila Nayar: I could not follow this quetion. There are various plans introduced by the several Ministries and they are going on, The Planning Commission had written to the State Governments in 1962 with regard to the preparation of an overall development Plan for towns by amalgamating all the plans into a Composite Plan. Since there has not been much progress, the Government are paying their attention to this question.

Shri Achal Singh: What would be the main features of this city development plan?

Mr. Speaker: Is it covered by the Statement?

Dr. Sushila Nayar: All this information has been furnished in the Statement. Things vary in various States. Emphasis shifts according to the importance of questions pertaining to various States.

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से यह पता चलता है कि विकास योजनाओं में मुख्यतः गन्दी बस्ती सफाई का काम होगा। क्या अशोक कु० सेन आयोग द्वारा घोषित गन्दी बस्ती क्षेत्र के छः शहरों को केन्द्र ने कुछ धनराशि देने का वायदा किया था और यदि हां, तो 1964–65 और 1963–64 के लिए उक्त शहरों सम्बन्धी गन्दी बस्ती सफाई योजनाओं––जिनमें कानपुर भी शामिल है––के हित राज्य सरकारों को कितनी धनराशि दी गई है?

डा० सुशीला नायर : मुझे उस धनराशि का ज्ञान नहीं। यदि आवास मंत्री से यह प्रश्न पूछा जाय तो वे इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

श्री रंगा : अन्यथा भी, उनके पास यह जानकारी नहीं होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया हमें परित्राण दीजिए। विवरण की एक मद है गन्दी बस्ती सफाई और सुधार। आपको याद होगा कि इसी विषय पर इस सभा में चर्चा हुई थी। और उस समय के गृह-मंत्री ने तब उस विवाद का उत्तर दिया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त पांच या छः राज्यों को, जिन में स्थित कई क्षेत्रों को अशोक सेन समिति द्वारा गन्दी बस्ती क्षेत्र घोषित किया गया था, कितनी राशि दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के पास इस समय कोई जानकारी नहीं। यदि माननीय सदस्य इसके लिए अलग से प्रश्न की सूचना दें तो मैं जानकारी प्राप्त कराऊंगा।

श्री शिवनंजप्पा : क्या बृहत्तर बंगलौर के लिए भी इस में कोई योजना सम्मिलित की गई है, और यदि हां, तो इस अभिप्राय के लिये किस प्रकार की और कितनी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है?

डा० सुशीला नायर : मैं पहले ही बता चुकी हूं कि इन विकास योजनाओं के लिए इस समय कोई भी विशेष वित्तीय सहायता नहीं है। इस समय आवास, जल-प्रदाय, सड़क-निर्माण आदि जैसी अनेक विशिष्ट योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था की गई है और अब उन योजनाओं को सर्वोपरि विकास योजनाओं से संलग्न करने की ही बात है। फिर भी हम इस अभिप्राय के लिए कुछ धनराशि अलग से रखने की कोशिश कर रहे हैं। यदि योजना आयोग के साथ हमारी बातचीत सफल हुई और हमें अभीष्ट धनराशि प्राप्त हुई तो हम उनकी सहायता भी कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री स० मो० बनर्जी ने गन्दी बस्ती सफाई और सुधार के बारे में पूछा था, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, मेरा विचार है कि यह विषय स्वास्थ्य मंत्रालय का है।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : गन्दी बस्ती सफाई तो मेरे विभाग का ही एक भाग है। यदि मुझ से पृथक् प्रश्न किया जाय तो मैं निश्चित रूपसे उसका उत्तर दूंगा।

Shri Yashpal Singh: Whether the Government are cautious enough as not to requisition the rural cultivable lands while developing the cities?

Dr. Sushila Nayar: Country and Town Planning Bodies have been cautioned as to bear in mind the particular utilisation of various plots of land while they undertake overall planning.

Shri Yashpal Singh: Villages are being uprooted for settling cities and nothing is being mentioned about them.

श्री बड़े : व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री ने बताया कि गन्दी बस्ती सफाई और किसी मंत्री का दायित्व है। किन्तु विवरण की मुख्य बातों से यही पता चलता है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत गन्दी बस्ती सफाई तथा सुधार और मेहतरों के क्वार्टरों की व्यवस्था शामिल है। अतः इस विवरण के अनुसार गन्दी बस्ती सफाई के जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनका उत्तर निश्चय ही स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व होगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बताया है कि इस सम्बन्ध में उनके पास यहां कोई जानकारी नहीं। अतः यह बात आ चुकी है। श्री स० मो० बनर्जी ने भी यहां प्रश्न उठाया था।

Shri Kashi Ram Gupta: Whether the Government are aware of the fact that these Urban Improvement Trusts, through which these plans will be implemented, are being used as political tools by the State Governments and that such non-official members have been included therein as are utilising these Trusts for political purposes and not for any development?

Dr. Sushila Nayar: I do not have any information in this regard. But I would like to submit that the Improvement Trust s alone would not be responsible for the implementation of these development plans. There can be some other means also.

एक-सदस्यीय महंगाई भत्ता आयोग

+

*208. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ब्रजराज सिंह (कोटा) :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री युद्धवीर सिंह चौधरी :
श्री बड़े :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त किये गये एक-सदस्यीय आयोग ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) इस बारे में कितने ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या किसी संघ/संस्था तथा फेडरेशन ने, जिन्होंने आयोग का बहिष्कार किया था, ज्ञापन पेश किये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। महंगाई भत्ता जांच आयोग ने अपना काम पहली सितम्बर, 1964 से शुरू किया है।

(ख) मूल ज्ञापनों की संख्या 63 है।

(ग) जांच आयोग के पास इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि कितने अथवा कौन-कौन से संघों / संस्थाओं या फेडरेशनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया है। जानकारी इकट्ठी की जाएगी और सभा-पटल पर रखी जायगी।

(घ) संघों / संस्थाओं और फेडरेशनों ने जांच आयोग का बहिष्कार इसलिये किया था कि उनकी मांग थी कि आयोग को जांच के लिये सौंपे जाने वाले विषयों में, महंगाई भत्ते के सूत्र (फार्मूला) को, जिसकी सिफारिश वेतन आयोग ने की थी, पुनर्विचार के लिए सम्मिलित कर लिया जाय और अन्तरिम सहायता दी जाय।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संस्थाओं और फैडरेशनों ने एक देशव्यापी आन्दोलन शुरू किया है और प्रतिरक्षा सिब्बन्दियों (कर्मचारीवर्ग) के लगभग 121 संघों ने हड़ताल करने का निश्चय किया है, और यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है कि उक्त आयोग महंगाई भत्ते के पूरा करने और अन्तरिम सहायता के भुगतान के प्रश्न पर भी विचार करे ?

श्री ब० रा० भगत : हमें मालूम हैं कि आन्दोलन शुरू किया गया है, किन्तु जहां तक सरकार का सम्बन्ध है हम ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमने आयोग से प्रार्थना की है कि वे अपनी उपपप्तियां शीघ्र ही बता दें और मेरा विश्वास है कि वे अगले महीने अपनी रिपोर्ट देंगे। हमने सम्बद्ध संस्थाओं, फेडरेशनों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई भी कसर नहीं उठा रखी है और हमने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को इस बात का ज्ञान है कि इस नवम्बर, 1964 में ही समूचे वर्ष की औसत वृद्धि 10 प्वाइंटों (अंशों) पर पहुंच गई है। जो वेतन आयोग की एक सिफारिश द्वारा पूरी होती है, और जब और 10 प्वाइंटों की वृद्धि होगी तो वेतन दरों का और आगे पुनरीक्षण होगा ? यदि हां, तो सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को बदलने अथवा केन्द्रीय- सरकार के कर्मचारियों की इस मांग पर कि कम से कम 10 रुपये की अन्तरिम सहायता की एतदर्थ वृद्धि दी जाय विचार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यह बात विचाराधीन है।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। इस बात के अतिरिक्त कि आयोग इस पर विचार कर रहा है मेरा यह प्रश्न है कि क्या इस 10 प्वाइंटों की वृद्धि के कारण कोई अन्तरिम सहायता दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि 10 प्वाइंटों की वृद्धि हुई है, वह यह कहना चाहते हैं कि आयोग की रिपोर्ट को छोड़ कर सरकार को 10 रुपये की अन्तरिम सहायता देने पर विचार करना चाहिये ।

श्री ब० रा० भगत : श्रीमान्, मैं कह चुका हूं कि यह बात विचाराधीन है ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मेरी रक्षा कीजिये । मेरा प्रथम प्रश्न भिन्न था । एक सदस्य य आयोग की सिफारिशों के अतिरिक्त . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह प्रश्न पूछा है और इसका उत्तर भी दिया जा चुका है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह बहुत आवश्यक प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात जानता हूं । इसीलिये मैंने प्रश्न को दोहराया था और उत्तर प्राप्त किया था ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या प्रतिरक्षा कर्मचारियों से प्राप्त हुए ज्ञापनों पर भी विचार किया जा चुका है, और क्या उनको कोई अन्तरिम सहायता दी जाने वाली है क्योंकि उनकी स्थिति बड़ी विकट है ?

श्री ब० रा० भगत : आयोग को जो भी ज्ञापन प्राप्त होगा, वह उस पर निश्चित रूप से विचार करेगा । कोई सहायता अथवा रियायतें देने की बात आयोग की रिपोर्ट के बाद ही ली जाएगी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: By what time will these recommendations be implemented ? What is the reason for delay ? Is not it the reason that the Government has to pay a lot and is delaying therefore ?

Shri B. R. Bhagat: The report is awaited. We will consider the question when the report comes.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Why is there dalay ?

Shri B. R. Bhagat: Where is the delay ?

श्री नाथ पाई : मूल्यों तथा मजूरी संबंधी सर्वोपरि नीति के प्रश्न पर अभी उस रोज उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने यह बताने की कृपा की थी कि बुनियादी नीतियों के निर्माण में सरकार इस प्रश्न को सदा ध्यान में रखेगी । और आज के दिन निर्वाह अंक 156 तक पहुंच चुका है जब कि पिछली बार सरकार ने केवल 10 प्वाइंट बढ़ने पर एक प्रकार की छूट दी थी, और वह भी केवल 50 प्रतिशत के लिए ; अतः इस विषय में एक-सदस्यीय आयोग की सिफारिश का कोई भी प्रश्न नहीं है । यह तो वित्त मंत्री के हाथ की बात थी कि वे इन 10 प्वाइंटों पर शेष देय भत्ता दे देते । इसी के बाद, अब और 10 प्वाइंटों की वृद्धि हुई है । इन लगातार वृद्धियों से अल्प आय के कर्मचारियों की जो दीन अवस्था हो रही है उसको दृष्टि में रखते हुए वित्त मंत्री कोई तुरन्त सहायता देने के बारे में क्या कदम उठाना चाहते हैं ? मैं चाहता हूं कि इस बात के अतिरिक्त कि सरकार द्वारा इस पर भी विचार किया जाएगा सरकार और कुछ कार्यवाही करे . . .

अध्यक्ष महोदय : इतना ही पर्याप्त है ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): माननीय सदस्य के प्रश्न में कई बातें समा गई हैं। मैं जानकारी न दे कर अथवा उन मामलों संबंधी जानकारी देकर जिन पर सरकार का कोई भी विशेष रुख नहीं, उन्हें ग़लत मार्ग पर नहीं लेना चाहता।

रहा अभी हाल में हुई वृद्धि का प्रश्न। यह एक ऐसा ही आधार है जिसके कारण हमने पहले भी महंगाई भत्ता दिया था; और इसीलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विषय विचाराधीन है।

श्री स० मो० बनर्जी : वे तो जवाब नहीं देना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : श्री नम्बियार।

श्री नम्बियार : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि मूल्यों की वृद्धि 156 प्वाइंटों तक पहुंच चुकी है। जैसा अभी बताया भी गया, तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि द्वितीय वेतन आयोग के अनुसार और अधिक दर से महंगाई भत्ता दिया जाना निश्चित है, क्या सरकार अभी तुरन्त 10 रुपये की अंतरिम सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है और आयोग के निश्चय एवं निर्णय की, जिसमें देर होने की संभावना है, प्रतीक्षा नहीं करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी ने इसी बात को दुहराया था और श्री नाथपाई ने भी यही प्रश्न पूछा था।

श्री नम्बियार : दुर्भाग्यवश, इसका उत्तर नहीं दिया गया। हम इसी बात का उत्तर जानना चाहते थे। हम मूल प्रश्न से दूर होते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार यह कहे कि प्रश्न इस समय विचाराधीन है तो मैं क्या कर सकता हूं ? क्या मैं मंत्री जी को मजबूर कर सकता हूं कि वे तुरन्त उत्तर दें ?

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : सरकार की मंजूर हुई यही नीति थी कि हर 10 प्वाइंट पर भत्ते में वृद्धि हो। अब इसको कार्यान्वित करने में सरकार की क्या अड़चन है ?

अध्यक्ष महोदय : किसी-न-किसी रूप में यही प्रश्न बार-बार पूछा जा रहा है।

श्री नाथ पाई : मेरे विचार में इसका उत्तर स्पष्ट नहीं।

श्री रंगा : प्रश्न यह है कि अपना अंतिम निश्चय करने से पहले क्या सरकार कोई अन्तरिम सहायता देने की कृपा करेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : स्थिति इस प्रकार है। इस बात से किसी को इन्कार नहीं कि जीवन-यापन व्यय किसी विशेष स्तर पर स्थिर हो चुका है जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों को और अधिक महंगाई भत्ता मिलना चाहिए था। स्वभावतः, सरकार को इस पर विचार करना है। सरकार अब तक जो देती रही है वह वैसे भी अधिकृत है। यह बात सरकार भी मंजूर कर चुकी है। प्रश्न यह है कि क्या यह अभी किया जाय अथवा एक-सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के बाद—यदि उस रिपोर्ट से स्थिति का कोई परिवर्तन हो—एक ऐसा विषय है जो सरकार के विचाराधीन है; और यह भी कि क्या हम इस बात की घोषणा करें कि अब क्या दिया जाने वाला है।

हमने कोई भी परिवर्तन मंजूर करना स्वीकार किया है क्योंकि हमारा विश्वास है कि एक-सदस्यीय आयोग की स्थिति पंचाट की सी है। निस्संदेह, किसी ऐसी बात के परिणामस्वरूप जो भी किया जाता है ...

श्री स० मो० बनर्जी : एक-सदस्यीय आयोग का इस बात से कोई भी सरोकार नहीं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य कृपया ...

श्री स० मो० बनर्जी : आप एक-सदस्यीय आयोग के नाम पर हर मामलों में देर कर रहे हैं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा, किन्तु जब मैं किसी बात का उल्लेख कर रहा हूं ...

श्री स० मो० बनर्जी : आपने इसी सभा में यह आश्वासन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह उसे आगे बढ़ने देंगे या नहीं ?

श्री स० मो० बनर्जी : वे अपने आश्वासन से पीछे हट रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कम-से-कम तो उत्तर सुनना पड़ेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : हम अच्छा उत्तर सुनने की आशा रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकता। उनके विचार से उत्तर ठीक नहीं। उन्हें भी तो सुनना है।

श्री स० मो० बनर्जी : हर एक व्यक्ति ने एक-सदस्यीय आयोग का बहिष्कार किया है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : स्थिति यह है कि सरकार अपने शब्दों से पीछे नहीं हटी है। लोगों को जो भी लाभ पाने का अधिकार है, उन्हें वह मिल जाएगा। अब यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या सरकार उस बात की घोषणा करे जिससे वह इस समय सहमत है अथवा वह एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट पहले आने दे, और उस रिपोर्ट से शायद स्थिति बदल जाएगी। यही मामला विचाराधीन है।

Shri Rameshwaranand: The hon. Minister has said that the employees are facing hardship on account of the rising spiral of prices; that is why the Government are considering this aspect. Since the State Government employees also, like the Central Government employees, are facing hardship due to the rising spiral of prices, would the Central Government instruct the State Governments accordingly in this regard?

Mr. Speaker: That is a different question.

Shri Onkar Lal Berwa : The Central Government employees were given Rs.5 , but the State Governments did not sanction that much even nor did they give any allowance to their employees. Did the Central Government object to it?

Shri B. R. Bhagat : This is a function of the State Governments because they are responsible for it. We can only advice them and not compel them to do anything as it is entirely left to their volition.

राजस्थान नहर

\+

*209. { **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेमराज :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री राजस्थान नहर परियोजना संबंधी 17 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 240 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर परियोजना के राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से सरकार ने राजस्थान नहर के निर्माण-कार्य को अपने हाथ में लेने का इस बीच निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या परियोजना के वित्तीय पहलुओं तथा उनसे लाभ होने की संभावनाओं का अध्ययन कर लिया गया है ; और

(ग) क्या इस नहर का प्रबन्ध करने तथा इसे बनाये रखने के लिये दामोदर घाटी निगम की तरह का एक निगम स्थापित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं । मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या माननीय मंत्री ने राजस्थान की प्रभविष्णुता के बारे में सोचा है और यह भी सोचा है कि यदि वहां वालों को पानी दिया जाय तो वे भारत के बहुत बड़े भाग को खाद्यान्न मुहैया कर सकते हैं ?

डा० कु० ल० राव : बिल्कुल ठीक है । राजस्थान नहर उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से है जिनको भारत सरकार बहुत बड़ा महत्व देती है, और आवश्यक धन राशियां दी जा रही हैं तथा निर्माण-कार्य भी अच्छी गति से चल रहा है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार कब से इस विषय पर विचार कर रही है, और इस मामले में जल्दी से किसी निश्चय पर पहुंचने में सरकार की क्या विशेष कठिनाइयां हैं ?

डा० कु० ल० राव: देश भर में सिंचाई की बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को आरम्भ करने के मामले पर सरकार कुछ समय से विचार कर रही है । विशेषरूप से राजस्थान नहर को इसलिए चुना गया है, कि इसमें जहां इंजीनियरी का काम है वहां उस सारे क्षेत्र, जिसे पानी मिलेगा, के विकास की भी बात है; और इस विकास-कार्य पर 200 करोड़ रुपये लगेंगे । यही कारण है कि केन्द्रीय सरकार एक वर्ष से इस बात पर विचार कर रही है कि इस परियोजना को हाथ में

लिया जाय अथवा नहीं । योजना आयोग ने अध्ययन दल की नियुक्ति की है । यह दल उस प्राधिकार के, जो इस संबंध में स्थापित करना पड़े, गठन, कार्य तथा शक्ति आदि के बारे में विचार करेगा ; और हम उस अध्ययन दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Shri Onkar Lal Berwa: The hon. Minister did participate in the Irrigation Ministers' Conference held recently. He had also demanded that the project should be taken over by the Centre. I would like to know the area irrigated by the Rajasthan Canal as also the area likely to be irrigated by it?

डा० कु० ल० राव : बिल्कुल ठीक है। राजस्थान सरकार भी इस बात के लिए आतुर है कि यह काम केन्द्र ही संभाले । हम अध्ययन दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के आखिरी भाग में पूछा गया था कि इस समय कितने क्षेत्र की सिंचाई हो रही है तथा और कितने क्षेत्र की सिंचाई होने की संभावना है ।

डा० कु० ल० राव ; राजस्थान नहर से अन्ततः 28 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। प्रथम चरण में लगभग 12 लाख एकड़ भूमि के सींचे जाने की आशा है। 1965 के अन्त में और $4\frac{1}{2}$ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और तृतीय पंचवर्षीय योजना काल तक लगभग 10 लाख एकड़ भूमि को सींचा जाएगा ।

Shri Gulshan: Whether or not the Punjab farmers have been compensated for the land covered by the Rajasthan canal on the Punjab side; and if so, whether it is proposed to supply water to their fields which are adjacent to the canal?

डा० कु० ल० राव : पंजाब के जिस भाग से यह नहर गुज़रती है वहां के किसानों को मुआवज़ा दिया गया है । और इस प्रकार विस्थापित हुए उन किसानों को राजस्थान नहर के क्षेत्रों में ही फिर से बसाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है । रहा उन क्षेत्रों का प्रश्न जहां-जहां से यह नहर गुज़रती है । इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वे सारे क्षेत्र सरहिन्द सहायक अथवा भाखड़ा द्वारा सींचे जाते हैं।

Shri Y. S. Chaudhary: The entire country and the Government are aware of the fact that the day Rajasthan Canal is completed, the food problem of India will be solved to an extent of two hundred per cent. In the light of this I would like to ask the Government about two or three questions. Firstly, whether the digging work of the Rajasthan canal on the Punjab side has been completed; secondly, the stage of the operation of the target for the Rajasthan state; and thirdly, the progress made during these months with respect to the completion of the overall target?

डा० कु० ल० राव: पंजाब के भाग में इस राजस्थान नहर के खोदे जाने के सभी काम, गतिक्रम में, पूरे किए जा चुके हैं और उसके अतिरिक्त राजस्थान में और 14 मील की दूरी तक खुदाई हुई है । 14 वें से 48वें मीलों के बीच इस समय खुदाई का काम हो रहा है । मैं यही कहूंगा कि बहुत हद तक यह परियोजना ठीक ढंग से चल रही है, यद्यपि मैं चाहता था कि यह काम और भी तेज़ी से हो पाता।

Shri Y. S. Chaudhary: What is meant by fairly well. I wanted to know the progress made so far in the light of the target set.

अध्यक्ष महोदय : क्या लक्ष्य पूरे किये जा चके हैं ?

डा० कु० ल० राव : मैं बता चुका हूं कि सारा काम सिलसिले से हो रहा हैं। मैं ने यह भी कहा था कि मैं इस काम का और भी तेज़ी से होना चाहता था ।

Shri Yashpal Singh: "The matter is under consideration" was the reply to this question on the floor of this august House even last year. The same reply is being repeated today. What is after all the reason that the project could not be completed so far ?

डा० कु० ल० राव : मुझे इस बात का बहुत खेद है कि वस्तुत: यह मामला पूरा नहीं हो पाया है किन्तु यह प्रश्न बहुत ही बड़े महत्व का है । माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिए कि यह न केवल इंजीनियरी का काम है बल्कि इसमें जहां विकास का कार्य अन्तर्गस्त है वहां बहुत बड़े व्यय की भी बात है । यही कारण है कि कई मंत्रालय और योजना आयोग इस काम को मिलकर कर रहे हैं, और मुझे आशंका है कि किसी निश्चय पर पहुंचने के लिए कुछ समय लगेगा ।

श्री तिरुमल राव : योजना आयोग द्वारा जांचे जा रहे अनेक प्राधिकारों के अतिरिक्त अब उस (योजना आयोग) को क्या निर्देश-पद सौंपे जा रहे हैं जिनके बारे में वह जांच करे और इस योजना से किन-किन राज्यों पर प्रभाव पड़ा है ?

डा० कु० ल० राव : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस परियोजना की निगरानी, आदि के लिए जो प्राधिकार बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी गठन, कार्य और शक्तियों आदि के सम्बंध में एक अध्ययन दल सोच-विचार कर रहा है । सम्बद्ध राज्य हैं राजस्थान और पंजाब ।

श्री हरिश चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि इस परियोजना को हाथ में लेने का निश्चय करने के बाद ही उसके प्रशासनिक नियंत्रण की बात विचाराधीन है । सर्वप्रथम आप इस परियोजना को हाथ में लेने का निश्चय करेंगे । क्या यह सच नहीं है कि माननीय वित्त मंत्री ने राजस्थान नहर के क्षेत्र का दौरा किया था और उसके पश्चात् समाचार-पत्रों को एक अधिकृत जानकारी दी गई थी कि यह परियोजना सन् 1965-66 से हाथ में ली जाएगी ; और मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री का क्या निर्धारण था तथा इस रिपोर्ट में कहां तक सचाई है कि यह परियोजना आगामी वर्ष से हाथ में ली जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इस समय का यह विचार है कि इस योजना का वित्तीय दायित्व केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया जाएगा और जिस तारीख से यह काम होना संभव है वह है पहली अप्रैल । मेरे मान्य सहयोगी ने जो कुछ कहा है, वह इसलिए किया जा रहा है कि केन्द्रीय सरकार को यह काम हाथ में लेने के लिए प्रारम्भिक कार्य करने का मौका मिले । अत: इस अभिप्राय के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है । मोटे तौर पर, अन्य सभी मामले जैसे कि यह मामला केन्द्र द्वारा कैसे हाथ में लिया जाय, केन्द्र की स्थिति राजस्थान की तुलना में क्या होगी, आदि आदि, सभी बातों पर विचार हो रहा है । हां, मेरा यह विचार है कि मेरे सहयोगी तथा अन्य अनेक उत्तरदायी प्राधिकारियों के बीच जो बातचीत हो रही है उससे हम किसी ऐसे फैसले पर पहुंचेंगे जिससे कि यह नया नियंत्रक प्राधिकार पहली अप्रैल को अस्तित्व में आएगा ।

श्री हेम राज : क्या यह अध्ययन दल पोंग बांध तथा सतलुज-ब्यास लिंक से बहिष्कृत व्यक्तियों के पुनसंस्थापन के सम्बंध में सरकार को परामर्श देगा तथा क्या उक्त दो राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने राजस्थान नहर की बस्तियां बसाने के लिए कोई नीति बनाई है, क्योंकि यह बातें पिछले दो तीन वर्षों से तय नहीं हो पाई है ?

डा० कु० ल० राव : बस्ती बनाने की नीति पर दो मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय सरकार के बीच विचार-विमर्श हो रहा है, इस सिलसिले में 4 दिसम्बर को एक बैठक होने वाली है। मैं यह भी बता दूं कि अध्ययन दल इस पहलू पर भी विचार करेगा।

श्री रंगा : इन सभी उत्तरों से यही स्पष्ट है कि इस नहर और उस द्वारा सिंचाई के शीघ्र विकास के सम्बंध में सरकार उतनी ही आतुर और इच्छुक है जितना हम इस ओर के दल वाले हैं ; किन्तु क्या हमें यह आश्वासन मिलेगा कि सरकार इस विचार-विमर्श की गति को तेज़ करने के लिए कोई विशेष प्राथमिकता देगी और किसी निश्चय पर पहुंचेगी ताकि केन्द्र इस काम को हाथ में ले सके क्योंकि स्वयं केन्द्रीय सरकार इस कदम को वांच्छनीय समझती है ताकि अन्ततः इस परियोजना के विकास में शीघ्रता हो सके।

डा० कु० ल० राव : मैं माननीय सदस्य को यह याद दिला दूं कि चतुर्थ योजना में जो नीति अपनाई जाएगी वह यह है कि आज तक हाथ में ली गई परियोजनाओं को सर्वप्रथम पूरा किया जाना चाहिए। राजस्थान नहर 1969–70 तक पूरी की जाएगी।

श्री रंगा : मैं सोच रहा था कि माननीय वित्त मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देंगे क्योंकि उनका उत्तर ही उचित रहता। इस में जो भी बाधा आ रही है यह कहीं वित्त मंत्रालय की ओर से है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जोकीम आल्वा।

श्री जोकीम आल्वा : इस परियोजना को बनाने अथवा इसकी जांच करते समय, जिसके लिए हमारे इंजीनियर भाग-दौड़ करते रहते हैं, क्या वे आसवां बांध तथा सहारा मरुभूमि के वे निकटस्थ क्षेत्र देख चुके हैं जहां यूक्लेप्ट्स वृक्षों को रेत में उगाया जाता है और इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि माननीय मंत्री इस काम से अवगत हैं तथा यह अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की मुख्य बातों को हमारे यहां की परियोजना में सम्मिलित किया जा सकता है ?

डा० कु० ल० राव : मुझे यह कहने में प्रसन्नता होती है कि आसवां बांध के प्रभारी मंत्री अभी कल शाम को भारत आए हैं और वे हमारे कई निर्माण कार्यों को देख रहे हैं। राजस्थान नहर परियोजना के लिए आसवां बांध से लेने की कोई भी चीज़ नहीं।

आसवां बांध के निर्माण में नये तकनीकों को अपनाया जा रहा है, इसीलिए यह बांध बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान नहर के सम्बंध में हमारी आसवां बांध की जैसी कोई कठिनाइयां नहीं हैं।

श्री कर्णी सिंहजी : इस तथ्य की दृष्टि में कि केन्द्र राजस्थान नहर को हाथ में लेना चाहता है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि नहर की दीवारों को पक्का करने, इस नहर को कांडला पत्तन से मिलाने और इसे नावें चलने के योग्य बनाने के बारे में कोई निश्चय किया गया है, तथा राजस्थान नहर से रेगिस्तान क्षेत्र को पेय जल दिलाने के सम्बंध में क्या किया जा रहा है ?

डा० कु० ल० राव : जहां तक नहर की दीवारबन्दी का प्रश्न है, इस पर बहुत सावधानी से विचार किया गया है क्योंकि ऐसे काम में बहुत खर्चा लगता है। साधारण रूप से हमने यह निश्चय किया है कि मुख्य नहर की दीवारबन्दी होगी। जहां तक इसे काण्डला पत्तन से मिलाने का प्रश्न है, यह यातायात मंत्रालय का काम है और यह मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। ये विस्तृत ढंग से इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

2040 (ai) LSD.—2

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : प्रश्न के भाग (ख) अर्थात् "क्या परियोजना के वित्तीय पहलुओं तथा उनसे लाभ होने की संभावनाओं का अध्ययन कर लिया गया है", के उत्तर में मंत्री महोदय ने 'नहीं' कहा था। क्या परियोजना के इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार नहीं किया जाता।

डा० कु० ल० राव : प्रश्न तो यह हुआ है कि इस निर्माण-कार्य को सरकार अपने हाथ में ले। परियोजना के इंजीनियरी पहलुओं तथा अन्य पैदा होने वाली बातों पर विचार किया जा चुका है। किन्तु, जैसा मैं कह चुका हूं, मुख्य प्रश्न तो इंजीनियरी पहल पर व्यय के सिलसिले में नहीं वह तो एक छोटी सी बात है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : लाभ के बारे में क्या स्थिति है ?

डा० कु० ल० राव : मुख्य समस्या तो नये क्षेत्रों के विकास के सम्बंध में है और उसके लिए स्वभावतः प्राक्कलन अभी तैयार नहीं है। सरसरी तौर पर इस पर 200 से 210 करोड़ रुपये तक की राशि खर्च हो सकती है, मैं किसी निश्चय से नहीं कहता। जहां तक परियोजना का सम्बंध है, यह स्वाभाविक बात है कि वित्तीय पहलुओं पर विचार करने के बाद ही यह परियोजना मंजूर की जा चुकी है।

श्री कर्णी सिंहजी : मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह और किसी अवसर पर पूछ सकते हैं।

घग्घर बाढ़ नियंत्रण योजना

+

*210. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री (कृणा) सिंहजी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री घग्घर बाढ़ के बारे में 1 अक्तूबर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 525 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की तकनीकी परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकृत घग्घर बाढ़ नियंत्रण योजना को कार्यान्वित करने के लिये इस बीच धन मंजूर कर दिया गया है ;

(ख) धन मंजूर करने में विलम्ब के क्या कारण हैं जब कि योजना अक्तूबर, 1963 में स्वीकृत की गई थी और इसे व्यावहार्य पाया गया था ;

(ग) इस वर्ष बाढ़ों से कितनी वित्तीय हानि हुई ; और

(घ) इन बाढ़ों के कारण सूरतगढ़ फार्म को कितनी हानि पहुंची ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अभी नहीं।

(ख) योजना वित्त मंत्रालय में विचाराधीन है।

(ग) अब तक निर्धारित हानि लगभग 59 लाख रुपये की है। इसमें फसलों, सम्पत्ति, सिंचाई कार्य तथा सड़कों की हानि भी सम्मिलित है। इसमें रेलवे को हुई हानि शामिल नहीं की गई है क्योंकि इसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) अब तक निर्धारित हानि 8.77 लाख रुपये की है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उत्तर से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यद्यपि यह सारा काम तकनीकी प्राधिकारियों द्वारा योजना आयोग द्वारा तथा हर एक व्यक्ति द्वारा अक्तूबर, 1963 में पूरा किया जा चुका था, तथापि नवम्बर, 1964 तक भी कोई निश्चय नहीं किया गया और अब यह मामला वित्त मंत्रालय में अटका पड़ा है। इस विलम्ब से लोगों को बहुत मुसीबत उठानी पड़ी है। और सूरतगढ़ फार्म जो रूस की देन है, को भी क्षति पहुंची है। माननीय मंत्री इस देर के लिए तथा उसके दायित्व के बारे में क्या कहना चाहते हैं।

डा० कु० ल० राव : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ठीक ढंग से क्या कहना चाहते थे। प्रश्न तो यह है कि हर परियोजनाओं पर विचार किया जाना है और उनके लिए धनराशियां प्राप्त करनी हैं। वित्त मंत्री ने अभी अक्तूबर में ही, इसी वर्ष, इस क्षेत्र का दौरा किया है और वह समस्या पर विचार कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अक्तूबर, 1963 में, वर्षा होने से बहुत पहले, योजना आयोग और सिंचाई मंत्री ने परियोजना की स्थिति को विचारा था, और तब धनराशि प्राप्त करना ही शेष था। वित्त प्राप्त करने में देर होने के कारण सारा क्षेत्र हानि उठा चुका है और रूस के साथ की हमारी वचनबद्धता पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कठिनाई आखिर क्या है—विदेशी मुद्रा का अभाव अथवा धनराशि का अभाव ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : प्रश्न इतना साधारण नहीं जितना माननीय सदस्य उसे समझते हैं। सच तो यह है कि वित्त प्राप्त होने पर भी मेरे विचार में इस योजना से समस्या हल नहीं हो पाती। इस योजना ने कई समस्याएं पैदा कर दी हैं अतः इसमें फेरबदल करना होगा। वर्तमान स्थिति में इस योजना से लाभ नहीं होगा। घग्घर बाढ़ों के बारे में जो धारणा फिलहाल घर कर चुकी है उससे बार-बार आने वाली इन बाढ़ों की समस्या को—क्योंकि हर बार बाढ़ें आती रहती हैं—सुलझाया नहीं जा सकता। इस समय इस बात का अध्ययन किया जा रहा है कि वैकल्पिक योजना हो। सचाई यह है कि कुछ सप्ताह पूर्व मैं सम्बद्ध मंत्री जी तथा कई टेक्निकल अफसरों से मिला था। यह मामला अब दोबारा उन्हीं को सौंपा गया है ताकि वे योजनाओं में ऐसे परिवर्तन करें जिनसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अधिक सहायता प्राप्त हो सके। इसी दृष्टिकोण से इस मामले पर विचार करना है। यदि कोई ऐसी योजना हो जिससे स्थिति का सामना न किया जा सके या वह पर्याप्त रूप में प्रभावशाली न हो तो यह सीधी सी बात है कि हम बिना सोचे समझे उस योजना पर धन नहीं खर्च सकते। इसीलिए विकल्प के रूप में और योजनाओं पर विचार करना पड़ता है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मंत्रालय द्वारा बनाई गई तथा योजना आयोग के तकनीकी तथा वित्तीय दलों द्वारा मंजूर की गई इस योजना की रूपरेखा क्या है, और उसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त थी ? क्या सभी सम्बद्ध हितों और प्राधिकारियों ने इस योजना से सहमति प्रकट की है अथवा नहीं ?

डा० कु० ल० राव : इस परियोजना के अनेक पहलुओं के सम्बंध में अभी अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय वित्त मंत्री जानकारी दे चुके हैं। इस धनराशि के मंजूर करने से पहले वित्त मंत्री ने एक बैठक बुलाई थी और उसमें कई प्रश्न उठाये थे। तब से इन पर विचार किया जा चुका है और अनेक इंजीनियरों ने एक रिपोर्ट भी भेज दी है। यह रिपोर्ट वित्त मंत्री को भेजी जा चुकी है और अनुमानतः अब तक उन्हें मिली भी होगी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न ही बिल्कुल भिन्न था। मेरा यह प्रश्न था कि उस योजना की रूपरेखा क्या थी जो सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार की गई थी और योजना आयोग द्वारा मंजूर की जा चुकी थी ; और मैंने यह भी पूछा था कि क्या सभी सम्बद्ध हितों और प्राधिकारियों ने उस योजना से सहमति प्रकट की थी अथवा नहीं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं इस सम्बंध में सारी स्थिति बताना चाहता हूं। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि मेरे माननीय मित्र हम से ऐसी बातें कहलवाते हैं जिसके आधार पर वे और प्रश्न पूछ सकेंगे। एक अस्थायी योजना तैयार की गई थी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उस योजना की रूपरेखा क्या है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस रूपरेखा को किसी मानचित्र की सहायता से समझना पड़ेगा। प्रश्न तो इस संबंध में है कि पानी को उस दिशा की ओर मोड़ा जाय जहां गर्त्त सा हो। मेरे विचार में यह पर्याप्त नहीं। इससे समस्या का पूरा समाधान नहीं हो सकता। यह संभव है कि राजस्थान नहर द्वारा उस क्षेत्र की ओर पानी मोड़ने से समस्या हल नहीं हो पाएगी। बाढ़ें हमारे अनुमान से बहुत बड़ी हुआ करती हैं। अतः अतिरिक्त संरक्षण होना चाहिए और इसी पर सारी बात पर विचार करना होगा। यही मामला विचाराधीन है। योजना आयोग द्वारा काम करने का संकेत देने का प्रश्न नहीं। योजना आयोग तब तक संकेत नहीं कर सकता जब तक कि वित्त मंत्रालय इस पर विचार न करे।

श्री कर्णी सिंहजी : पिछले तीन चार वर्ष से राजस्थान के सदस्यों द्वारा घग्घर और उत्तरीय राजस्थान में आने वाली बाढ़ों के बारे में प्रश्न पूछे गये। दुर्भाग्यवश, इन सब बातों के बावजूद इस मामले की ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले चार वर्षों में इन बाढ़ों के परिणामस्वरूप कितने खाद्यान्न की क्षति हुई, और यह भी कि इन बाढ़ों के कारण कितने समय तक रेलवे-लाइनें बन्द पड़ी रहीं।

डा० कु० ल० राव : लगभग 50 मील की दूरी तक दो महीनों के लिए रेलों का आना जाना बन्द हो गया। यह सही है कि घग्घर में बाढ़ आने के कारण हम सभी बहुत परेशान हो रहे हैं।

श्री कर्णी सिंहजी : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि कितने खाद्यान्न की क्षति हुई थी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मुख्य उत्तर में उन्होंने कहा है कि 59 लाख रुपये की क्षति हुई है।

श्री काशी राम गुप्त : स्थिति यह मालूम पड़ती है कि आगामी वर्षा ऋतु से पहले यह काम समाप्त होने की आशा नहीं। क्या सरकार आगामी वर्षा ऋतु से पहले कोई प्रभावी कदम उठाएगी अथवा यही बात होगी जो इस वर्ष हो चुकी है ?

डा० कु० ल० राव : मैं निवेदन कर चुका हूं कि घग्घर का बाढ़ नियंत्रण बहुत बड़े महत्व का विषय है क्योंकि इन बाढ़ों से बहुत बड़ी क्षति होती जा रही है। कुछ एक योजनायें तैयार की गई थीं और वित्त मंत्रालय ने उन पर कई आपत्तियां की हैं। उन आपत्तियों का जबाब भी भेजा जा चुका है। वित्त मंत्री ने उन जवाबों को अभी नहीं देखा है। मैं आशा करता हूं कि वे शीघ्र ही उनको देखेंगे। यदि अभी कोई निश्चय किया गया हो तो हम आगामी वर्षा ऋतु से पहले कोई निर्माण कार्य आरम्भ कर सकेंगे।

Shri Sheo Narain: Mr. Speaker, this Ghaggar river has been causing heavy damages for the last so many years, and our late Prime Minister had accepted in regard thereto that this river is largely devastating all the areas right from U.P. to Bengal, and he also had assured that it would be controlled. The hon. Minister, who is himself a specialist, had suggested in 1956 a scheme worth Rs. 80 crores, Sir, I would like to know why the Government are not shunning these delaying tactics; why was not the work completed by now, and if they are not able to solve it themselves why do not they take any active steps to have it solved with the aid to some foreign technical body . . . .

Mr. Speaker: Would the hon. Member ask any specific question or deliver a speech as he has been doing?

Shri Sheo Narain: Sir, I would like to ask a genuine question. Who are the engineers included in the Study Team for Ghaggar and who is their Chairman?

श्री के० दे० मालवीय : क्या मेरा यह अनुमान सही है कि योजना की तकनीकी बारीकियों के सम्बन्ध में वित्त तथा सिंचाई मंत्रियों के निर्धारण में मतभेद है ? यदि हां तो क्या यह सही है कि तकनीकी निर्धारण की जांच में उनके मतभेद होने के कारण ही इतना समय लगा है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है । सत्य तो यह है कि मूल योजना अभी हाल में बनी है । यद्यपि हम इस योजना को आरम्भ भी करते, फिर भी अभी हाल की बाढ़ों से हम बच नहीं पाते इस में तकनीकी जांच में किसी भी प्रकार के मतभेद का प्रश्न नहीं है । प्रश्न तो यह है कि इस को शीघ्र ही ध्यान में लाया जाए बजाय इस के कि इधर-उधर से या इकट्ठे ही इस सारे काम को किया जाय ।

Shri Y. S. Chaudhary: This Ghaggar river, also known as Saraswati in the Punjab, has not only been causing damage to the Punjab, but also regularly devastating Rajasthan for a long time now. It has now devastated the East Pakistan also. Did our Ministers go to the place named Ottu when the floods were there . . . .

Mr. Speaker: Would the hon. Member ask any specific question ?

Shri Y. S. Chaudhary: Have the Government taken any final decision to construct a dam at Ottu or at any other place for controlling these floods?

डा० कु० ल० राव : मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि घग्घर का बाढ़-नियंत्रण कार्य गंभीर महत्व का है और कई योजनायें तैयार की गई हैं । ओटू पर बांध बनाने का प्रश्न इसलिए उत्पन्न नहीं होता क्योंकि हम वहां दो या तीन फुट की ऊंचाई से अधिक का बांध नहीं बना सकते, और यदि बनाया भी हो तो बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न होगा । राजस्थान अथवा पंजाब के सीमा-क्षेत्र में बाढ़-नियंत्रण के सिलसिले में बांध बनाने का प्रश्न नहीं । प्रश्न है किसी दिशा-परिवर्तन योजना, सिंचाई योजनाओं और अनेक वैकल्पिक परियोजनाओं का । वित्त मंत्रालय इस समय उन सभी योजनाओं पर विचार कर रही है ।

Shri P. L. Barupal: Since I come from the constituency affected by the Ghaggar river floods, I would like to know the loss that accrued to the railways in loading and unloading foodgrains, and the loss suffered by farmers. The figures may kindly be furnished before the House. Secondly, I would like to know by what time this flood devastation is going to be stopped. The hon. Minister may please let us have this information with regard to the time to be taken in warding off this evil?

Mr. Speaker : How will the hon. Minister reply to so many questions at a time? It could be possible for the hon. Minister to reply to one question only at a time.

The hon. Member wants to know by what time the work is going to be completed?

Shri Sheo Narain: Sir, I would like to submit just one thing . . .

Mr. Speaker: No, please.

डा० कु० ल० राव : यदि वित्त प्राप्त हो सका तो यह घग्घर बाढ़-नियंत्रण कार्य ठीक ढंग से दो या तीन वर्ष में पूरा किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री भागवत झा आजाद ।

Shri Rameshwaranand: On a point of order, Sir, Last time, when the Jamuna river was on flood and caused devastation to my Constituency, I raised a question here in reply to which I was told that that question pertained to the State Government. But, today the question of the Ghaggar floods is being discussed on the floor of the House here. In view of this, I would like to know from the hon. Speaker whether the question pertaining to the Ghaggar floods is not concerning any State Governments? I would like to know from the hon. speaker the correct position with regard to it.

Mr. Speaker: I do not have as sharp a memory as Swamiji has. I will ask for the pertinent files and see to it.

सरकारी बस्तियों में उद्यान-व्यवस्था

+

*211. { **श्रीमती सुभद्रा जोशी :**
श्री भागवत झा आजाद :
महाराजकुमार विजय आनन्द : }

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली की सरकारी बस्तियों में औद्योगिक निदेशालय द्वारा पोषित उद्यान-व्यवस्था के प्रबन्ध का स्तर काफी गिर गया है ;

(ख) क्या वहां के निवासियों से बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं;

(ग) क्या उन में से अधिकांश पर ध्यान नहीं दिया गया है; और

(घ) स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) सरकारी बस्तियों में उद्यान-व्यवस्था को बनाये रखने का स्तर गिरा नहीं है । वास्तव में कुछ क्षेत्रों में किये गये काम की प्रशंसा रैजीडेन्ट्स ऐसोसियेशन ने की है ।

(ख) कभी कभी कुछ शिकायतें मिली हैं किन्तु उन की संख्या अधिक नहीं है ।

(ग) जी नहीं, शिकायतों पर बड़ी तत्परता से ध्यान दिया गया है ।

(घ) और अधिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्न किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिए नयी बस्तियों में बग़ैर छने पानी की व्यवस्था की जा रही है और गर्मियों के मौसम में पानी की सप्लाई को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उद्यान-निदेशालय (होर्टीकल्चर डायरेक्टरेट) के मालियों की देख-रेख करने की व्यवस्था को फिर से जांच लिया गया है और उसे सुधारा गया है। माली अपना काम करने के बाद विभिन्न रैजीडेन्ट्स ऐसोशियेशन्स के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर ले लेते हैं निदेशालय के कर्मचारियों ने निवासियों का भी सहयोग मांगा है और जब कभी शिकायत हुई है, निवासियों को सहायता और सलाह दी गई है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : क्या यह सच है कि "जी" और "एफ" टाइप के उद्यानों के लिये कोई माली नहीं रखे गये हैं जब कि "सी" टाइप के क्वार्टरों के उद्यानों की देख-रेख के लिये विशेष मालियों की व्यवस्था की गई है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : सदन में शोर होने के कारण मैं प्रश्न को ठीक से नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो इसे "शोर" नहीं कहूंगा, किन्तु ऐसा है कि सभी ओर से इतनी बातें हो रही हैं कि यहां की कार्यवाही को समझ पाना कठिन है। क्या माननीय सदस्य कृपया अपना प्रश्न दोहरायेंगी ?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : क्या यह सच है कि "जी" और "एफ" टाइप के उद्यानों के लिये कोई माली नहीं रखे गये हैं जब कि "सी" टाइप के क्वार्टरों के उद्यानों की देख-रेख के लिये विशेष मालियों की व्यवस्था की गई है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह किसी विशिष्ट क्षेत्र से सम्बद्ध एक विशिष्ट प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य मुझे इस सम्बन्ध में लिखेंगी अथवा प्रश्न की पूर्व सूचना देंगी तो मैं निश्चय ही इस पर विचार करूंगा।

Shri Bibhuti Mishra: Has the hon. Minister ever visited the lawns in front of M.Ps. Flats at the North and South Avenues, and if so, what is his reaction to their maintenance?

Shri Mehr Chand Khanna: The question at present is in regard to the horticultural features of the Government Servants' colonies, but if the hon member wants me to inspect the lawns of the North and South Avenues, I will very gladly come and see them.

Shri Kachhavaiya: I want to know the number of lawns in Delhi, the number proposed to be reared by the Government, and the locale of the lawns not attended to by the malis at present?

Shri Mehr Chand Khanna: The supply of unfiltered water is inadequate, and it depletes during summers. The supply of unfiltered water is not increasing in the same proportion as that of the constant extension of Delhi. I am, however, making an attempt to see that the shortage of unfiltered water is made good.

श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार को विदित है कि सुन्दर नगर की नर्सरी बहुत बड़ी हानि पर चल रही है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों के बारे में ही तो बोल रहा हूं । सुन्दर नगर नर्सरी का सरोकार एन. डी. एम. सी. अथवा डी. एम. सी. से है ।

Shri Yash Pal Singh: The Government have thousands of times claimed decentralization here in the House, and the position today is that the lawns reared by them are drying up now. In view of this, have the Government considered a proposal of entrusting the maintenance of lawns to the residents themselves, people living in Sunder Nagar and New Delhi would themselves maintain their lawns?

Shri Mehr Chand Khanna: I do not have any objection to the proposal if the M.Ps desire that their flats in Government Colonies are maintained by the residents themselves.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि नार्थ और साऊथ एवेन्यू में स्थित एम० पी० क्वार्टरों में उद्यानों की वर्तमान व्यवस्था .....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों के सम्बन्ध में है ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न तो उद्यान-व्यवस्था के सम्बन्ध में है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, किन्तु प्रश्न सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों के सम्बन्ध में है ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम सभी पब्लिक के सेवक हैं ।

अध्यक्ष महोदय : पब्लिक के सेवक, न कि सरकारी कर्मचारी ।

Shri Onkar Lal Berwa: In R.K. Puram and other colonies, where Government employees are residing, lawns are unattended to and in absence of any verdure these lawns are all dusty. Besides, the swings and see-saws meant for children are all broken. Is not the Central Government responsible for their maintenance, and if so, the steps taken by the Government to maintain them?

Shri Mehr Chand Khanna: R. K. Puram is our new Government colony, which is in making for the last one or two years. It is natural that some shortcomings are there. I will see to it that the shortcomings are removed as soon as possible.

Shri Onkar lal Berwa: Is there any proposal to make the lawns green?

Mr. Speaker: He says that he will go there and see to it.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बाढ़ से क्षति

*212. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री कजरोलकर :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री हे० वी० कौजलगी :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री बड़े :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में (राज्यवार) बाढ़ों से जन तथा सम्पत्ति की कुल कितनी क्षति हुई;

(ख) बाढ़ों से हुई क्षति को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) क्या बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिये एक व्यापक योजना पर विचार किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) अब तक उपलब्ध हुई जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3467/64.]

(ख) चालू वर्ष में, केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में आपाती सहायता के लिए 17.61 लाख रुपये और मनीपुर प्रशासन द्वारा सहायता पर किये गये खर्च के प्रति 10,000 रुपये मंजूर किये हैं ।

(ग) राज्य अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में नदियों के बाढ़-नियंत्रण, विकास तथा विकास प्रणालियों की व्यापक योजनाएं बना रहे हैं । जब तक ये योजनाएं तैयार नहीं होतीं, राज्य आवश्यक स्कीमों के निर्माण-कार्य को हाथ में ले रहे हैं ।

मेसर्स लुई ड्रेफस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

*213. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **वित्त** मंत्री 24 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 381 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता कस्टम हाउस और प्रवर्तन निदेशालय (इन्फोर्समेंट हाउस डाइरेक्टरेट) ने इस बीच मेसर्स लुई ड्रेफस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता से कब्ज़ा किये गये कागज़ातों की जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इस से क्या निष्कर्ष निकाला गया और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामेश्वर साहू): (क) और (ख). सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अब तक की गयी जांच-पड़तालों के आधार पर कम्पनी के नाम दो शो-काज़-नोटिस जारी कर दिये गये हैं । आगे जांच-पड़ताल चल रही है ।

(ग) जांच-पड़ताल में समय लग रहा है क्योंकि इसमें 3500 से अधिक भारी संख्या में कागज पत्रों की छान-बीन और प्राप्त संकेतों पर की जाने वाली कार्रवाई शामिल है ।

राज्यों के विद्युत् बोर्डों को राज-सहायता

*214. **श्री ओझा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने से होने वाली हानि को पूरा करने के लिए राज्य विद्युत् बोर्डों को राज-सहायता देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या स्वरूप है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख). जी, नहीं । फिर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार, जहां कि बिजली की दरें कुछ अधिक हैं, में कृषि उद्योगों के लिए बिजली की दरों पर अनुपूर्ति अनुदान का प्रस्ताव विचाराधीन है । विशिष्ट प्रस्तावों की प्राप्ति के पश्चात् अनुपूर्ति अनुदान की मात्रा के बारे में फैसला किया जायगा ।

सम्पत्ति के हस्तांतरण पर बिक्री कर

*215. { **श्री वाडीवा :**
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती जमुना देवी :
श्री उइके :
श्री बड़े :
श्री चांडक :
श्री विद्या चरण शुक्ल : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के हाल के इस निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार काम के ठेकों को पूरा करने के दौरान माल-सम्पत्ति के हस्तांतरण पर और उस माल पर अब बिक्री कर वसूल नहीं किया जा सकेगा जिसके व्यापार का विनियमन कानून के अन्तर्गत किया गया हो और जिसमें न तो क्रेता विक्रेता को और न विक्रेता क्रेता को चुन सके ; और

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख). प्रश्न दो भिन्न निर्णयों से सम्बन्ध रखता है। मद्रास राज्य बनाम गनन् डंकरले कम्पनी (मद्रास) लि० के मामले पर अप्रैल, 1958 में दिये गये अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार व्यक्त किया है कि अविभाज्य कार्य के ठेकों के कार्यसम्पादन के लिये हस्तांतरित माल-सम्पत्ति पर राज्यों द्वारा बिक्री कर लगाना शक्ति से बाह्य था। नवम्बर, 1962 में न्यू इंडिया शूगर मिल्स लिमिटेड बनाम दि कमर्शियल टैक्स आफिसर, बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, शूगर कंट्रोलर के निर्देशों के अनुसार भेजी जाने वाली चीनी पर बिहार राज्य द्वारा लगाये गये बिक्री-कर को समाप्त किया। प्रथम निर्णय के शीघ्र पश्चात् राज्य सरकारों को अपने बिक्री-कर नियमों में अदल बदल करने के लिए सलाह दी गई थी ताकि, काम के ठेकों में इस्तेमाल किये जाने वाले सामान जब ठेकेदारों द्वारा खरीदे जायं अथवा उनको बेचे जायं तो कर एकत्र किया जा सके। दूसरे निर्णय के आशयों तथा परिणामों की इस समय जांच हो रही है।

एकाधिकार आयोग

*216. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नम्बियार :
डा० सारादीश राय : }

क्या **वित्त** मंत्री 10 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 271 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एकाधिकार आयोग संभवतः किस तिथि तक सरकार को अपना प्रतिवेदन दे देगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): एकाधिकार आयोग से प्रत्याशा की जाती है कि वह अपना प्रतिवेदन 31 अक्तूबर, 1965 तक सरकार को प्रस्तुत कर देगा ।

लड़की के पेट में कैंची

*217. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओझा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अक्तूबर, 1964 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली के एक अस्पताल में जून, 1964 में एक 16 वर्षीय लड़की का अपैंडिसाइटीज़ का आपरेशन हुआ था और उस आपरेशन में उस लड़की के पेट में लापरवाही के कारण एक कैंची रह गई थी जिसको उसके शरीर से बाद में दूसरा आपरेशन करके निकाला गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस लापरवाही के लिय किसको जिम्मेदार पाया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) इस विषय में इर्विन अस्पताल के मेडिकल सुपरिण्टेन्डेंट तथा भ्रष्टाचार-विरोध पुलिस के सुपरिण्टेंडेंट ने एक जांच की हैं ।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

इस मामले के तथ्य यह हैं कि 14 जून, 1964 को इर्विन अस्पताल में किसी कुमारी मृदुला अग्रवाल का अपैंडिसाइटिस का आपरेशन हुआ था और आपरेशन ठीक होने के बाद उसे 21 जून, 1964 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी । 14 जुलाई को और फिर 5 अगस्त, 1964 को उसके पेट में कुछ दर्द की शिकायतों के संबंध में उसका एक्स-रे किया गया । एक्स-रे से उसके पेट में किसी बाहरी वस्तु का कोई प्रमाण नहीं मिला । इससे सिद्ध होता है कि आपरेशन के बाद अस्पताल छोड़ते

समय उसके पेट में कोई बाहरी वस्तु नहीं थी और बाद में जो उसके पेट में कैंची मिलने का सबूत मिला है, यह घटना इसके बाद ही घटी होगी।

18 अगस्त, 1964 को उसे फिर अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में रहते हुये देखा गया कि उसके पाखाने में एक सेफ्टी पिन निकला जिससे इस बात का संकेत मिला कि रोगी न्यूरैटिक है। उसे ऐसा न करने की सलाह दी गई और अगले दिन वह अपनी मर्जी से अस्पताल छोड़ कर चली गई। 17 सितम्बर और 21 अक्तूबर, 1964 को फिर दो बार विलिंगडन अस्पताल में उसका एक्स-रे किया गया। पहली बार एक्स-रे चित्र में कोई कैंची नहीं देखी गई। दूसरी बार जब उसका पाइलोग्राम लिया गया तो उसके पेट के सामने वाले भाग में एक कैंची देखी गई। 24 अक्तूबर, 1964 को जैस्सा राम अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक चिकित्सा अधिकारी के सामने उसका आपरेशन किया गया और उसके पेट के विवर में एक कैंची मिली। निगलने से ही कैंची पेट में जा सकती है। इन तथ्यों के साक्ष्य रिकार्ड कर दिये गये थे। ऐसा लगता है कि वह लड़की अर्ध-विक्षिप्त है और उसने हिस्टीरिया के दौरे में कैंची को निगल लिया था। 28 अक्तूबर, 1964 की प्रेस रिपोर्ट से यह भी मालूम होता है कि उसके पाखाने में छोटा बक्सुआ भी पाया गया था।

बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी समिति

*218. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री पें० वैंकटासुब्बया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाढ़ नियन्त्रण सबंधी मंत्रियों की समिति ने सरकार को एक अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) सरकार ने उनके कितने सुझावों को स्वीकार किया है ; और

(घ) उन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, अभी नहीं। समिति के संयोजक ने सदस्य, योजना कमीशन के प्राकृतिक संसाधन को, एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि चतुर्थ योजना में बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिये 300 करोड़ रुपये आवश्यक होंगे।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

अनाज के अतिरिक्त अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के भाव

*219. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री ह० चं० सोय :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री 10 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत दो महीनों में अनाज के अतिरिक्त अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के भाव किस सीमा तक बढ़ते रहे थे ; और

(ख) भावों को बढ़ने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं तथा उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख) जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी--3465/64]**

आय पर दोहरे कराधान को रोकना

*220. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय पर दोहरे-कराधान को रोकने के करारों पर संयुक्त अरब गणराज्य तथा फ्रांस की सरकारों से बातचीत करने के बाद भारत का एक शिष्टमंडल वापस लौट आया है ;

(ख) काहिरा में प्रारूप के रूप में करार की क्या शत बनाई गई हैं ;

(ग) क्या ये करार उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित हैं जिन पर भारत ने अन्य देशों से करार किये हैं ; और

(घ) क्या पेरिस में हुई बातचीत के परिणामस्वरूप मुख्य बातों पर समझौता हो गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित करार प्रारूप अवस्था में है और उसका अभी अनुसमर्थन होना है।

(ग) संयुक्त अरब गणराज्य और भारत में प्रचलित परिस्थितियों की दृष्टि से समुचित सुधारों के अधीन रहते हुये, प्रस्तावित करार का प्रारूप उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित ह जिन पर भारत ने दूसरे देशों के साथ समरूप करार किये हैं।

(घ) पेरिस में हुई बातचीत के फलस्वरूप उन सभी बातों का निपटारा हो गया जो पहले बची हुई थीं।

राज्य बैंक

*221. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी : }

क्या **वित्त** मंत्री 1 अक्तूबर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 511 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बैंक के मार्गदर्शन के लिये कोई सामाजिक सिद्धान्त नियत किये गये हैं तथा उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) बैंक से ग्रामीण भारत तथा छोटे उद्योग क्या आशा कर सकते हैं ; और

(ग) क्या क्षेत्रीय कर्मचारियों को, प्रभावोत्पादक रूप से काम करने के लिये प्रशिक्षित तथा अनुस्थापित करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है अथवा बनानें का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) जी हां। राज्य बैंक और उसके सहायक बकों से यह आशा की जाती है कि जिन इलाकों में अब तक वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना न हुई हो, वहां वे बैंकिंग संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करें, सर्वसाधारण को, मुफ्त या सस्ती दरों पर, रुपया भेजने की सुविधायें प्रदान करें, और जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक के कार्यालय न हों, वहां नक़दी तिजोरियों (करेंसी चेस्ट) और छोटे सिक्कों के भंडारों (डिपो) का प्रबन्ध करें तथा सरका ी खजाने संबंधी कारोबार करें। उनसे यह भी आशा की जाती हैं कि वे छोटे पैमाने के उद्योगों और सहकारी समितियों को सहायता दें।

(ग) राज्य बैंक ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये विभिन्न प्रतिष्ठानों में, जिनमें हैदराबाद का स्टाफ कालेज भी शामिल है, व्यवस्था की है।

'सी' बिजली घर, दिल्ली

*222. { **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ स्टेट का दिल्ली का 'सी' बिजली घर 6 नवम्बर, 1964 को मरम्मत के लिये बन्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या खराबी आ गई थी ;

(ग) क्या इस बीच इसको बिल्कुल ठीक कर दिया गया है तथा यदि हां, तो कितना धन व्यय हुआ ; और

(घ) राजधानी के उद्योगों के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) संयंत्र के परीक्षण और उसकी सफाई करने के लिये 7 नवम्बर, 1964 की सुबह को बिजली घर बन्द कर दिया गया था।

(ख) संयंत्र के टर्बो-जनित्र में स्पन्दन उचित सीमा से अधिक देखा गया था।

(ग) संयंत्र का पुन: संयोजन किया जा रहा है और जापानी विशेषज्ञ महसूस करते हैं कि संयंत्र में फिर स्पन्दन नहीं होना चाहिये। खर्च उपस्त्र के सप्लाई करने वालों को देना है।

(घ) संयंत्र के बन्द करने से किसी उपभोक्ता पर प्रभाव नहीं पड़ा।

गुप्त धन का पकड़ा जाना

*223.
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० रानेन सेन :
डा० साराबीश राय :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम सेवक :
श्री हेम राज :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म कलाकारों के मकानों तथा लाकरों तथा विभिन्न राज्यों के अलग अलग, व्यापारियों के मकानों तथा दुकानों पर छापे मारने से प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक कितना गुप्त धन पकड़ा है ;

(ख) संबंधित व्यक्तियों/फर्मों के विरुद्ध क्या दंड विषयक कार्यवाही की गई है ;

(ग) गुप्त धन का पता लगाने के लिये और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) अब तक की गई खोज के आधार पर भारत में कितना गुप्त धन होने का अन्तिम अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फिल्म कलाकारों के मकानों तथा लाकरों पर अब तक मारे गये छापों में 393 सोने की गिन्नियों तथा 1,895 पौंड के मूल्य के यात्री-चैकों सहित विभिन्न मूल्य-वर्गों की विदेशी मुद्रा और 33,13,000 रु० की भारतीय मुद्रा पकड़ी गई है।

(2) महाराष्ट्र राज्य में व्यापारियों के मकानों तथा दुकानों से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 3 लाख रुपये के मूल्य के हीरे, कुछ अप्रचलित विदेशी मुद्रा, लगभग 9,000 रु० के मूल्य के सोने के सिक्के तथा 1,810 पौंड की स्टरलिंग मुद्रा के अतिरिक्त भारतीय मुद्रा में 5,46,550 रुपये की धनराशि पकड़ी गई है। मद्रास राज्य में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मकानों तथा दुकानों में 2,88,450 रु० की भारतीय मुद्रा पकड़ी गई।

(ख) इन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज कर लिये गये हैं तथा सम्बद्ध अधिनियमों के अधीन उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा रही है।

(ग) कर की चोरी को रोकने के लिये प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अनुबन्धों को दृढ़ बनाने के अतिरिक्त सरकार ने हाल ही में कुछ अन्य प्रशासनिक उपायों की घोषणा की है। इनमें से एक उपाय सूचना देने वालों को छिपे धन के बारे में सूचना देने के कार्य को, उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वसूल किये गये अतिरिक्त कर का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक पुरस्कार देकर, अधिक आकर्षक बनाना है। दूसरा ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने अपनी आय को छिपा रखा है, बिल्कुल ऐच्छिक रूप से उसे प्रकट करने की भावना को, कर निर्धारण के दौरान की गई पूछ-ताछ में उनके द्वारा दिये गये सहयोग की सीमा के अनुसार दंड लगाने के विषय में उचित प्रतिफल द्वारा, प्रोत्साहित करना है।

इस प्रश्न पर निरन्तर विचार होता रहता है और समय-समय पर कदम उठाये जा रहे हैं लेकिन प्रभावी होने के लिये, उनकी पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती।

(घ) छिपे धन की सीमा के बारे में अनुमान लगाने की जोखिम उठाना संभव नहीं है।

विद्युत् प्रशुल्क समिति

*224. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुम्रा :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राव :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, राजस्थान, मैसूर तथा मद्रास के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों के राज्य विद्युत् बोर्डों में बहुत हानि है ;

(ख) बोर्ड जिससे आत्म-निर्भर हो सकें तथा अपनी विस्तार योजनाओं में धन लगा सकें इस बारे में विद्युत दरों को निश्चित करने के लिये विद्युत् प्रशुल्क समिति ने क्या सिफारिश की हैं ; और

(ग) सरकार ने राज्यों को किस सीमा तक बाध्य किया है कि वह ऐसा काम करें जिससे विद्युत् परियोजनाओं पर विनियोजित पूंजी पर उचित धन मिल सके ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ला० राव) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—3469/64.]

आय-कर अधिकारियों के लिए कालीकट में क्वार्टर

496क. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल-स्थित कालीकट में आय-कर अधिकारियों के लिये क्वार्टर बनाने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से काम आरम्भ होगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) व्यय कम करने की वर्तमान आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये यही निश्चय किया गया है कि आय-कर अधिकारियों के लिये केरल-स्थित कालीकट में क्वार्टर बनाने का काम फिलहाल स्थगित किया जाय ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औषध जांचने की प्रयोगशाला

497. { **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध निरीक्षकों द्वारा मांगे हुए औषधों के नमूनों का विश्लेषण करने के लिये केरल में औषध जांचने की प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) इस समय नमूनों की जांच कहां पर होती है ;

(ग) विगत पांच वर्षों में कितने नमूनों की जांच की गई ;

(घ) उक्त अवधि में कितने अभियोग चलाये गये : तथा

(ङ) कितने व्यक्तियों को दोषसिद्ध ठहराया गया तथा कितनी अवधि की सजा हुई ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय केरल से मंगाये जाने वाले नमूनों की जांच सैंट्रल ड्रग्स प्रयोगशाला, कलकत्ता में होती है ।

(ग) 1959-60 से 1963-64 तक कुल 288 ।

(घ) 22 ।

(ङ) 16 व्यक्तियों को दोषसिद्ध ठहराया गया । राज्य सरकार से यह जानकारी मांगी गई है कि कितने-कितने समय की सजा इन अपराधियों को दी गई । ज्यों ही वह जानकारी प्राप्त होगी, त्यों ही सभा पटल पर रखी जाएगी ।

उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से एकत्र किया गया राजस्व

498. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1962 और 1963 में उड़ीसा राज्य से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से कितना राजस्व प्राप्त हुआ था ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :—

उड़ीसा राज्य

प्राप्त धनराशि
(हजार रुपयों में)

	वर्ष	
	(1962)	(1963)
कुल	7,48,46	14,05,73
वापिस की गई रकम .	9,60	18,75
शुद्ध प्राप्ति	7,38,86	13,86,98

होटलों के रसोइघरों पर छापे

499. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के पदाधिकारियों ने कहीं सितम्बर के अंत में राजधानी के कई फैशनपरस्त होटलों और रेस्तूराओं पर छापे मारे थे, और उन में से बहुत से होटलों आदि के रसोईघरों में बहुत गन्दगी पाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन होटलों और रेस्तूरांओं के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के स्वास्थ्य विभाग का यह साधारण कर्तव्य है कि वे नियमित रूप से उनके अपने अधिकार-क्षेत्र में स्थापित खान-पान के संस्थापनों पर धावा बोल देते हैं । अनुमान है कि उक्त प्रश्न में उन कई होटलों और रेस्तूरांओं का निर्देश है जिन पर 22 सितम्बर, 1964 को छापे मारे गए थे । उस समय दिल्ली के स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाता भी उस छापे में शामिल थे जो एन० डी० एम० सी० के कर्मचारी वर्ग द्वारा निरीक्षणार्थ मारे गए थे । उस तारीख को जिन रेस्तूरांओं का निरीक्षण हुआ था, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. टी हाऊस
2. गे लार्ड
3. स्टैंडर्ड
4. मिकाडो
5. मद्रास होटल
6. लक्ष्मी
7. न्यू नानकिंग

जिन चार रेस्तूरांओं में जो जो दोष पाए गए, उनके दोषसहित नाम इस प्रकार हैं :—

1. **गे लार्ड रेस्तूरां, रीगल बिल्डिंग :** रसोई का जालीदार दरवाजा खुला पड़ा था और मक्खियां अन्दर बन रहे खाद्य-पदार्थों पर भिनभिना रही थीं ।
2. **मिकाडो रेस्तूरां, ब्लाक 10, कनाट सर्कस :** (1) यह बहुत गन्दी हालत में रेस्तूरां चला रहे हैं । (2) खान-पान का सामान नंगा पड़ा था और उस पर मक्खियां बैठी थीं और गर्द जमी हुई थी । (3) रसोईघर की फर्श भी बहुत ही गन्दी थी ।
3. **लक्ष्मी रेस्तूरां :** (1) यह बहुत गन्दी हालत में रेस्तूरां चला रहे हैं । (2) खान पान का सामान ढका नहीं था और उस पर न केवल मक्खियां बैठी थीं बल्कि गर्द भी जमी हुई थी । (3) रसोईघर और भोजन कक्ष (डाइनिंग हाल) में जालीदार दरवाजे नहीं लगे थे ।

4. **मद्रास होटल :** रसोईघर के जालीदार दरवाजे खुले पाये गये थे और मक्खियां उन खाद्य वस्तुओं पर भिनभिना रही थीं जो रसोई की मेज पर खुली रखी गई थीं । रसोईघर में कोई भी कूड़ादान नहीं रखा गया था अतः रसोई का कूड़ा फर्श पर पड़ा देखा गया । रसोईघर बहुत गन्दी हालत में था ।

उपरोक्त दोषों के लिए इन रेस्तूरांओं को खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया है तथा इन के मामले न्यायालय में फैसले के लिए पड़े हैं । हां, यह भी है कि पंजाब म्यूनिसिपल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, इन में से तीन संस्थापनों से वहीं मौके पर 20–20 रुपये का जुर्माना इसलिए लिया गया कि उन्होंने कोई कूड़ादान रसोईघरों में नहीं रखा था । उन दण्डित संस्थापनों के नाम इस प्रकार हैं :— लक्ष्मी रेस्तूरां, मद्रास होटल और मिकाडो रेस्तूरां ।

मकानों के निर्माण के लिए भविष्य निधि से ऋण

500. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार मकानों के निर्माण के लिए भविष्य निधि से ऋण मंजूर करने में कुछ सख्ती बरतना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) कब से इस प्रस्ताव के लागू होने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) भविष्य निधि के वर्तमान नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं जिसके अधीन मकानों के निर्माण के लिए ऋण मंजूर किये जा सकें । किन्तु कुछ शर्तों के अनुसार अधीन रहते हुए भविष्य निधि में चंदा देने वालों को यह अनुमति दी गई है कि वे इस अभिप्राय के लिए अंतिम रूप से कुछ रुपया निकाल सकते हैं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

आपातकालीन आकस्मिक सेवा

501. { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री द० ब० राजू :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या संघ स्वास्थ्य मंत्रालय ने सितम्बर के अंत में राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों का एक सम्मेलन यहां दिल्ली में इसलिए आयोजित किया था कि वे भारत के सभी बड़े नगरों के लिए एक आपातकालीन आकस्मिक सेवा को स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करें ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या क्या निश्चय हुए ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की 11 वीं बैठक में स्वीकृत एक संकल्प के परिणामस्वरूप भारत के सभी बड़े-बड़े नगरों और कस्बों में आपातकालीन सेवाओं के स्थापित करने के प्रश्न की जांच स्वास्थ्य सचिवों की एक समिति को सौंपी गई थी । उसके पश्चात् पिछले सितम्बर में एक बैठक हुई थी और एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिस पर पिछले अक्तूबर में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की 12वीं बैठक में विचार हुआ था । समिति ने यह सिफारिश की थी कि सभी बड़े-बड़े अस्पतालों के कैजुएल्टी विभागों में इस प्रकार की उचित व्यवस्था की जाए जिस से कि दुर्घटनाग्रस्त अथवा सख्त बीमार व्यक्तियों का इन अस्पतालों में पहुंचने पर तत्काल उनका दाखिला हो और शीघ्रातिशीघ्र डाक्टरी उपचार हो । ऐसे एकक में घायल या बीमार व्यक्तियों की जान बचाने एवं उनका इलाज करने के लिए बुनियादी सहुलियतें होनी चाहिए तथा पूरे 24 घंटे की कर्मचारी वर्ग और डाक्टर की उपस्थिति होनी चाहिए । उक्त समिति ने सिफारिशें भी की थीं कि पर्याप्त खून देने, निदान कराने, जांच-प्रयोगशाला एवं एक्स-रे आदि की सेवायें भी इसी आपातकालीन सेवा द्वारा व्यवस्थित की जानी चाहियें । उन्होंने बड़े नगरों के लिए यह सिफारिश भी की थी कि एम्बुलैंस (आहत-वाहन) का संचय एवं पुनः योजन हो तथा केन्द्र के माध्यम से समायोजित प्रणाली को चलाया जाय । केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने राज्य सरकारों द्वारा विचार किये जाने और कार्यान्वियन के लिए कुछ सुझावों की सिफारिश की और उन पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगी ।

भाखड़ा ऋण की शर्तें

502. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री हेम राज :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पंजाब सरकार ने पुनः केन्द्रीय सरकार से यह याचना की है कि वह भाखड़ा ऋण की शर्तों को पुनरीक्षित करे ताकि परियोजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों पर के सुधार उपकर के बोझ को कम किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार ने क्या-क्या रियायतें मांगी हैं और उन पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ला० राव) : (क) जी हां ।

(ख) जो रियायतें मांगी गई हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान ऋण पर ब्याज न लिया जाय ;

(2) सिंचाई के विकास की प्रारम्भिक अवधि में ब्याज की दरों को कम कर दिया जाय ; और

(3) ऋणों के अनोत्पादक भाग को पूरा करने के लिए राज-सहायता मंजूर की जाय ।

पंजाब सरकार को दिये जा रहे ऋण की शर्तें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी समस्त देश में इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए दिये जाने वाले ऋणों की हैं, और इसीलिए यह संभव नहीं है कि किसी विशेष परियोजना के लिए इन शर्तों को उदार अथवा सरल बनाया जाय ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सहूलियतों पर व्यय

503. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सहूलियतों पर व्यय में हुई वृद्धि को पूरा करने की दृष्टि से योजना आयोग के उपसभापति ने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के समक्ष खाद्यान्न तथा कृषि सम्बन्धी कच्ची सामग्री बढ़ाने के विषय पर भाषण दिया था ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के सुझाव दिये गये थे ; तथा

(ग) राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया थी ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) यह सुझाव दिया गया है कि स्थानीय आयोजना का गठन इस प्रकार हो कि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त श्रम को बहुत बड़े पैमाने पर काम में लगाया जाय अपितु अधिक कृषि-औद्योगिक उत्पादन द्वारा ग्रामीण अर्थनीति में हुए विकास का बहुत बड़ा भाग उन के वित्तीय पहलू को पोषित करने के लिए नियोजित किया जा सके ।

(ग) अब तक केवल आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब के मुख्य मंत्रियों के उत्तर मिले हैं ।

कृष्णा नदी के पुल को क्षति

504. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री केप्पन :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार को यह सुझाव दिया था कि वह एक तकनीकी समिति की नियुक्ति करें जो नागार्जुनसागर बान्ध के समीम कृष्णा नदी पर स्थित विजयपुरी पुल के गिर जाने के कारणों की जांच करे ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के एक सदस्य, श्री ए० आर० वेंकटरामन के अधीक्षण में एक समिति नियुक्त की है । आंध्र प्रदेश सरकार के उस संकल्प, जिसके अधीन यह समिति गठित की गई, की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3470/64] ऐसा समझा जाता है कि समिति ने 31 दिसम्बर, 1964 तक इस काम के लिए समय की मांग की है ।

आसाम में बाढ़ और कटाव

505. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के कई संसद्-सदस्यों ने संघ के वित्त तथा योजना मंत्रियों और स्वयं उन से यह अभ्यावेदन दिया था कि आसाम में आने वाली बाढ़ों और वहां से होने वाले कटावों की समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या माना जाय ;

(ख) यदि हां, तो उनकी ठीक-ठीक मांगें क्या थीं ; और

(ग) उन पर सरकार का क्या निश्चय है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ला० राव) : (क) आसाम के कई संसद्-सदस्यों द्वारा वित्त मंत्री को पेश किया गया ज्ञापन मेरे मंत्रालय को भेजा गया है ।

(ख) अभ्यावेदन में संसद्-सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) भारत सरकार आसाम में बाढ़ों और कटावों की समस्या को अपना पूरा उत्तरदायित्व समझ कर तत्काल अपने हाथ में ले ;

(2) बाढ़ों सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट 1958 की रिपोर्ट में जिन उपायों की सिफारिश की है, उन्हीं के स्वरूपानुरूप, बिना समय नष्ट किए, जोरदार कदम उठाये जाने चाहियें ;

(3) तृतीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए इस प्रयोजन से विशेष उपबन्ध किया जाना चाहिए ; और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त उपबन्ध किया जाना चाहिए ।

(4) बाढ़ समस्याओं में विशेषज्ञता प्राप्त केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का एक उच्च शक्ति का एकक आसाम में तुरन्त स्थापित किया जाना चाहिये ।

(5) इस समस्या का अध्ययन करने तथा यथोचित परामर्श एवं सहायता प्राप्त करने के लिये नदी बाढ़ एवं कटाव विषयक अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की जानी चाहिये ।

(6) आसाम में बाढ़ों और कटाव की समस्या को सुलझाने के लिए एक बृहद् योजना बनाई जानी चाहिये और प्राथमिकता तथा क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उन पर कार्यवाही करनी चाहिये ।

(ग) अनेक सुझावों पर सक्रिय विचार हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा कटाव की समस्या पर विचार करने के लिए एक अध्ययन दल बनाया गया है । इस समस्या को सुलझाने के लिए और उस पर परामर्श देने के लिए एक वैदेशिक विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है । आसाम में पूछ-ताछ, जांच एवं अन्य कार्य के लिए एक पर्याप्त संस्था बनाने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है । बाढ़ों और कटावों की इस समस्या का मुकाबला करने के लिए आसाम सरकार को वित्तीय सहायता के अतिरिक्त सभी संभव तकनीकी परामर्श दिया जा रहा है ।

सड़कों और पुलों के लिए विकास-ऋण

506. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़कों और पुलों की विकास योजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन ने अभी हाल में 28.57 करोड़ रुपये का विकास ऋण मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) उस के अन्तर्गत योजनाओं का विवरण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ; फिर भी यह बता दूं कि 21 जून, 1961 को आई० डी० ए० ने राष्ट्रीय राजपथ परियोजना के लिए 28.57 करोड़ रुपये (60 मिलियन डालर) का ऋण मंजूर किया था ।

(ख) 1961 का यह ऋण अर्द्धवार्षिक किस्तों में लौटाया जायेगा, जो किस्तें अगस्त 15, 1971 को शुरू होंगी और फरवरी, 15, 2011 को समाप्त होंगी । यह ऋण ब्याज से मक्त है । आई० डी० ए० को उनके प्रशासनिक व्यय के लिये समय-समय पर ली जाने वाली धनराशियों या शेष राशियों पर प्रतिवर्ष 3/4 प्रतिशत सेवा-शुल्क देना होगा । इसकी अन्य सविस्तार जानकारी आई० डी० ए० क्रैडिट एग्रीमेंट नं० 3—आइ० एन० दिनांक जन, 21, 1961 में दी गई है । उक्त एग्रीमेंट की प्रतियां संसद-पुस्तकालय में रखी गई थी ।

(ग) जिस परियोजना के लिए यह ऋण दिया गया है, उसके अंग इस प्रकार हैं :—

(क) राष्ट्रीय राजपथ तथा पूर्वी बम्बई एक्सप्रेसवेज़, 19 बड़े पुलों सहित, के लगभग 660 मील (1050 किलोमीटर) का निर्माण एवं पुनर्निर्माण ।

(ख) बम्बई नगर की यातायात समस्याओं का तकनीकी और आर्थिक अध्ययन, जिसमें बन रहे एक्सप्रेसवेज़ का विशेष निर्देश है, तथा उक्त क्षेत्र में बनने वाले एक्सप्रेसवेज़ और राजपथ जो विचाराधीन हैं ।

बॉन ऋण की रुपयों में अदायगी

507. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रा० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपयों में बॉन ऋण की आंशिक अदायगी के प्रश्न पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के साथ कोई बात-चीत चल रही थी; और

(ख) यदि हां, तो बात-चीत का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से लिये गये ऋण पर ब्याज की आंशिक अदायगी को रुपयों में पूरा करने की बात-चीत पर आपस में विचार-विनिमय हुआ है; किन्तु यह मामला अभी भी प्रारम्भिक स्थिति में है ।

Publications brought out by Planning Commission

508. **Shri Vishram Prasad :**
Shri Bagri:

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the total number of publications brought out in 1964 by the various Working Groups and Planning and Programme Evaluation Organisation under the Planning Commission ;

(b) the number of those out by them published in Hindi ; and

(c) the arrangements being made for publishing the remaining publications in Hindi ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) 17.

(b) and (c). Arrangements are being made to translate one of these reports in Hindi. It is the endeavour of the Planning Commission to bring out an increasing number of publications meant for popular consumption in Hindi. This would exclude Publications such as technical studies of Projects and Programmes for the use mainly of Project authorities.

Printing of Gazette of India in Hindi

509. **Shri Vishram Prasad** :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether printing presses of the Government of India are in a position to print parts of Gazette of India, other than the Part I thereof, in Hindi also along with their English version ; and

(b) if not, when it is likely to make the necessary arrangements in this behalf ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes, to the extent indicated below :—

(*i*) All Sections of Part II.

(*ii*) Selected portions of Part III, *e.g.*, Notifications issued by the U. P. S. C. and Chief Commissioners of Hindi speaking Union Territories.

(*iii*) Selected portions of Part IV, *e.g.*, Advertisements and notices by private individuals and private bodies.

(b) The two main requirements are :—

(*i*) Additional staff, and

(*ii*) the availability of the material in Hindi.

Both these matters are being examined.

ठेकेदारों से वसूल किया गया धन

510. { **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय के मुख्य प्रविधिक परीक्षक संगठन की उपपत्तियों पर, उनके निर्माण-कार्य में हुई अनियमितताओं और प्रविधिक त्रुटियों के कारण, सितम्बर, 1964 में समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान ठेकेदारों से 2 लाख रुपये वसूल किये जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, कुल किये गये निर्माण कार्यों में से कितने कार्यों की जांच की गई थी ; और

(ग) इस सिलसिले में 1957 से अब तक ठेकेदारों से कितनी धनराशि वसूल की गई ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) उक्त अवधि में 132 निर्माण-कार्यों का निरीक्षण हुआ था किन्तु 2 लाख रुपये से अधिक की यह वसूली उन निरीक्षकों पर हुई थी जो पहले दिये जा चुके थे । मुख्य प्रविधिक परीक्षक संगठन सी० पी० डब्ल्यू० डी० के लगभग 10 प्रतिशत निर्माण-कार्यों की उनके निष्पादन होते समय और उसके बाद जांच किया करता है ।

(ग) 1957 से अक्तूबर, 1964 तक लगभग 19 लाख रुपये की वसूली की गई थी ।

दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन

511. { **श्री बागड़ी :**
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 17 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 255 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार और पश्चिमी बंगाल सरकारों के परामर्श से दामोदर घाटी निगम के कृत्यों और शक्तियों का पुनर्गठन करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किये जा चुके हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). यह मामला अभी भी पश्चिमी बंगाल और बिहार सरकारों के साथ विचाराधीन है। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

Prices of Building Construction Material

512. **Shri Naval Prabhakar** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the building construction material has registered a steep rise in price in Delhi ; and

(b) if so, the action proposed to be taken in the matter ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). There has been no steep rise in prices in Delhi in so far as bricks, cement, sand, iron and steel are concerned, as their prices are controlled by Government.

As regards timber, there is no statutory control on price or distribution. The price of this material has risen to some extent.

सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा भत्ता

513. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की कितनी अधिकतम आयु पर उन्हें शिक्षा भत्ता वापिस लेने का अधिकार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : उस पढ़ाई के वर्ष के अन्त तक जिसमें बच्चा 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, उन्हें बच्चों का शिक्षा सम्बन्धी भत्ता दिया जा सकता है। मिडल, हाई और हायर सेकण्डरी स्कूलों में शिक्षा के अध्यापन शुल्क से सम्बन्धित हाल की योजना के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई भी आयु-सीमित नहीं विहित की गई है।

सोने का तस्कर-व्यापार

514. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जून, 1964 से 10 अक्तूबर, 1964 तक देश में, राज्यवार, कितना तस्कर-व्यापार का सोना ज़ब्त किया गया, कहां-कहां पकड़ा गया तथा तस्कर-व्यापारियों के नाम क्या हैं; और

(ख) अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). पहली जून, 1964 से 10 अक्तूबर, 1964 तक, सीमा शुल्क, स्थल सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों द्वारा, राज्यवार, तस्कर-व्यापार से ज़ब्त किये गये सोने की मात्रा तथा उसका मूल्य, ज़ब्ती के स्थानों के नाम, तथा ज़ब्ती में पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या, आदि का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी०--3471/64]**। इस मात्रा में से लगभग 9.8 किलोग्राम सोना, जिसका मूल्य लगभग 52,500 रुपये है, ज़ब्त किया गया है। इन ज़ब्तियों में अन्तर्ग्रस्त 191 व्यक्तियों में से 38 व्यक्तियों के विरुद्ध, 10 अक्तूबर, 1964 की स्थिति के अनुसार अभियोग की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है अथवा होने वाली है। इन 38 व्यक्तियों में से न्यायालयों ने अब तक 5 को अपराधी ठहराया है। अपराधी सिद्ध हुए व्यक्तियों के नाम तत्काल उपलब्ध नहीं। न्यायनिर्णीत मामलों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों पर लगाये गये व्यक्तिगत अर्थदण्ड का कुल जोड़ लगभग 5,835 रुपये हैं। शेष मामले जांच एवं न्यायनिर्णयक के विभिन्न स्तरों पर हैं और इनमें न्यायालयों में लम्बित मामले भी सम्मिलित हैं। जब तक कि इन मामलों की जांच पूरी नहीं हो पाती, तब तक अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के नाम बताना वांछनीय नहीं होगा।

पंजाब के भारी और मध्यवर्ती उद्योग

515. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **योजना** मंत्री पहली अक्तूबर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1646 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पंजाब में भारी और मध्यवर्ती उद्योगों को स्थापित करने के लिए अधिक धनराशियां आवंटित करने का निर्णय तब से किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख). अभी नहीं, श्रीमान। उन कई परियोजनाओं के लिये जो अभी विचाराधीन हैं, अतिरिक्त धनराशियों की आवश्यकता होगी। इन के सम्बन्ध में जांच, आदि के पूरा होने पर ही समुचित निश्चय किया जाएगा।

पश्चिमी जर्मनी से सहायता

516. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने की कनसोर्टियम व्यवस्था के अधीन इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने अब तक पश्चिमी जर्मनी से 40 मिलियन डी० एम० प्राप्त किये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्राप्त राशि में से उक्त इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ने अब तक केवल 25 मिलियन डी० एम० राशि ऋण में दी है; और

(ग) उपलब्ध शेष राशि को विनियोजित न करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने अब तक फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से कनसोर्टियम व्यवस्था

के अधीन चार ऋण प्राप्त किये हैं जिन का कुल जोड़ 40 मिलियन डी० आर० है। कुल 25 मिलियन डी० एम० के पहले दो ऋणों के करारों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं और कार्पोरेशन ने इस धनराशि के उपऋण भी मंजूर किये हैं। कुल 15 मिलियन डी० एम० के तीसरे और चौथे ऋणों का अभी हाल में संकेत मिला है और उनके सम्बन्ध में करारों पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। फिर भी कार्पोरेशन ने इन दो ऋणों पर से उप-ऋण मंजूर करना आरम्भ किया है ।

Smallpox Eradication

517. **Shri Onkarlal Berwa :**
Shri Gulshan

Will the **Minister of Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the smallpox eradication programme has been discontinued ; and

(b) the quantity of anti-smallpox vaccines so far imported ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar (a)No.

(b) 362 million doses of anti-smallpox vaccine have so far been imported.

Survey of Tonsillitis Cases

518. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :

Will the **Minister of Health** be pleased to state :

(a) whether Government have in coordination with the All India Medical Research Council, made a broad survey of the tonsillitis cases in India :

(b) if so, the names of the places where such a survey has been made , and

(c) the result thereof

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

दक्षिण दिल्ली में भूमिगत जल

519. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में भूमिगत जल का स्तर अभी हाल में खतरनाक स्थिति तक पहुंच चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में इस प्रकार पानी का स्तर चढ़ जाने से कितने सरकारी भवनों तथा स्मारकों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) पानी के स्तर को चढ़ने से रोकने तथा इस प्रकार भवनों को क्षति से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) दक्षिण दिल्ली में भूमिगत जल का स्तर थोड़ा ऊंचा हो गया है ।

(ख) कोई भी नहीं ।

(ग) भूमिगत जल को बाहर निकालने तथा पानी के स्तर को जमीन के नीचे 10 फीट के स्तर पर रखने के लिए नई दिल्ली के सारे क्षेत्र में 303 नलकूप लगाये जा चुके हैं ।

जाली औषधियों के कारखाने

520. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्री राम हरख यादव :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) खाद्य- तथा खाद्योत्पाद-अपमिश्रण तथा जाली औषधि-निर्माण के विरुद्ध सदाचार समिति द्वारा चलाये गये देशव्यापी आन्दोलन को कहां तक सफलता मिली है ;

(ख) कितने अहातों की तलाशी ली गई है ; और

(ग) उनको क्या-क्या कड़ी सजाएं दी गईं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सदाचार समिति के माध्यम से खाद्य-अपमिश्रण के कई मामले ध्यान में आए और सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा उन मामलों की पैरवी हुई । अभी हाल में 2 अक्तूबर से 5 अक्तूबर, 1964 की अवधि में नई दिल्ली में सदाचार समिति ने भारत सेवक समाज की राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा के सहयोग से खाद्य-अपमिश्रण सम्बन्धी एक प्रदर्शनी का समायोजन किया था, जो बहुत ही हद तक सफल रही थी। सरकार के पास इस बात की कोई भी जानकारी नहीं कि क्या जाली औषधियों के निर्माताओं के विरुद्ध सदाचार समिति ने कोई देश-व्यापी आन्दोलन चलाया भी है ।

(ख) 1964 के अगस्त, सितम्बर, और अक्तूबर के महीनों में खाद्य-अपमिश्रण के सिलसिले में दिल्ली के स्थानीय अधिकारियों ने 11 अहातों (स्थानों) की तलाशी ली थी।

(ग) उपरोक्त तलाशियों के परिणामस्वरूप अब तक दो अभियोग चलाये गये हैं लेकिन इन में से अभी किसी पर भी निर्णय नहीं किया गया है ।

बेल्जियम से सहायता

521. **महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या वित्त मंत्री 24 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न सख्या 377 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) बेल्जियम सरकार ने जो धन राशि देने का वचन दिया था उसके मिलने में देर होने के क्या कारण हैं; और

(ख) यह बचनवद्ध राशि कब मिलेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) क्योंकि यह धनराशि किसी सरकार द्वारा दी जानेवाली है अतः कुछ देर होना एक स्वाभाविक बात है । चूंकि वस्तुओं के आयात के लिए यह ऋण उपलब्ध नहीं, इसलिए भी इसका इस्तेमाल किया जाना संभव नहीं ; यही कारण है कि इस वचनवद्ध राशि को प्रायः कारखानों के सामान तथा जलयानों के बड़े-बड़े आदेशों के प्रति समायोजित किया जाता है ।

(ख) आशा है कि यह ऋण चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले दिया जाएगा ।

मध्य वर्ग के निर्वाह-अंक

522. **महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या वित्त मंत्री 24 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 378 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य वर्ग के निर्वाह-अंकों को तैयार करने में कितना समय लगेगा ;

(ख) क्या निर्वाह-अंक विषयक रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) रिपोर्ट की दृष्टि में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) आशा है कि मध्यवर्ग के निर्वाह-अंकों के संपादन का कार्य 1965 के दौरान पूरा हो पाएगा ।

(ख) इन निर्वाह-अंकों सम्बन्धी रिपोर्ट को प्रकाशित करने का प्रस्ताव नहीं । मध्य वर्गीय परिवार रिपोर्ट, 1958-59 का पहला खण्ड प्रकाशित किया जा चुका है और उसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) निर्वाह अंकों के आधार पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी—इस प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जब ये अंक उपलब्ध होंगे ।

Illicit Trade in Opium

523. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(*a*) whether there has been any rise in the illicit trade in opium during the current year as compared to the last year ;

(*b*) the estimated quantity of opium and its value involved in this illicit trade ; and

(c) if so, the steps taken or proposed to be taken by Government to check this.

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) (a) Judging by the number of seizures so far made this year and the quantities seized, the answer is in the negative.

(b) On the basis of information so far available to the Ministry, 3165·765 kgms. of contraband opium valued at Rs. 2,72,256 approximately, has been seized in the current year up to 30th Sept., 1964.

(c) Government feels that steps taken by them are adequate.

सरकारी भवनों में आग लगने की घटनायें

524. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले कुछेक वर्षों में सरकारी दफ्तरों में आग लगने की अनेक घटनाओं और उन के कारण क्षति होने की बातों को दृष्टि में रखते हुए सरकार इस की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही करना चाहती है ;

(ख) क्या सरकारी दफ्तरों और सरकारी सामान का आग का बीमा कराया जा चुका है ;

(ग) क्या बढ़िया किस्म के बिजली के तार या सामान लगाने की कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) दफ़्तरी कर्मचारीवर्ग द्वारा ऐन मौके पर आग बुझाने की क्या व्यवस्था है और क्या किसी समय इसका निरीक्षण किया जा चुका है ?

आवास और निर्माण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) से (घ). सरकारी भवनों में लगाये गये बिजली के तार और अन्य सामान स्वीकृत स्तर के हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग समय-समय पर इस सामान की जांच करता है और जहां भी जैसी उचित कार्यवाही की अपेक्षा होती है, वह वहां वैसा ही करता है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास एक क्रमिक कार्यक्रम भी है जिसके अन्तर्गत वह नई दिल्ली स्थित सचिवालय-भवनों में लगे पुराने तारों को बदलता रहता है।

तत्काल आग बुझाने के लिए सरकारी भवनों में आग बुझाने का सामान दिया गया है अथवा दिया जा रहा है ।

सरकारी भवन और सामान का आग का बीमा नहीं किया जाता ।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन को बेची गई जीवन बीमा निगम की सम्पत्तियां

525. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अपनी कुछ संपतियां अभी हाल में ब्रिटिश इण्डिया कार्पोरेशन को बची हैं ;

(ख) यदि हां, तो किसको बेची हैं तथा कितनी राशि की संपतियां बेची हैं ; और

(ग) किन शर्तों पर इनका विक्रय हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण

526. श्री ओझा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अनुसूचित बैंकों ने पेशगी में दी जाने वाली अपनी रकमों में से लघु उद्योगों और सहकारी क्षेत्र को बहुत ही अल्प मात्रा में पहले की तरह ही पेशगियां दी हैं; और

(ख) उक्त बैंकों द्वारा इस प्रकार के विनियोजनों को बढ़ाने के लिए यदि सरकार कोई कार्यवाही करना चाहती है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 1963 के अन्त पर अनुसूचित बैंकों ने लघु उद्योगों और सहकारी समितियों को कुल 59.39 करोड़ रुपये की पेशगी दी थी। यद्यपि अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दी जाने वाली कुल राशियों के मुकाबले में ये पेशगियां पर्याप्त नहीं; फिर भी समूची स्थिति को देखकर यही कहा जा सकता है कि इन उद्यमों या एककों के संसाधनों या आवश्यकताओं के मुकाबले में ये पेशगी राशियां अपर्याप्त नहीं हैं।

(ख) अनुसूचित बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रत्येक लघु उद्योग को 1 लाख रुपये की सीमा तक पेशगियां दिलाने की योजना पहली जुलाई, 1960 से आरम्भ की जा चुकी है, और इन एककों को इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास बैंक द्वारा भी ऋण मंजूर किये जा सकते हैं तथा उनकी गारंटी दी जा सकती है । भारत के राज्य बैंक एवं उसकी शाखाओं से, जैसा कि उन के विकास-कार्य क्रम हैं, यह आशा की जाती है कि वे सहकारी संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता को बढ़ा दें ।

तापीय बिजली स्टेशन

527. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री राम सेवक :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में 100 मेघावाट तापीय स्टेशन लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कब अंतिम निर्णय किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी हां ।

(ख) उक्त राज्य से एक अग्रिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

जल-उपकर

528. { श्री अ० व० राघवन :
 { श्री पोट्टे काट्ट :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केरल सरकार ने अभी हाल में इस प्रकार के आदेश पास किए हैं कि चित्तूर तालुक के कृषकों से पहली नवम्बर, 1957 से भूतलक्षी रूप से जल-उपकर लिया जाय ;

(ख) क्या कोचीन सिंचाई अधिनियम, 1935 के अधीन यह उपकर केवल उन कृषकों से इकट्ठा किया जा सका जिन्हें अधिनियम के प्रवर्तन के बाद बने हुए नये सिंचाई निर्माण-कार्यों के पूरा होने से लाभ हुआ था ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस उपकर की वैधता को जांचा गया है ; और

(घ) आदिकाल से पानी इस्तेमाल करने वाले कृषकों को इस उपकार से उन्मुक्ति दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) (क) केरल सरकार ने 27-7-1963 को ये आदेश जारी किये थे कि चित्तूर तालुक के कृषकों से भूतलक्षी रूप से जल-उपकर लिया जाये । जिस तारीख से त्रावनकोर कोचीन सिंचाई अधिनियम लागू हुआ, उस से पहले की अवधि अर्थात् 1-4-1956 से 19-11-1956 तक के लिए पालघाट जिले में स्थित चित्तूर सिंचाई योजनाओं के लिए जल-उपकर की निश्चित दरें इस प्रकार थीं :—

(i) एक फसल के लिए गीली भूमि की सिंचाई —5 रुपये प्रति एकड़ ।

(ii) दोहरी फसल के लिए गीली भूमि की सिंचाई —7.50 रुपये प्रति एकड़ ।

(iii) शुष्क फसलों के लिए शुष्क भूमि की सिंचाई —10 रुपये प्रति एकड़ ।

20–11–1956 से इधर की अवधि के लिए जलकर की दरों को त्रावनकोर-कोचीन सिंचाई नियम, 1958 में विहित प्रक्रिया के अनुसार ही निश्चित किया गया था । उक्त नियमों के नियम 5(क) के अधीन उपरोक्त जल उपकर की दरें अस्थायी रूप से 20–11–56 से इधर की अवधि के लिए भी लागू की गईं । सिंचाई सुविधाओं की तारीख पहली अप्रैल, 1956 निश्चित की गई ।

(ख) भूतपूर्व कोचीन क्षेत्र में, बुनियादी कर लगाने से पहले ही यह उपकर राजस्व के साथ-साथ लिया गया था । अतः जल-उपकर, जो इस प्रकार का है, कृषकों से इकट्ठा नहीं किया गया ।

(ग) इस उपकर की वैधता की जांच की गई और स्थिति यह है कि 1–4–1956 से 19–11–1956 तक चित्तूर तालुक में यह कोचीन सिंचाई अधिनियम लागू था और इसीलिए उक्त विधान में उपबन्धित इस जल उपकर का निर्धारण किया जाना चाहिए । यद्यपि कोचीन अधिनियम निरसित किया जा चुका है फिर भी परिणामतः इस प्रकार का निर्धारण वैध होगा क्योंकि त्रावनकोर कोचीन व्याख्या एवं साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 4(ग) के अन्तर्गत किसी भी अधिनियम के निरसन से उस अधिनियम से प्राप्त होने

वाले अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और निरसन की तारीख को ही सरकार को उपकर लगाने का अधिकार पहले से प्राप्त हो चुका था। 20-11-1956 से इधर की यह सिंचाई उपकर त्रावनकोर-कोचीन सिंचाई अधिनियम (1956 का 7 वां) के अन्तर्गत लगाया एवं इकट्ठा किया जाना चाहिए। कर-निर्धारण की ओर कोई प्रणाली अवैध होगी।

(घ) त्रावन्कोर-कोचीन सिंचाई अधिनियम के अनुसार उन कृषकों से, भी अधिनियम के प्रवर्त्तन से पहले या बाद में सम्पादित किसी भी सिंचाई कार्य से लाभान्वित होते हों, यह जल उपकर देय है और इसीलिए उस से उन्मुक्ति का प्रश्न पैदा नहीं होता।

हट्टी स्थित सोने की खानें

529. **श्री उमानाथ :**
श्री प० कुन्हन :

क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने हट्टी गोल्ड माइन्ज को०, रायचूर (मैसूर) को मैसूर सरकार से हथियाने का विचार छोड़ दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) इन खानों से उत्पादित होने वाले सोने की मात्रा तथा उसके उत्पादन पर लगने वाली ऊंची लागत और स्वर्ण नियंत्रण नियमों के प्रख्यापन के परिणामस्वरूप परिवर्तित आर्थिक स्थिति की दृष्टि में यह आवश्यक नहीं समझा गया कि इन खानों को अवाप्त किया जाए।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी-विनियोजन

531. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान (तृतीय पंचवर्षीय) योजना के 4,100 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले में गैर-सरकारी क्षेत्र में अब तक कितनी पूंजी विनियोजित हुई है ; और

(ख) कृषि, लघु-एवं कुटीर-उद्योगों तथा सामाजिक सेवाओं में किन प्रणालियों एवं साधनों द्वारा ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी-विनियोजन का अनुमान लगाया जाता है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी-विनियोजन के ठीक-ठीक प्राक्कलन तैयार करना कठिन है। फिर भी, कम्पनियों के संतुलन-पत्रों और निर्गमित पूंजी, बैंक तथा अन्य संस्था सम्बन्धी ऋण, पूंजी वस्तुओं के आयात, आदि विषयक आंकड़ों से सम्बद्ध रिजर्व बैंक के विश्लेषण से यह पता चलता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल पूंजी-विनियोजन, यद्यपि वह विनियोजन का नमूना नहीं कहा जा सकता, मोटे तौर पर योजना के स्वरूपानुरूप रहा है।

(ख) जिन प्रणालियों एवं साधनों द्वारा ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में कृषि-लघु-एवं-कुटीर उद्योगों तथा सामाजिक सेवाओं में पूंजी-विनियोजन का अनुमान लगाया जाता है, उनकी सविस्तार व्याख्या मार्च, 1960 के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन के पृष्ठ 315-317

पर प्रकाशित "एस्टिमेट्स ग्रॉफ सेविंग्स इन दि इण्डियन इकानोमी" नाम के लेख में दी जा चुकी है । रिजर्व बैंक द्वारा किये गये अतिरिक्त क्रमिक ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण और केन्द्रीय सांख्यकी संगठन के अनेक प्रकाशनों जैसे अनेक साधनों से उपलब्ध जानकारी एवं नये आंकड़ों की दृष्टि में तब से अलग-अलग मदों के सम्बन्ध में अलग-अलग प्राक्कलन बनाने की प्रक्रियाओं में कुछ रूपभेद किया जा चुका है ।

लंकारणसर को जल-प्रदाय

532. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्री के सभापतित्व में 8 जुलाई, 1964 को हुई बैठक में किये गये निश्चयों के अनुसार लंकारणसर क्षेत्र (राजस्थान) को जल-प्रदाय के विषय में मौके की व्यापक जांच के सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग के पदाधिकारियों द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). जी नहीं; पुनरीक्षित अग्रिम रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा हो रही है ।

कर्मचारीवर्ग निरीक्षण एकक

533. **श्री कर्णी सिंहजी :**
श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार प्रभाग में स्थापित कर्मचारी वर्ग निरीक्षण एकक ने मितव्ययता और कार्य-प्रणाली सूत्रपात की दृष्टि से अपनी रिपोर्ट पेश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) कर्मचारीवर्ग निरीक्षण एकक वित्त मंत्रालय का ही एक भाग है और प्रशासनिक रक्षता के स्वरूपानुरूप मितव्ययता कराने में सरकार की सहायता करता है । यह एकक निरीक्षण तथा कार्य-अध्ययन के कार्यक्रम द्वारा सरकारी संस्थापनों में कर्मचारीवर्ग की स्थिति-संख्या आदि की पर्याप्ति का पुनर्विलोकन करता है । इसलिए इस एकक का कार्य एक लगातार स्वरूप का है और संगठनों सम्बन्धी अध्ययनों के पूरा होने पर ही यह एकक रिपोर्ट दिया करता है ।

(ख) 30-9-1964 को समाप्त होने वाली छमाही में इस कर्मचारीवर्ग निरीक्षण एकक ने 17 विभागों/संगठनों का पुनर्विलोकन पूरा किया था जिनमें कुल 13.43 लाख रुपये प्रति वर्ष के वेतनभोगी 416 पद फालतू पाये गये थे । मंत्रालयों/संगठनों द्वारा और अधिक कमचारीवर्ग रखने के कई प्रस्ताव भी आवश्यक पाये गये हैं ।

साधारण आवर्तक तथा संस्थापन-संधारण कार्यपदों के लिए कार्य-स्तर विकसित करने के हेतु इस एकक का एक कार्यकारी दल अलग से काम पर लगाया गया है । प्राप्ति-और प्रेषण अनुभागों से सम्बद्ध काम की मदों को अब तक पूरा किया जा चुका है ।

सिंचाई और विद्युत् का समन्वयकारी बोर्ड

534. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम् में सिंचाई और विद्युत् मंत्रियों के समन्वयकारी बोर्ड की एक बैठक अक्तूबर, 1964 में आयोजित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन बातों पर विचार किया गया और क्या-क्या निश्चय किये गये ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--3472/64]**

पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य आन्दोलन

535. { **श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश-भर के पहाड़ी क्षेत्रों में उग्र रूप से फैले गलगण्ड, कुष्ठ तथा रतिरोगों के उन्मूलन के लिए कोई विशेष आन्दोलन शुरू किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के लिए 1964-65 के दौरान केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई थी, और पहाड़ी क्षेत्रों में इन योजनाओं की वर्तमान प्रगति क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). देशभर में, जिसमें पहाड़ी-क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, गलगण्ड, कुष्ठ तथा रतिरोगों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चल रहे हैं :—

गलगण्ड उन्मूलन योजना : गलगण्ड उन्मूलन योजना के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश स्थित महासु, मण्डी, चम्बा, सिरमौर, बिलासपुर और किन्नौर जिलों को तथा उत्तर प्रदेश स्थित टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, देहरादून, बिजनौर, चमोली, उत्तर काशी, पिठोरागढ़, अल्मोडा और नैनीताल जिलों को आयोडाइज्ड़ लवण दिया जा रहा है । यह आयोडाइज्ड लवण साम्भर झील के संयंत्र में बनाया जा रहा है जो नवम्बर, 1962 से चालू हो गया है । कलकत्ता में एक और आयोडाइजेशन संयंत्र लगाया जा रहा है जो नागालैण्ड, नेफा एवं मनिपुर राज्यों को तथा पश्चिमी बंगाल स्थित जलपायगुडी और दार्जिलिंग जिलों को आयोडाइज्ड लवण मुहैया किया करेगा ।

हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० को इन संयंत्रों की स्थापना के लिए 1964-65 के दौरान 5,50,000 रुपये की राशि अनुदान के रूप में आवंटित की गई थी । जून, 1964 तक दी गई आयोडाइज्ड लवण की मात्राएं इस प्रकार हैं :—

पंजाब—1496 टन ।

हिमाचल प्रदेश—1898.5 टन ।

बिहार—5270.9 टन।
उत्तर प्रदेश—2385.0 टन।

रतिरोग उन्मूलन कार्यक्रम : हिमाचल प्रदेश और कुल्लू घाटी (पंजाब) के पहाड़ी क्षेत्रों में रतिरोग उन्मूलन कार्यक्रम चलता रहा है। उत्तर प्रदेश में वहां के रतिरोग संगठन द्वारा रतिरोग उन्मूलन सम्बन्धी सामूहिक उपचार, जो 1949 में आरम्भ किए गए थे, जारी रखे गये हैं। इन लगातार उपचारों के परिणामस्वरूप, इस रोग की व्यापकता दर जो 1951 में 48.9 प्रतिशत थी अब घट कर 1962 में 18.0 प्रतिशत तक आ गई है। कुलू घाटी में एक सामूहिक आन्दोलन भी आयोजित किया गया था जिस के अन्तर्गत 77,413 व्यक्तियों का इलाज किया गया। उक्त क्षेत्र में इस रोग का एक सर्वेक्षण भी किया गया जिस से यह पता चला कि इस रोग की व्यापकता पहले से बहुत कम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश स्थित देहरादून जिले के जौनसार बावर परगना तथा टिहरी गढ़वाल और उत्तर काशी जिलों के जौनपुर पावा में रतिरोगों की रोकथाम के लिए एक व्यापक उपचार आन्दोलन की योजना आयोजित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रतिरोग उन्मूलन के इस विशेष सामूहिक कार्यक्रम पर लगभग 64,582 रुपये व्यय की जाने की आशा है। केन्द्रीय सरकार उगभग 2 लाख रुपये के 'पाम' के निःशुल्क प्रदाय के अतिरिक्त अनावर्तक व्यय का 75 प्रतिशत और आवर्तक व्यय का 50 प्रतिशत भी देगी।

कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम : केवल पहाड़ी क्षेत्रों में कुष्ठ-उन्मूलन की कोई अलग योजना नहीं है। फिर भी आसाम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काशमीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र जहां कुष्ठ रोग को स्थानीय रोग माना जाता है, भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ काल से उक्त राज्यों में कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र, सर्वेक्षण शिक्षा तथा उपचार केन्द्र और कई स्वयंसेवी कुष्ठनिवारण संगठन काम करते रहे हैं। अनेक राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कुल 66,081 कुष्ठ रोगी पंजीकृत हुए हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग से फंडों का आवन्टन नहीं किया गया है। राज्य सरकारों को केन्द्र से सहायता दिलाने के लिए 1964-65 के दौरान 50 लाख रुपये का बजट उपबन्ध किया जा चुका है।

टिक्केपाड़ा बांध परियोजना

536. श्री सुरेन्द्र पाल द्विवेदी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उन्हें टिक्केपाड़ा बांध परियोजना के सम्बन्ध में कोई विस्तृत अग्रिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग और योजना आयोग ने इस रिपोर्ट की छानबीन की है; और

(ग) क्या इसे केन्द्रीय परियोजना के रूप में हथियाया जाएगा अथवा राज्य सरकार पर ही छोड़ा जाएगा?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में इस रिपार्ट की जांच की जा रही है। जांच होने के बाद इस रिपोर्ट को योजना आयोग की सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण तथा विद्युत् परियोजनाओं की सलाहकार समिति के पास भेजा जाएगा।

(ग) यह प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब यह परियोजना कार्यान्वियन के लिए मंजूर की जाएगी।

योगिक अनुसन्धान संस्थाएं

537. **श्री हेम राज** : क्या स्वास्थ्य मंत्री 12 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 548 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विविध रोगों तथा स्वास्थ्य पर योगिक अभ्यासों के चिकित्सा सम्बन्धी मूल्यों के विषय में अनुसन्धान करने वाली उन योगिक संस्थाओं के नाम क्या हैं, जिन को 1964–65 में सरकारी सहायता प्राप्त करने की सिफारिश हुई है ;

(ख) सहायता के रूप में कितनी राशि की सिफारिश हुई है तथा वास्तव में कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) क्या नई दिल्ली की योग प्रसार समिति को कोई सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :(क) और (ख). 1 योग अनुसन्धान सलाहकार समिति ने अभी 1964–65 में दिये जाने वाली अनुदानों की अदायगी की सिफारिश नहीं की है।

(ग) जी नहीं।

सिंचाई और विद्युत् परियोजनाए

538. **श्री किशन पटनायक** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया है कि सिंचाई और विद्युत् की कई एक बड़ी परियोजनायें राज्य सरकारों से ले कर केन्द्र द्वारा ही चलाई जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय हुआ है; और

(ग) कौन सी तथा किन किन राज्यों से ये परियोजनायें केन्द्र द्वारा ली जाने वाली हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

उत्तर प्रदेश के स्वर्णकारों को रोजगार

539. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्णनियंत्रण आदेश के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए स्वर्णकारों को रोजगार दिलाने के लिये उत्तर प्रदेश में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) इन संस्थाओं को सरकार द्वारा अब तक किस प्रकार की वित्तीय सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). राज्य सरकार से यह जानकारी आने वाली है। प्राप्त होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

परिवार नियोजन चिकित्सालय

540. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अलग-अलग, इस समय कितने परिवार नियोजन चिकित्सालय चल रहे हैं; और

(ख) पहली अप्रैल, 1963 से 31 अक्तूबर, 1964 तक राज सहायता अथवा ऋण के रूप में उन के लिये कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) उत्तर प्रदेश राज्य में इस समय चल रहे परिवार नियोजन चिकित्सालयों की, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अलग-अलग, संख्या इस प्रकार है:—

परिवार नियोजन चिकित्सालय

शहरी	ग्रामीण	कुल जोड़
105	695	800

(ख) राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जाएगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

541. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश राज्य में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के सभी सामुदायिक विकास खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है जिस के अन्तर्गत सभी विकास-खण्डों में ये केन्द्र खोले जायेंगे तथा हर एक में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 558

(ख) जी नहीं।

(ग) उत्तर प्रदेश में कुल 875 सामुदायिक विकास खण्ड हैं।

चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या—558

खोले जाने वाले शेष केन्द्रों की व्यवस्था इस प्रकार होगी :—

अगले 3 महीनों में—89

1964–65 के अन्त तक—120

1965–66 के अन्त तक—108

चाय, कॉफी, रबड़ और इलायची के बागानों से आय

542. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तथा राज्यों के करों तथा दोनों तरह के मिले जुले करों के कारण राज कोष में इस समय चाय, काफी, रबड़ और इलायची बागानों से प्राप्त आय का कितना भाग जाता है; और

(ख) देश भर में इन करों की निर्धारण-प्रणाली का सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) केन्द्रीय तथा राज्यों के करों विषयक बागानों के वास्तविक कर-निर्धारण के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी अभी हाल में कम्पनी-वित्तों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार, कुछ एक प्रतिनिधि बागान कम्पनियों द्वारा संतुलन-पत्रों में उपबन्धित कर की औसत इस प्रकार थी :—

	कर से पहले के लाभों की प्रतिशतता के रूप में कर-उपबन्ध (केन्द्रीय और राज्यों के प्रत्यक्ष कर) गणना के वर्ष		
	1960—61	1961—62	1962—63
(1) मुख्यतः चाय का उत्पादन करने वाले बागान .	46·5	51·8	61·4
(2) मुख्यतः काफी का उत्पादन करने वाले बागान . . .	25·5	43·5	54·1
(3) मुख्यतः रबड़ का उत्पादन करने वाले बागान	50·5	56·4	49·4

केन्द्रीय तथा राज्य के करों के उपबन्धों के लिए आंकड़ों की अलग अलग प्रतिशतता उपलब्ध नहीं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि रबड़ और काफी उत्पादन से प्राप्त होने वाली सारी आय कृषि सम्बन्धी आय समझी जाती है, और इसीलिये वह केन्द्रीय आयकर से मुक्त है, जब कि चाय उत्पादन से होने वाली आय का 60 प्रतिशत कृषि-मूलक आय मानी जाती है और शेष 40 प्रतिशत पर ही केन्द्रीय आयकर निर्धारित होता है।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय ने अभी हाल में एक समिति नियुक्त की है जो चाय उद्योग की आवश्यकताओं तथा उस को दी जाने वाली सहायता की जांच करेगी। चाय पर करों का गठन और आवश्यकतानुसार कर से उन्मुक्त करने के समुचित उपायों सम्बन्धी सुझाव की जांच उक्त समिति के निर्देश-पदों में सम्मिलित हैं। समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही बागान उद्योग की कराधान-समस्याओं के संदर्भ में और आगे कार्यवाही की जाएगी।

केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य-योजना का बढ़ाया जाना

543. **श्री हेम राज**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 17 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 253 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के लाभों को इस समय के लाभान्वित व्यक्तियों के अन्य सम्बन्धियों तक, यदि वे भी अंशदान करें तो, बढ़ाया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर क्या निश्चय किया जा चुका है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) क़िदवई नगर, लक्ष्मी बाई नगर, एण्ड्रूज गंज और मोती बाग स्थित केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य योजना औषद्यालयों से सम्बद्ध डाक्टरी चिकित्सा के क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के अनधिकृत सम्बन्धियों तथा अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों को इस समय 18·40 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति, बशर्ते कि यह चन्दा 12 रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार से न बढ़े, चन्दा लिया जा रहा है और केन्द्रीय सरकार की इस स्वास्थ्य योजना से लाभ उठाने के लिये उन्हें पहली जुलाई, 1964 से इसमें शामिल कर दिया गया है। इस योजना को नार्थ और साऊथ एवेन्यू तक बढ़ाने की मंजूरी दी जा चुकी है। इन 6 स्थानों से हमें जो अनुभव प्राप्त होंगे उन की दृष्टि में इस योजना को अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जाएगा ?

पौधशाला

544. **श्री मुरली मनोहर** :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में पूना के निकट कोथरूड में जड़ी-बूटी उद्यान और पौधशाला को विकसित करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पौधशाला का नामकरण नेहरू जी के नाम से होगा; और

(ग) इस पौधशाला पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) इस पौधशाला और उद्यान का नाम जवाहरलाल नेहरू आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स गार्डन एण्ड हर्बेरियम (जवाहर लाल नेहरू आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी उद्यान और पौधशाला) रखा जाएगा।

(ग) इस सम्बन्धी तत्काल कार्य के लिए 54,300 रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी है। ब्योरेवार लागत और योजनाओं का हिसाब, आदि लगाया जा रहा है जो संभवतः कई लाख रुपयों तक जाएगा।

गैर-सरकारी निगमों द्वारा पूंजी-निर्माण

545. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963-64 के दौरान गैर-सरकारी निगमों द्वारा पूंजी निर्माण का कोई अध्ययन किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो पहले के दो वर्षों के मुकाबले में क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) रिजर्व बैंक ग्राफ इण्डिया प्रतिवर्ष बहुत से गैर-सरकारी निगमों सम्बन्धी पूंजी-निर्माण की दरों के विषय में अध्ययन किया करता है। इस सम्बन्ध में नवीनतम अध्ययन 1962-63 के विषय में था, जो रिजर्व बैंक के जुलाई, 1964 के बुलेटिन में प्रकाशित किया गया था। कालान्तर में रिजर्व बैंक ग्राफ इण्डिया द्वारा 1963–64 सम्बन्धी इसी प्रकार का अध्ययन किया जाएगा, और उस के परिणाम संभवतः 1965 के मध्य तक प्रकाशित होंगे। कम्पनीज एक्ट की धारा 210 के अधीन, किसी भी कम्पनी को उस के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से छः महीने तक का समय संतुलन पत्र तैयार करने के लिये दिया जाता है और कम्पनीज रजिस्ट्रार के पास उसे फायल करने के लिये और 42 दिन का समय दिया जाता है। अध्ययन की पूर्ति में देर लगने का यही कारण है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रति रोग

546. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
डा० सारादीश राय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश में 13 से 19 वर्ष तक की आयु के युवक-युवतियों में रति रोग की व्यापकता बढ़ी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार रति रोग चिकित्सालयों में आने वाले कुल मरीजों में से 13 से 19 वर्ष तक की आयु के युवक-युवतियों का अनुपात 3 से 8 प्रतिशत तक है।

(ख) नैतिक तथा सदाचार की शिक्षा का अभाव, समुचित यौन-विद्या का अभाव, अन्धाधुन्ध सम्भोग के अधिक संयोग और ऐसे सम्भोग के खतरों से अनभिज्ञ होना तथा रति रोग की छूत आदि ही कई एक मख्य कारण हो सकते हैं।

(ग) नैतिक तथा सामाजिक सदाचार की संस्थाओं को 4 रति रोग निवारण चिकित्सालय चलाने की सहायता दी जा रही है; और उन चिकित्सालयों द्वारा रति रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दिलाने की व्यवस्था के लिए भी सहायता दी जा रही है। ऐसा प्रस्ताव है कि रति रोग सम्बन्धी विभिन्न आयु-वर्गों के निमित्त बनाये गये स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा कार्यक्रमों को और भी गहन एवं विस्तृत बनाया जाएगा ।

भारतीयों का औसत भोजन

547. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीयों का औसत भोजन एकांगी है और राष्ट्र की जीवन शक्ति बनाये रखने के लिये अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। भारत के अनेक राज्यों में वयस्कों और बच्चों की पोषण सम्बधी स्थिति का सर्वेक्षण किया गया था और उसे साधारणतः असंतोषजनक पाया गया। कमजोरी से होने वाली बीमारियों में अत्यधिक प्रचलित बीमारियां प्रोटीन, आयरन एवं विटामिन ए, विटामिन बी कांम्प्लेक्स एवं विटामिन सी, की अपर्याप्त उपभोग मात्रा के कारण हुई थीं। बहुधा भारतीय भोजन के मुख्य तत्व हैं—अनाज का अधिक उपभोग, और दुग्ध-उत्पाद, मांस और अण्ड, दालें, पत्तदार सब्जियां, ताज़ा फल आदि जैसी त्राता खोराक का कम उपभोग। दालों में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और मांस से मिलने वाले प्रोटीनों का भी अभाव है।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, भारतीय औषध अनुसंधान परिषद की पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला और राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा भोजन एवं पोषण सम्बंधी मामलों में लोगों को शिक्षा देने के अतिरिक्त देश भर में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान 222 चुने हुए खण्डों में व्यावहारिक पोषण का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा के उपचारों में अनेक प्रकार की खोराक के पोषक तत्वों, एवं सन्तुलित भोजन की तालिकाओं सम्बंधी जानकारी देने वाली पुस्तिकाओं का तैयार किया जाना और वितरण पोषण सम्बंधी प्रदर्शनियां और इश्तिहारों आदि का वितरण—ये सभी बातें शामिल हैं ताकि उपलब्ध खाद्य सामग्री के समुचित उपभोग से लोगों का पोषण सुधारा जा सके। व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि मुर्गी-बतख, दूध-एवं दुग्ध-उत्पाद, मछली, सब्जी, फल, आदि जसे संरक्षक भोजन का स्थानीय उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले और खराब होने वाली हानि इन खाद्य वस्तुओं का उपभोग किया जाय। यूनिसेफ़ की सहायता से आरम्भ किया गया मक्खन निकला दूध देने का कार्यक्रम भी है जिससे गर्भिणी स्त्रियों और बच्चों के पोषण सम्बंधी स्तर को सुधारा जा सकता है। आंध्र प्रदेश, आसाम, दिल्ली, गुजरात, केरल, लक्कद्वीप, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मनिपुर, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा मक्खन निकला 70,59,095 पौण्ड दूध का वितरण किया गया जिससे कुल 6,96,943 गर्भिणी स्त्रियों और अत्यल्प आयु के, स्कूल न जाने वाले, बच्चों को लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त गुजरात, मध्य प्रदेश, लक्कद्वीप, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों के स्कूलों में 50,46,734 पौण्ड दूध का वितरण हुआ जिससे 8,75,432 बच्चों को लाभ हुआ। इसी प्रकार का आवंटन यूनिसेफ़ द्वारा भी 1964-65 में कराया गया है।

पीलिया

548. श्री कपूर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिंह रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा संस्था ने अभी हाल में रक्तादान के फलस्वरूप यह रिपोर्ट दी है कि कई मरीज़ पीलिया के शिकार हो गये थे ; और

(ख) क्या इस छूत के कारणों के सम्बंध में कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नागपुर के निगम की बकाया की अदायगी

549. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर स्थित केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों द्वारा नागपुर के निगम को कुछ अदायगी करना बाकी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी जानी है ; और

(ग) अदायगी में देर के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) (क) से (ग) नागपुर के नगर निगम के अनुसार, 31 मार्च, 1964 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास निगम की 1,78,922·95 रुपये की बकाया राशि थी जो देय थी । इसमें सम्पत्ति-कर के 1,05,051·49 रुपये के दावे भी शामिल हैं । उक्त निगम जब राज्य सरकार के स्थानीय चन्दा लेखा के परीक्षक द्वारा प्रमाणीकृत सभी अपेक्षित जानकारी पेश करेगा तभी इन दावों की जांच की जाएगी ।

फिर भी, केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग ने संरक्षण एवं जल शुल्क के दावों के हिसाब में जुलाई और अक्तूबर, 1964 के दौरान 43,630·99 रुपये की राशि अदा की है ।

नई दिल्ली में सफाई

550. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नई दिल्ली में बहुत हद तक गन्दगी फैली हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो शहर को अधिक साफ और स्वच्छ रखने के लिए क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) दिल्ली में संतोषजनक सफाई तो नहीं है किन्तु अभी हाल में सफ़ाई के स्तर में कोई विशेष गिरावट नहीं आई है ।

(ख) नई दिल्ली की नगरपालिका द्वारा किये गये जिन उपाचारों से नई दिल्ली को अधिक साफ़ और स्वच्छ रखा जा सकता है, वे इस प्रकार हैं :—

(i) अलग अलग क्षेत्रों एव बस्तियों की सफ़ाई में सुधार करने के लिए वहां की स्थानीय स्वास्थ्य समितियों के सदस्यों की सहायता से सफ़ाई आन्दोलन चलाना ।

(ii) अनेक अनधिकृत स्थानों से फेरी वालों तथा उन पर कब्जा करने वालों को हटाना ।

(iii) कर्बला, पिलंगी, विनयनगर आदि स्थानों से अनधिकृत दुग्धशालाओं को हटाना । सफाई और सफाई से सम्बद्ध अन्य नागरिक विषयों की जांच, आदि कराने के लिए नई दिल्ली की नगरपालिका के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा नियमपूर्वक निरीक्षण कराने का प्रस्ताव दिल्ली के मुख्य आयुक्त के विचाराधीन है ।

नर्सिंग कालेज

551. **श्री राम हरख यादव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत के सभी राज्यों में सुसज्जित नर्सिंग कालेज खोलना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस प्रकार के कितने कालेज और कौन कौन से राज्यों में खोले जा चुके हैं तथा उनको क्या सफलता मिली है ; और

(ग) क्या भारत के शेष राज्यों के लिए इस दिशा में कोई विशेष योजना तैयार की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) . इस समय नर्सिंग में बुनियादी पाठ्यक्रम जिसके बाद बी० एस० सी० डिग्री मिल सकती है, के लिए 8 कालेज हैं ; और बुनियादी पाठ्यक्रमोत्तर पाठ्यक्रम, जिसके बाद नर्सिंग शिक्षा और प्रशासन में बी० एस० सी० डिग्री मिल सकती है, के लिए 2 कालिज हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं :—

बुनियादी पाठ्यक्रम :

1. कालिज आफ नर्सिंग, नई दिल्ली ।
2. स्कूल आफ नर्सिंग, वेल्लोर ।
3. स्कूल आफ नर्सिंग, हैदराबाद ।
4. कालिज आफ नर्सिंग, इन्दौर ।
5. कालिज आफ नर्सिंग, जे० जे० अस्पताल ग्रुप, बम्बई ।
6. कालिज आफ नर्सिंग जयपुर ।
7. एस० एन० डी० टी० यूनिवर्सिटी, बम्बई, का कालिज आफ नर्सिंग ।
8. आर्मड फोर्सेज़ कालिज आफ नर्सिंग, पूना ।

बुनियादी पाठ्यक्रमोत्तर पाठ्यक्रम :

9. कालिज ग्राफ नर्सिंग, चण्डीगढ़ ।
10. कालिज ग्राफ नर्सिंग, त्रिवन्द्रम् ।

इन कालेजों में प्रशिक्षण-कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से चल रहा है। गुजरात और पश्चिमी बंगाल सरकारों के विचाराधीन अपने-अपने राज्यों में एक-एक नर्सिंग कालेज बनाने का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है ।

बिहार में हैजा

552. { **श्री राम हरख यादव :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में विगत दो महीनों में हैजा एक महामारी रोग के रूप में फैला हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे 612 मरीज ध्यान में आए हैं और परिणामतः 200 मरीजों की मृत्यु हो चुकी हैं ; और

(ग) इस महामारी रोग के कुप्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) सितम्बर और अक्तूबर, 1964 के दौरान, राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 1030 हैजा के शिकार हुए जिनमें से 371 मरीजों की मृत्यु हुई ।

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जो उपचार किए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) महामारी रोग अधिनियम, 1897 का आश्रय लिया गया है और इसी के अन्तर्गत अनिवार्यतः टीका लगाने की पाबन्दी लगाई गई है ;

(2) जुलाई, 1964 से अक्तूबर, 1964 तक (अंशतः) हैजा की रोकथाम के 61,54,695 टीके लगाये गये ।

(3) पानी पीने के सभी कुओं का रोगाणुनाशन किया जा चुका है ।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(1) इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं का अव्यवस्थित होना

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : मैं असैनिक उड्डयन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं का अव्यवस्थित होना ।

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : अध्यक्ष महोदय, 9 सितम्बर, 1964 को, आपकी अनुमति से, मैंने सभा में एक विवरण दिया था जिसके दौरान मैंने उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया था जिनकी वजह से, इण्डियन कार्माशियल पायलट्स एसोसियेशन द्वारा स्वयं अपने उड़ान और ड्यूटी के समय की परिसीमाओं को लागू करने के परिणामस्वरूप इण्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के विमानों को चलाने के लिए पायलटों के कम समय तक उपलब्ध होने के कारण, कारपोरेशन की सेवाएं 22-8-1964 से छिन्न-भिन्न हो गई थीं। उस समय मैंने इस बात का संकेत दिया था कि सरकार ने स्वयं यह देखा है कि 22 अगस्त, 1964 से सेवाओं की असन्तोषजनक स्थिति सैंकड़ों यात्रियों में बढ़ती हुई अनिश्चितता और कठिनाइयों का वातावरण पैदा कर रही है जोकि कारपोरेशन और पायलटों के बीच उत्पन्न गतिरोध के शिकार थे और इसलिये सरकार ने कारपोरेशन को, जब तक यह झगड़ा चले तब तक के लिए, एक ऐसे परिचालन-कार्यक्रम को बनाने को कहा है जिसे निश्चित रूप से कायम रखा जा सके। मैंने यह आशा व्यक्त की थी कि कारपोरेशन के लिए अपने सामान्य परिचालनों को पुनः आरम्भ करना फिर संभव हो जायेगा। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि यद्यपि कारवेल सेवाएं और बहुत सी अन्य सेवाएं 9 सितम्बर, 1964 से बन्द कर दी गई थीं, फिर भी इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के प्रबन्धकवर्ग और उनके पायलटों के बीच समझौता कराने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के सचिव द्वारा किये गये आगे प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, पायलट अपने उड़ान और ड्यूटी के समय की परिसीमाओं का एकपक्षीय अनुपालन छोड़ देने पर और 22 अगस्त, 1964 से पहले लागू विनियमों के मुताबिक काम करने पर रजामन्द हो गये हैं। तद्नुसार, कारपोरेशन ने सामान्य परिचालनों को 13 सितम्बर, 1964 से पुनः आरम्भ कर दिया। मैं यहां यह भी कह दूं कि उड़ान और ड्यूटी के समय की परिसीमाओं के प्रश्न पर पायलटों के साथ समझौता करने के लिए अब तक किये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप अभी तक कोई औपचारिक क़रार नहीं हो सका है यद्यपि समझौते की सूरत निकल आई है। परिस्थिति कैसी भी हो, यह मामला नेशनल इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास है जिसके अध्यक्ष श्री जी० डी० खोसला हैं और यह आशा की जाती है कि जल्दी ही एक समझौता हो जायेगा और उसे ट्रिब्यूनल के समक्ष रख दिया जायेगा।

अचानक बहुत से पायलटों द्वारा बीमार होने की सूचना दी जाने के कारण 24 और 25 अक्तूबर, 1964 को बम्बई से चलने वाली बहुत सी सेवाओं को बन्द करना पड़ा या बहुत देरी से चलाना पड़ा और यहां तक कि आपातकालीन पायलट (स्टैण्ड बाइज) भी उपलब्ध नहीं थे। कारपोरेशन उन परिस्थितियों की, जिनके कारण पायलट बीमार होने की सूचना देकर, गैर-हाज़िर र थे और उनके खिलाफ की जा सकने वाली कार्यवाही, यदि कोई हो, की जांच कर रहा है। मैं यहां और कह दं कि कारपोरेशन का नियम यह है कि बीमारी के कारण 48 घण्टे तक की गैर-हाजिरी के लिए डाक्टरी सर्टिफिकेट देना आवश्यक नहीं है।

नवम्बर, 1964 के पहले सप्ताह में, पायलटों द्वारा उस सिद्धान्त को अपनाने के फलस्वरूप जिसे वे "नियम के अनुसार काम" (वर्क टु रूल) कहते हैं, कुछ सेवाएं अस्त-व्यस्त होने के कारण बन्द हो गयी थीं। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि कारपोरेशन के चेयरमैन द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर इन सेवाओं की स्थिति अब फिर सामान्य हो गई है।

इन रुकावटों के अलावा, और भी ऐसे अवसर आते हैं जबकि राडार, वायरलेस उपस्कर, इत्यादि जैसे अत्यावश्यक उपस्करों में दोष आ जाने और इंजन की खराबी के कारण हवाई

जहाज के चलने में देर हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप उड़ानें निर्धारित समय के बाद करनी पड़ती हैं। कभी कभी उन खराबियों को दूर करने वाले इंजीनियरी कर्मचारियों को काफी समय लग जाता है और ऐसी परिस्थिति में उड़ानों को बन्द करना पड़ता है; अन्यथा देरियां उन खराबियों को दूर करने पर लगने वाले समय पर निर्भर करती हैं। ये सब, इस प्रकार के मशीनी परिचालनों के मामलों में अपरिहार्य हैं और इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिए ही विशेष नहीं है।

इन देरियों के कारण यात्रियों को हुई असुविधा के लिए मुझे बहुत खेद है और मैंने कारपोरेशन को इन पर अधिक ध्यान से विचार करने को कहा है। इंजन की खराबियों और दूसरे मशीनी खराबियों के कारण होने वाली देरियों की नियतकालिक छानबीन की जा रही है और जहां कहीं संभव है देरियों को निश्चयात्मक रूप से कम करने के लिए कार्यवाही की जाती है। सभा को यह जानने की दिलचस्पी होगी कि देरियां किसी एक महीने में विभिन्न प्रकार के वायुयानों के चालनों के एक से कम से लेकर 5 प्रतिशत के बीच होती हैं। इंजीनियरी पद्धति और क्रियाविधियों का शीघ्र ही पुनर्विलोकन किया जाने वाला है और मैं आशा करता हूं कि इसके परिणामस्वरूप देरियां कम हो जायेंगी। पायलटों द्वारा बीमारी की सूचना देने के कार्य, और उनके द्वारा नियम के अनुसार काम के तरीकों को अपनाने से हुई देरियों के बारे में मैंने कारपोरेशन से कहा है कि वे इस प्रकार की देरियों को जिनकी वजह से बहुत से यात्रियों को कठिनाई और असुविधा होती है, बहुत गम्भीरता से लें। उन तरीकों के अलावा जिनको अपनाने से उपर्युक्त प्रकार की कठिनाई और असुविधा होती है, शिकायतों को ज़ाहिर करने के दूसरे तरीके भी हैं और मुझे उम्मीद है कि कारपोरेशन अपने कर्मचारियों में किसी भी कीमत पर यात्रियों की सेवा करने का भाव भर देने में सफल होगा और उन्हें ऐसे तरीके न अपनाने की प्रेरणा देने में भी सफल होगा जिनसे हानि होती है। मुझे यह बताने में बड़ी प्रसन्नता होती है कि वर्तमान चेयरमैन और आई० सी० पी० ए० की कार्यकारी समिति के बीच होने वाली बातचीत के फलस्वरूप उक्त एसोसियेशन ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें उन्होंने यात्रियों को हुई कठिनाई और असुविधा के लिए खेद प्रकट किया है और अपने सदस्यों को यह भी हिदायत दी है कि वे अपनी शिकायतों का इजहार करते समय या अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इनसे यात्रियों को कोई असुविधा और कठिनाई न होने पाये। मैं आशा करता हूं कि उपर्युक्त प्रगति के परिणामस्वरूप इस प्रकार की घटनाएं, जैसी कि हमने हाल में अनुभव की हैं, फिर नहीं होने पायेंगी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि बार-बार तकनीकी दोष पेदा हुए हैं और युवक पायलटों ने बीमार होने की सूचना दी है ? क्या सरकार ने आज तक किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? गत मास स्थिति के बारे में उनका क्या अनुमान है ?

श्री कानूनगो : तकनीकी दोषों को तो पूर्णतः रोका नहीं जा सकता। जहां तक स्टाफ की अनुशासनहीनता का सम्बन्ध है, पिछले तीन सप्ताहों में मैं समझता हूं कि स्थिति ठीक हो गई है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मशीनी त्रुटियां वास्तविक थीं अथवा उनका कोई और कारण था ?

श्री कानूनगो : वे वास्तव में ही मशीनी त्रुटियां थी।

सदन के गोष्ठी कक्ष में भूख हड़ताल के बारे में

Re : HUNGER STRIKES IN THE LOBBIES OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सभा के माननीय सदस्य श्री अ० क० गोपालन से पत्र मिला है कि वह इस सभा की लाबियों में भूख हड़ताल करना चाहते हैं क्योंकि केरल में खाद्य स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। माननीय मंत्री शायद आज ही इस बारे में वक्तव्य देंगे परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि इस संसद् की लाबियां अथवा कोई अन्य भाग इस तरह के प्रदर्शनों, हड़तालों या भूख हड़तालों के लिए नहीं हैं। पहले भी मैंने इसकी आज्ञा नहीं दी थी और अब भी नहीं दे सकता। सभा की बैठक समाप्त होने के बाद यह भवन पुलिस की रक्षा में सौंप दिया जाता है इसलिये किसी सदस्य के लिए लाबियों में भूख हड़ताल करना संभव न होगा। वह कहीं अन्यत्र ऐसा कर सकते हैं।

श्री **अ० क० गोपालन** (कासरगोड़) : मैं पिछले 13 वर्षों से यहां हूं और पहले मैं ने कभी ऐसा कदम उठाने की बात नहीं सोची। मैं जानता हूं कि लाबी में भूख हड़ताल करने की आज्ञा नहीं है परन्तु मैं इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं कई बार प्रधान मंत्री तथा खाद्य मंत्री को पत्र और तारें भेज चुका हूं कि केरल में खाद्य संकट बहुत गंभीर है और लोग मर रहे हैं। सात दिन पहले यहां एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी परन्तु फिर भी वहां की स्थिति सुधरी नहीं है और कुछ समाचार पत्रों ने केरल के संसद् सदस्यों और सरकार पर इसका दोष लगाया है।

जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैंने सभी संवैधानिक तरीके अपनाये हैं परन्तु मैं देखता हूं कि मेरे राज्य में लोग भूखे मर रहे हैं और मेरे लिये और कोई रास्ता नहीं है। मैं संसद् का अपमान नहीं करना चाहता क्योंकि मैं भी इसका सदस्य हूं। मैं ने प्रार्थना की थी कि कुछ सदस्य वहां जा कर अपनी आंखों से सारी हालत देखें। यदि वह भी नहीं किया जाता तो मेरे लिये और कोई रास्ता नहीं रह जाता। वहां के आन्दोलन में कांग्रेस वालों ने भी भाग लिया है। मैंने सोच समझ कर जो निर्णय किया है आप मुझे वैसा करने दें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : हमें कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : ध्यान आकर्षित करने वाली सूचना का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य हो जाने के बाद मैं उन सदस्यों को एक एक प्रश्न की आज्ञा दूंगा।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : संसद् सदस्यों के एक दल को उस राज्य में भेजने के बारे में क्या विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय वह प्रश्न हमारे सामने नहीं है। वह अलग प्रश्न है। 1959 में भी ऐसा हुआ था। श्री शिब्बनलाल सक्सेना ने भी ऐसा ही करना चाहा था परन्तु अनुमति नहीं दी गई थी।

श्री रंगा (चित्तूर) : संसद् सदस्यों का एक दल वहां भेजने का जो सुझाव दिया गया है उस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मेरे विचार में इस सुझाव पर विचार होना चाहिये, क्योंकि, जैसा कि आपको याद होगा, कुछ वर्ष पहले आसाम में गड़बड़ होने पर संसद् सदस्यों का एक दल वहां भेजा गया था।

श्री नाथ पाई : श्री गोपालन ने अपने राज्य के बारे में जो चिन्ता व्यक्त की है हम भी उससे चिन्तित हैं परन्तु उन्होंने जो तरीका सोचा है उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। सरकार को इस समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक सोचना चाहिये। संसद् का इस बारे में सीधा उत्तरदायित्व है क्योंकि उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन है। हमें कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिससे कि सभा की प्रतिष्ठा पर आंच न आए। आप सरकार पर जोर डालें कि बार बार यहां यह न कहा जाए कि जो कुछ हो सकता था कर दिया गया है। हम समझते हैं कि कुछ नहीं किया गया है। सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहियें।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान् जी मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने कहा कि वह लाबी में भूख हड़ताल नहीं कर सकते क्योंकि भवन पुलिस को सौंप दिया जाता है परन्तु संसद् की बैठक के दौरान वह ऐसा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि जब सभा की बैठक हो रही हो, उस समय अध्यक्ष ही पुलिस का सिपाही है।

श्री हेम बरुआ : सभा की बैठक के दौरान यदि मैं लाबी में भूख हड़ताल करता हूं तो मैं समझता हूं कि आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह बाहर चले जाते हैं और भोजन नहीं करते तो भला मैं आपत्ति क्यों करूंगा ?

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पश्चिम जर्मनी तथा भारत की सरकारों के बीच आदान प्रदान हुए पत्र

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं भारतीय उद्योगों में लगी जर्मन पूंजी के संरक्षण के बारे में 15 अक्तूबर, 1964 को भारत सरकार और पश्चिम जर्मनी की सरकार के बीच आदान प्रदान हुए पत्रों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3456/64]**

बंगाल वित्त (बिक्री-कर) अधिनियम आदि के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं निम्नलिखित पत्र पटल पर रखता हूं :—

(1) बंगाल वित्त (बिक्री-कर) अधिनियम, 1941 की, जिस रूप में वह दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू है, धारा 26 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत, दिनांक

17 सितम्बर, 1964 के दिल्ली गज़ट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ 4(33)/62-फाइनेन्स (इ) की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3457/64]**

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत, सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, 1960 में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 3 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1425

(दो) दिनांक 10 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1467

(तीन) दिनांक 10 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1468

(चार) दिनांक 24 अक्तूबर 1964 की जी० एस० आर० 1524

(पांच) दिनांक 24 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1525

(छः) दिनांक 24 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1526

(सात) दिनांक 31 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1573

(आठ) दिनांक 31 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1574

(नौ) दिनांक 31 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1575 **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3458/64]**

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत दिनांक 8 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1113 के शुद्धि-पत्र वाली दिनांक 10 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1469 की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3459/64]**

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति : —

(एक) दिनांक 10 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1465

(दो) दिनांक 10 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1466

(तीन) दिनांक 10 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1470

(चार) दिनांक 17 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1491

(पांच) दिनांक 17 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1492

(छः) दिनांक 17 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1493

(सात) दिनांक 24 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1527

(आठ) दिनांक 24 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1528

जिस में सीमा-शुल्क बाण्ड के अन्तर्गत निर्माण (सामान्य) संशोधन नियम 1964 प्रकाशित हुई हैं।

(नौ) दिनांक 24 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1529

(दस) दिनांक 24 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1530

(ग्यारह) दिनांक 31 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1570

(बारह) दिनांक 31 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1571

(तेरह) दिनांक 31 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० 1572

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3460/64]

(5) व्यय-कर अधिनियम, 1957 की धारा 41 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 10 अक्तूबर 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1471 में प्रकाशित व्यय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3461/64]

(6) उपहार-कर अधिनियम, 1958 की धारा 46 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिनांक 10 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1472 में प्रकाशित उपहार-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3462/64]

(7) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिनांक 10 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आ० 1473 में प्रकाशित धन-कर (संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3463/64]

(8) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत दिनांक 13 अक्तूबर 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3660 में प्रकाशित आय-कर (चौथा संशोधन) नियम 1964 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3464/64]

(9) केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 28 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1584 में प्रकाशित केन्द्रीय बिक्री-कर (पंजीयन तथा बिक्री) संशोधन नियम, 1964 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3465/64]

आगरी जाति को पिछड़ी जातियों की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने के बारे में याचिका

PETITION *RE* : CLASSIFICATION OF AGRI COMMUNITY AS A BACKWARD COMMUNITY

श्री (म० ला०) जाधव (मेलगांव) : कृषि समुदाय को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखने के बारे में मैं श्री सोनमाड दगडू वसवन्त और अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पेश करता हूं।

प्रतिरक्षा मंत्री (का) ब्रिटेन (कदौरा) के बारे में वक्तय

STATEMENT *RE* : DEFENCE MINISTER'S VISIT TO U.K.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं इग्लैंड के अपने दौरे के बारे में एक **वक्तव्य** सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3466/64)**

अध्यक्ष महोदय : इसे सदस्यों में परिचालित किया जाए।

श्री हेम बरुआ : मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: वे वक्तव्य का अध्ययन करने के बाद स्पष्टीकरण मांगें।

केरल में खाद्य स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *re* FOOD POSITION IN KARELA

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : केरल की खाद्य स्थिति संतोषजनक है (**अन्तर्बाधा**) वहां राशन के सम्बंध में जो वचन दिया गया है उसे पूरा करने के लिए सरकार को पर्याप्त अनाज दे दिया गया है। कोजीकोडे में एक जहाज से 10,000 टन चावल उतारा जा रहा है। दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में 3,000 टन चावल का एक जहाज पहुंचने की आशा है। इस मास के अन्त से पूर्व पंजाब और मध्य प्रदेश से 10,000 टन चावल और वहां पहुंच जायेगा। दिसम्बर की पहली छमाही में पाकिस्तान से 7,500 टन चावल के दो जहाज पाकिस्तान से पहुंच जाएंगे। इसी छमाही में 17,000 टन चावल थाईलैंड से पहुंच जायगा। आंध्र प्रदेश से प्रतिदिन 1,000 टन चावल भेजने और प्रतिमास 65,000 टन चावल देने के वचन के बदले 99,000 टन अनाज दिसम्बर में पहुंचाने का कार्यक्रम बना दिया गया है। राशन की व्यवस्था पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय मंत्री ने तो भविष्य का कार्यक्रम बनाया है। मैं जानना चाहता हूं कि केरल में इस समय अनाज की क्या स्थिति है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : स्थिति संतोषजनक है जैसा कि मैं बता चका हूं (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : वे ठोस उत्तर चाहते हैं।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : कुछ समय पहले केरल में स्थिति कठिन थी किन्तु 11 और 16 तारीख के बीच 19,000 से 20,000 टन और 17 से 24 तारीख तक 21,000 टन अनाज भेजा जा चुका है। कोजीकोडे में 10,000 टन चावल उतारा जा रहा है और आंध्र प्रदेश तथा मद्रास में निरन्तर अनाज भेजने की व्यवस्था कर दी गई है। इस समय स्थिति ऐसी है कि अनौपचारिक राशन व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि राशन की मात्रा कितनी है। क्या यह सच है 350 ग्राम अनाज दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : वे बता चुके हैं कि राशन में सुधार किया जा चुका है ।

श्री अ० क० गोपालन (कासरेगोड़) : वहां छः औंस चावल और छः औंस गेंहू का है। इस हिसाब से वहां प्रतिदिन 4,000 टन अनाज की आवश्यकता है। 11 और 18 तारीख के बीच जो अनाज वहां पहुंचा है वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि पहली दिसम्बर के बाद वहां और अनाज आने की संभावना ह। इसका यह अभिप्राय है कि अगले दस दिन में वहां भूखमरी की स्थिति होगी। केरल के गांव की जनसंख्या 120 लाख है जिन्हें प्रति व्यक्ति 360 ग्राम अनाज दिया जाता है। इस समय वहां पर्याप्त अनाज नहीं है ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं स्थिति को स्पष्ट करना चहाता हूं। माननीय सदस्य ने कुछ औसत के आधार पर गणना की है और हमने भी किसी औसत के आधार पर गणना की है और हमारी बात पर विश्वास करना चाहिये कि वहां अनाज पर्याप्त है ।

श्री रंगा (चित्तूर) : हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्री रंगा तो कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। वे भले ही न मानें। हम यदि यह कह दें कि अमुक दिन तक के लिए अनाज है तो उससे आतंक फैलता है।

नगर और गांव के राशन में अन्तर है। नगर में 6 औंस चावल और 6 औंस गेंहू तथा गांव में 4 औंस गेंहू और 3 ½ औंस चावल है। उसका कारण यह है कि गांव में कुछ अनाज उपलब्ध है। 29 तारीख से 3 ½ औंस चावल को बढ़ा कर 4 औंस कर दिया जायेगा। बाद में गेंहू का राशन भी 6 औंस कर दिया जायगा। कुछ मास में गांव का राशन नगर के बराबर कर दिया जायगा। हम यह नहीं कहते कि वहां हम जो कुछ दे रहे हैं वह पर्याप्त है। वास्तव में केरल ऐसा स्थान नहीं जहां कुछ पैदा नहीं होता बल्कि वहां कुछ पैदा होता है इसलिए हमारी धारणा थी कि गांवों में कुछ अनाज होगा ।

श्री अ० क० गोपालन : जब कोई व्यक्ति चोरबाजारी के माल की जानकारी थाने में देता है तो उसे पीटा जाता है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य तथ्य बताने की बजाय भावुकता में बह रहे हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यदि ऐसी घटना की सूचना दें तो हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे। इसके अलावा वहां की राशन व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं होगी और धीरे अनाज के भंडार में वृद्धि की जायेगी ।

श्री अ० क० गोपालन : मैं तीन बार इस बात की सूचना गवर्नर को दे चुका हूं।

श्री वासुदेवन् नायर (अम्बलपुजा) : मैं जानना चाहता हूं कि आज 26 नवम्बर हो गया है अब तक 65,000 टन में से कितना अनाज वहां भेजा जा चुका है। सभा को विदित है कि कई स्थानों पर इतना राशन दिया जाता है कि व्यक्ति का राशन दियासलाई की डिब्बी में आ सकता है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : प्रधान मंत्री आंकड़े दे चुके जिनका उपमंत्री ने समर्थन किया है।

श्री रंगा : कुछ आंकड़े उपमंत्री ने दिये हैं कुछ प्रधान मंत्री ने, उन्हें कुछ बताना चाहिये कि नवम्बर में कितना अनाज वहां भेजा गया है। क्या माननीय मंत्री को इस प्रकार का उत्तर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उपमंत्री ने तैयार उत्तर से आंकड़े बताये हैं। क्या हर मंत्री उन आंकड़ों का उल्लेख करे।

श्री रंगा : वे अब आंकड़े बता दें हम जोड़ लेंगे।

श्री मे० क० कुमारन (चेरियिन्कील) : मद्रास के मुख्य मंत्री ने बताया है कि केरल की खाद्य स्थिति में गड़बड़ का कारण यह है कि वहां का प्रशासन सर्वथा अरक्ष है। केन्द्रीय सरकार ने प्रशासन में दक्षता पैदा करने के लिए क्या किया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं समझता हूं कि सदस्य इस बारे में चिंतित हैं। मैं बता चुका हूं कि वहां नियमित रूप से अनाज भेजा जा रहा है। 24 नवम्बर तक वहां 36,850 टन या लगभग 37,000 टन अनाज भेजा जा चुका है।

श्री वासुदेवन नायर : प्रतिमास 65,000 टन अनाज देने के वचन में से 3½ औंस के हिसाब से अनाज दिया गया है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : ये सारे महीने के आंकड़े नहीं बल्कि 11 तारीख से 24 तारीख के आंकड़े हैं। उपमंत्री बता चुके हैं कि प्रति दिन 1000 टन चावल वहां पहुंच रहा है। उसके अलावा 10,000 टन चावल कोजीकोडे में उतारा गया है।

श्री नम्बियार : मद्रास अनाज नहीं दे रहा। वहां भी कमी है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिये। मद्रास अतिरिक्त खाद्यान्न वाला प्रदेश है। केरल की स्थिति के बारे में हम जागरूक हैं।

प्रशासन के सम्बंध में मैंने कल ही गवर्नर गिरी से बातचीत की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रशासन अनाज के वितरण की व्यवस्था भली प्रकार करेगा।

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक--जारी

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 25 नवम्बर को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए।"

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) श्रीमन इस पर विचार के लिए समय नियत कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : एक घंटा खण्डवार चर्चा के लिए है और 2 घंटे सामान्य विचार के लिए। गोड्डा/

श्री हिम्मतसिंहका (गोड़ा) : मैं कल कह रहा था कि वर्तमान अधिनियम में अपमिश्रण निवारण के लिए सभी उपबन्ध हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

इस विधेयक द्वारा वर्तमान अधिनियम के कुछ दण्ड बढ़ा दिये गये हैं। कुछ मामलों में दण्डाधीन का स्वविवेक का अधिकार छीन लिया गया है। खण्ड 7 और 10 में सराहनीय उपबन्ध किया गया है

क्योंकि उनके अन्तर्गत निर्माताओं को अपना माल देते समय खुदरा व्यापारियों को गारंटी दिया करेगा । यह अच्छा है क्योंकि खुदरा व्यापारी उस माल में मिलावट के लिए जिम्मेदार नहीं होते ।

मैं समझता हूं कि वर्तमान अधिनियम पर्याप्त है और आवश्यकता यह है कि उसे ठीक प्रकार से लागू किया जाए । कुछ वस्तुओं के बारे में जो नियम बनाए गये हैं वे त्रुटिपूर्ण हैं और उनमें सुधार करने की आवश्यकता है । मैं उनकी ओर निर्देश करना चाहता हूं क्योंकि निर्दोष लोगों को अकारण कठिनाई में नहीं डालना चाहिये ।

मिलावट वाले और घटिया माल में काफी अन्तर होता है । मिलावट तो तब होती है जब कोई हानिकर चीज मिलाई जाए और घटिया माल भी इस कानून के अन्तर्गत आता है । मैं कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहता हूं कि कानून को लागू करने में क्या कठिनाई होती है । आंध्र प्रदेश में घी का मूल क अंक 24 होना चाहिये किन्तु जब वह घी दिल्ली में लाया जाए जहां मूलक अंक 28 निर्धारित किया गया है तो वह मिलावट वाला समझा जायगा । इसी प्रकार मक्खन के सम्बंध में भी अलग२ स्थानों पर दध की चिकनाई की मात्रा अलग अलग रखी गई है और जो मक्खन एक स्थान पर शुद्ध है दूसरे स्थान पर मिलावट वाला समझा जाता है । इसलिए मिलावट वाली वस्तु और घटिया वस्तु में अन्तर को स्पष्ट करना चाहिये ।

इन उपबन्धों के अधीन जो नियम बनाए जायें उनका प्रचार करना चाहिये और दुकानदारों को बताना चाहिए कि वे निर्माताओं से गारन्टी लें । जहां माल तैयार होता है वहां पर जांच करनी चाहिये, ताकि दूकानदार को व्यर्थ में कठिनाई न हो ।

स्वास्थ्य मंत्रालय को ऐसी वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये जिन में अधिकांशतः मिलावट होती है जैसे खाद्य तेल, दवाइयां और घी दूध आदि । ऐसा करने से निरीक्षकों का काम बहुत सुगम हो जायगा ।

अब कानून यह है कि एक क्विंटल गेहूं में यदि एक किलो चने हों तो उसे मिलावट वाला माना जाता है । निश्चय ही उपबन्धों का यह आशय नहीं था ।

इसलिए मुझे आशा है कि जब नियम बनाए जायेंगे तो इन बातों का ध्यान रखा जायगा और हिदायतें देते समय पूरी सावधानी बरती जायगी । ध्यान यह रखना चाहिये कि वस्तुओं से लोगों को हानि न हो । निरीक्षकों को चाहिये कि वे लोगों को बतायें कि किन दुकानों से शुद्ध वस्तुएं मिलती हैं । अलग अलग स्थानों पर ऐसी दुकानें खोलनी चाहियें जहां शुद्ध वस्तुएं मिलें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कितना समय लेंगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : प्रायः आधा घंटा ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें 2–10 बजे बुलाया जायगा । माननीय सदस्य दस दस मिनट में भाषण समाप्त करें ।

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) : Sir the cause for adulteration has not been looked into and necessary steps have not been taken to prevent adulteration. This bill also is not going to fulfil the hopes.

One reason for the adulteration is that the people purchase substandard things because their purchasing capacity has doubled.

[Shri Mohan Swarup]

The provision of minimum penalty in the bill is not proper because the hands of the Judiciary should not be tied.

The right of appointment of inspectors should be vested in the Central Government only whereas this right is being given to the State Governments as well.

The only appreciable provision of the bill is that the vendors are allowed to get their samples tested.

Adulteration is mainly indulged milk and butter. Central Committee for Food standards had fixed arbitrary standards for these goods. They as well as the Agricultural Marketing Adviser Government of India are still collecting data on the basis of which standards would be prescribed. I had asked for the data on the basis of which standards have so far been fixed but no papers have been supplied to me. I was given the reply that : केन्द्रीय खाद्य स्तर कम्पन : के पांचवीं से नवीं बैठकों तक के सारांश पुस्तकालय में रख दिए गए है but I have not been able to get these papers. I am very sure that no data have been collected and lame excuses are being made. So the need is a high level committee of experts should be set up to collect the scientific data and to fix the standards. Through the present standards the people are being victimised. The machinery for checking adulteration is not adequate and it is corrupt. Reichert value test of Ghee and milk is the best method as compared to several other methods. Reichert value decreases and increases according to the condition of the cattle. Ghee has several layers. The upper layer is good and the lower layers are inferior to the upper ones. But in different states the prescribed Reichert value is different. In that case the ' phytostyryl Acctite test is better.

Testing should be made at several places and care should be taken that the tendency to ditto the results of the former test is removed. These days when a court sends the results of a laboratory to the Calcutta laboratory, they ditto it. The Central laboratory at Calcutta should be independent in its judgement. Facilities for testing should be made available to the people at several institutions such as Alipore test house Calcutta and Shri Ram Institute.

Inspectors while taking the samples should get proper witnesses. Generally they get the witness of their own peon. This process should be dispensed with.

In the end I may again emphasise on the point that a high level Committee should be set up to prescribe standards.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मिलावट की बीमारी इतनी व्यापक है कि इसके विरुद्ध क्षोभ होना सर्वथा स्वाभाविक है । मेरी अपनी धारणा यह है कि यह कानून बनाते समय हम परिपक्व विचार की अपेक्षा अपने क्षोभ ही को मुख्यतय: प्रकट कर रहे हैं ।

इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार केन्द्र और राज्यों में एक तरह का समानान्तर शासन चलाने का अधिकार ले रही है। इस से केवल यह प्रकट होता है कि राज्य प्रशासनों में हमारा कोई विश्वास नहीं । यह सही है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का काम इतना सराहनीय नहीं रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह किस प्रकार के

प्रशासकीय ढांचे की कल्पना कर रही है अथवा क्या उन्हें केवल इस तरह के कानून पास होने से ही सन्तोष होगा। यदि केन्द्र एक समानान्तर शासन प्रस्तुत करना चाहता है तो इस कार्य में राज्यों और केन्द्र के बीच तालमेल कैसे रहेगा। इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये। केवल कानून बनाने से ही मामला सुधर नहीं सकता है। कानून बनाये जाते हैं किन्तु उन्हें ठीक तरह से लागू नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप इस सभा की स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। यह हमारा अनुभव है। हम ने सरकार को इस आशय का अधिकार दिया था कि जो समाचारपत्र किसी अधिकारी चाहे वह सरकारी हो अथवा गैर सरकारी के विरुद्ध निन्दाजनक समाचार छापेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु आजतक किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई यद्यपि वह पहले से ज्यादा इस तरह के समाचार छापते हैं।

मुझे मिलावट करने वालों के प्रति कोई दया नहीं। मेरी आशंका यह है कि कहीं हम इस तरह के कानून बना कर ईमानदार लोगों को कारोबार से न निकाल लें। हमारी समस्या कानूनों की कमी नहीं, अपितु प्रशासकीय व्यवस्था की अयोग्यता है। यदि हमारे पास सक्षम प्रशासकीय व्यवस्था होती तो हमारी हालत उतनी खराब न होती जितनी कि यह आज है। फिर भी मुझे मंत्री महोदया द्वारा इन अधिकारों के लिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं यदि वह हमें आश्वासन दे सकेंगी कि मिलावट की यह बुराई जल्दी ही दूर हो जायगी। यदि मंत्री महोदया हमें आश्वासन दे सकेंगी कि यह बुराई एक वर्ष के अन्दर दूर हो जायगी तो हमें कुछ सन्तोष मिल सकता हो यद्यपि ऐसा करने से कुछ लोग परेशान भी होंगे। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि क्या मंत्री महोदया इस प्रकार का आश्वासन दे भी सकेंगी या नहीं। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं और उन्हें पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देता हूं। लेकिन इसके साथ हमारी यह कोशिश होनी चाहिये जीवन उपयोगी वस्तुएं अधिक मात्रा में उपलब्ध हों। यदि ये वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगी तो मिलावट कम होगी। फिलहाल इस समस्या का निर्माताओं के स्तर पर समाधान किया जाना चाहिये। माल की जांच पड़ताल वहां ही हो जानी चाहिए और फिर इसे मुहरबन्द डिब्बों और पैकटों में रखा जाना चाहिये। इस तरह से कोई रचनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। इस सम्बन्ध में समय समय पर सूचनाएं दी जानी चाहिएं।

अन्त में मैं वर्तमान नियमों आदि के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों की ओर मंत्री महोदया का ध्यान दिलाना चाहूंगा, कई खाद्य पदार्थों में विषैले पदार्थों तक का भी अपमिश्रण हुआ है। हल्दी को ही लीजिये। हर जगह आप अलग 2 किस्म की हल्दी पायेंगे। ईमानदार लोगों तक पर भी मुक़दमे चलाये गए हैं क्योंकि उन्होंने घटिया हल्दी बेची है यद्यपि इस में उनका कोई दोष नहीं था।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदया नियमों, मानकों आदि के सम्बन्ध में दिए गए सुझावों पर सहानुभतिपूर्वक विचार करेंगी और इस बात की ओर ध्यान देंगी कि इन्हें न्यायसंगत रूप से लागू किया जाये।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): Mr. Deputy Speaker, Sir, one cannot wholly absolve the Government of its responsibility in the matter of adulteration of foodstuffs. Take the question of Vanaspati and its adulteration with ghee which is now being practised on a very wide scale. People had been demanding that either the production of vanaspati should be banned or it should

[Shri Kashi Ram Gupta]

be colourized so that it could not be adulterated with ghee, but nothing was done. The result is that that malpractice goes on on a wide scale in villages and towns. If anybody is caught it is the shopkeeper who sells ghee but not the man who is responsible for the adulteration; he goes scot free.

I agree with Shri Mathur when he says that laws are made but they are not enforced. Law-making should not be taken as an end in itself. We should create public opinion in favour of a measure before it is enacted. Unfortunately, we don't pay sufficient attention to that aspect of the matter. Sufficent publicity should be given to our laws in Hindi and the regional languages, so that people know about them. Today, we see hundreds of people suffer at the hands of the Inspectors because they do not know anything about the laws.

The first thing that we should have done before making this complicated law was to make the rules and the bye-laws. Those bye-laws should have been discussed fully. Certain amendments have been moved in the House they should not be accepted so long amendments are not made in regard to bye-laws etc. All those who have given their evidence have said that the source of mischief is not detected or located even among a few person. It is all the more difficult to locate it in a trade which employs thousands of employees. Nobody would disagree with the penalty that has been provided in the Bill. But it is necessary to have a thorough investigation where adulteration in standard goods is concerned. It also requires a forceful consumers' organization to remove this malady. Today the consumer is at a loss to decide as to wherefrom he should get his supplies.

We shall have to make a number of changes if we want to see this law succeed. The Minister will have to open a research department in her Ministry which would try to find out effective methods to check adulteration. That department should submit its annual report to Parliament so that we could find out progress in the matter after the enactment of the present law. We should not take it for granted that people would stop adulteration on passing of this law. Their effort would be to circumvent it rather than to observe it.

The present method of supply of essential commodities to consumers should undergo a radical change; that cannot be done by this Ministry alone; it requires the co-operation of other Ministries as well. It is the duty of the Government to ensure supply of genuine goods to the public. Government would have to decide what would be the extent of their responsibility as also the responsibility of people and Members of Parliament in the matter.

There are reports that even articles supplied by Government organizations are not pure. This is said even about the ghee supplied by the Delhi Milk Supply Scheme. That is a serious matter and we should take effective steps to check adulteration in such organizations as well. Steps should be taken to raise the moral standards of the people.

In the end I would refer to the problem of adulteration in agricultural produce. It is difficult to find out as to who is responsible for adulteration in agricultural commodities. If we have to stop this malpractice at growers' level, there should be checking in the *mandis* and a certificate of fitness should be issued before the goods are released from there. Similarly goods processed in the factories should be tested in the factory premises before these are released for sale from there. In brief adulteration should be checked at sorurce.

About adulteration in restaurants it is being alleged by the proprietors that their servants are responsible for it. That shows how deep the malady is. We have to have constant research in this matter; then alone we would be able to deal with the porblem. Government would succeed in their purpose only when they take effective steps to enforce the present measure which has, no doubt, come out in a better shape from the Select Committee.

श्री नि० चं० चटर्जी : (बर्दवान) : सभानेत्री जी । इस सम्बन्ध में सभा में मतैक्य है कि खाद्य अपमिश्रण इतना व्यापक है कि यह हमारे राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है ।

श्री माथुर और श्री मोरे ने संयुक्त समिति के सदस्यों पर आक्षेप किया कि उन्होंने मंत्री महोदया की हर बात को समिति में स्वीकार किया । यह सही बात नहीं है । हम सरकार के कट्टर आलोचकों में से हैं । लेकिन यह कहना कि मंत्री महोदया ने समिति के कार्य में हस्तक्षेप किया सर्वथा अनुचित और निराधार है । आप स्वंय समिति की सभानेत्री थीं और आप को मालूम है कि वहां कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है ।

मुझे मालूम है कि जब हमें खाद्य पदार्थों में मिलावट की चीजों की सूची दी गई तो हमें धक्का पहुंचा । नशा रहित पेयों में तारकोल के आपत्तिजनक रंग मिलाये जाते हैं । इसी तरह से हींग में रेत, मिट्टी, विदेशी बिरोज़ा आदि मिलाया जाता है । यही हाल हल्दी और दूसरे मसालों का है । भारत में मिलावट का धंधा एक सुव्यवस्थित धंधा बन गया है और लोग बहुत सा पैसा कमा रहे हैं । यह धन्धा व्यापक पैमाने पर चल रहा है ।

तीन बातें ही हैं जो हमारी नजरों से ओझल नहीं हैं । पहली बात यह है कि असली अपराधी बड़ी बड़ी मंडियों में तथा माल तैयार करने वाले केन्द्रों में होते हैं जो कि दूसरी जगहों पर माल भेज देते हैं । उन के निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं ।

कई छोटे व्यापारी मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि हम यह कानून बनाकर जुल्म और अत्याचार का साधन कर्मचारी वर्ग के हाथ में दे रहे हैं और इस से केवल भ्रष्टाचार बढ़ेगा । इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करना होगा । श्री माथुर ने कहा है कि मंत्री महोदया ने कुछ नहीं किया है । वह कर भी क्या सकती हैं । यह समवर्ती सूची का एक विषय है । जब तक कि इसको संघ सूची का विषय नहीं बना दिया जाता है मंत्री महोदया अथवा प्रवर समिति इस कार्य का राष्ट्रीयकरण अथवा केन्द्रीयकरण नहीं कर सकती है । मंत्री महोदया इस बुराई के उद्गम पर ही रोकने की समस्या के प्रति जागरूक हैं ।

खाद्य इन्स्पेक्टर रिश्वत के लिए बदनाम हैं । चोर बाज़ारियों और उन में मिली भगत है । होता यह है कि छोटा दुकानदार पकड़ा जाता है और असली अपराधी बच जाता है । यह हमारे राष्ट्र चरित्र का मामला है । केवल प्रबुद्ध जनमत ही इसका उन्मूलन कर सकता है । कोई मंत्री इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं कर सकता है । लेकिन वह अवश्य कुछ कारगर उपाय कर सकते हैं । पहले निरीक्षण और पता लगाने की व्यवस्था को बदल दिया जाना चाहिए ।

मुझे मालूम है कि कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय ने कठोर सज़ा देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है क्योंकि विश्लेषण और परीक्षण कुछ महीने बाद किया गया था । वह अक्षम्य है क्योंकि उस समय तक माल सड़ जाता है, और विश्लेषक के परीक्षण पर शक किया जाता है । उसको पूर्णतयः बदल दिया जाना चाहिये । सरकार को देश के बड़े बड़े शहरों में प्रयोगशालायें

[श्री नि० चं० चटर्जी]

स्थापित करने के लिये साधन और शक्ति दी जानी चाहिये । यह प्रयोगशालायें सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय के निरीक्षण और नियंत्रण में होनी चाहिये ।

जहां तक कठोर दंड का सम्बन्ध है, मैं इस विशेष दंड के लिए जिम्मेवार हूं जो कि इस में शामिल किया गया है । मैं इसकी पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता हूं । अपने न्यायिक अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हू कि जब भी किसी बहुत ही कड़े दण्ड का उपबन्ध रखा जाता है तो न्यायपालिका दोष सिद्धि का निर्णय देकर दण्ड देने से कतराती है । यदि आप कोड़े लगाने जैसी कोई कड़ी सजा इस में रखेंगे तो न्यायाधीश एकदम उस से घृणा करेंगे । आखिर न्यायाधीश और दंडाधीश तो मनुष्य ही है । यदि सारी सम्पति या स्टाक जब्त करने का उपबन्ध रखा जाये तो वह बेहतर होगा । हम ने दंडाधीश अथवा न्यायाधीश को स्वविवेक देने का उपबन्ध रखा है । वह दंड को कम कर सकते हैं यदि अपराध ज्यादा सख्त न हो । इस बात को न्यायपालिका पर छोड़ना ज्यादा अच्छा है । हमें उन में भरोसा होना चाहिये । वह अभियुक्त और व्यापरि ों से न्याय करेंगे । मैं सम्पत्ति की जब्ती जैसी कठोर कार्यवाही के पक्ष में हूं लेकिन यह सारी बात केवल कानून बनाने से ही नहीं हो सकती है । हमें निरीक्षण और पता लगाने की व्यवस्था का सुधार करना चाहिए जिस से कि अपराधियों को दंड दिलाया जा सके ।

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर) : श्रीमन् मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में उन दो खंडों का जिक्र करना चाहता हूं जो कि इस अधिनियम में शामिल किये गये हैं ।

प्रवर समिति के जिन सदस्यों ने विमति-पत्र दिये हैं, वे खाद्य-पदार्थों में मिलावट की बुराई से कितने चिन्तित हैं यह उनके विमति पत्रों से स्पष्ट है । श्री कामत ने मिलावट करने वालों के लिए फांसी की सजा तक की भी मांग की है ।

कुछ मुकदमें उच्च न्यायालयों में केवल इसलिए बर्खास्त किये गये कि कुछ सैनिटरी इन्स्पेक्टर जिनको नाम से खाद्य इंस्पेक्टर का पद दिया गया था दूसरी जगह तबदील किये गये और उनकी जगह जो सैनिटरी इंस्पेक्टर आये वह खाद्य इंस्पेक्टर का पद धारण नहीं करते थे । इस सम्बन्ध में नियम स्पष्ट होने चाहियें और न्यायालयों को इस बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिये कि किसी इन्स्पेक्टर को खाद्य के नमूने लाने का अधिकार है अथवा नहीं ।

खाद्य इंस्पेक्टर केवल उन्हीं लोगों में से लिये जाने चाहियें जिन पर कि कोई लांछन न लगा हो । उन में कइयों के खिलाफ शिकायतें हैं । और न्यायालय उनकी गवाही का विश्वास नहीं करते हैं । ये ऐसे लोग होने चाहियें जिन में जनता का विश्वास हो । पुराने अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य के नमूने लेते समय दो गवाहों की आवश्यकता होती थी । खाद्य इन्स्पेक्टर जहां भी जाते थे उनके बंधे बंधाये गवाह होते हैं । प्राय: वही गवाह अलग अलग मामलों में पेश किये जाते हैं और अदालतें ऐसे गवाहों की जांच की गवाही के आधार पर अपराधियों को दंड देने से हिचकिचाती हैं ।

सार्वजनिक विश्लेषक अनुभव और योग्यता का व्यक्ति होना चाहिये । उसकी नियुक्ति बड़ी सावधानी से की जानी चाहिये । उसे विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किया जाना चाहिये और नमूनों को ही तत्काल बिना किसी विलम्ब के विश्लेषण के लिए भेजा जाना चाहिये ।

मुझे मूल खंड 8 अर्थात् धारा 19(2) के सम्बन्ध में कछ कहना है । प्रवर समिति का विचार यह दिखाई दे पड़ता है कि दुकानदार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं कि खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नहीं क्योंकि वारंटी की व्यवस्था पहले ही से है ।

इस से कुछ कठिनाई पैदा हो सकती है । जहां दुकानदार को इस बात का पक्का पता हो कि माल तैयार करने वाला असली माल नहीं दे रहा है, वहां दुकानदार भी नहीं बच जाना चाहिये। यह ठीक है कि निरपराध व्यक्तियों को तंग नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि लोग असली के नाम पर मिलावट की चीजें न बेच पायें ।

मूल अधिनियम में जो संशोधन किये गए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं । यदि धारा 19(2) में नया खंड जोड दिया जाता है जैसे कि मैंने सुझाव दिया था तो स्थिति मूल खंड 8 पर आकर सही हो जाती ।

मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं । मुझे आशा है कि इसे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अच्छी तरह से लागू किया जायेगा ।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं न केवल अपनी ओर से अपितु भारत की करोड़ों गृहणियों की ओर से जिन्हें कि अपने बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। उनके लिए यह आशा की एक किरण है ।

यदि मृत्यु दंड किसी को देनी है तो वह इन समाज विरोधी लोगों को दी जानी चाहिये जोकि खाद्य पदार्थों में विषैली चीजों की मिलावट करते हैं। इस अपराध के लिए जितना भी दंड रखा जाये कम है ।

मैं मंत्री महोदया से पूछती हूं कि क्या उन्हें संशोधित विधि द्वारा इस बुराई का अन्त करने की आशा है ? जितना भी कड़ा कानून हो उतना ही उस से बचने के लिए चातुर्य बर्ती जाती है । सज़ा पाने के बाद में भी ये लोग यह धन्धा चलाते रहते हैं और अपनी कमाई करते रहते हैं।

दंड देना ही काफी नहीं । इन लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा जाना चाहिये। साथ ही साथ उस सम्पत्ति को भी जब्त किया जाना चाहिये जो कि उन्होंने इस व्यवस्था द्वारा बनाई हो । उन्हें कोई सरकारी पद धारण करने के लिए अपात्र घोषित किया जाना चाहिये। जब तक कि ऐसा न किया जाय, स्थिति सुधर नहीं सकती है ।

मेरे विचार में द्वैध शासन से कार्यपालिका के लिए कठिनाई उत्पन्न होगी । विभिन्न राज्य सरकारों ने एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिये अलग अलग मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं। इस से बड़ी कठिनाई होती है । इस समय इसके लिये तीन संगठन हैं—भारतीय मानक संस्था, आगमार्क संगठन और यह विधेयक। मेरा यह सुझाव है कि मानक निर्धारित करने के लिये केवल एक संस्था होनी चाहिये। यह अच्छी बात है कि भारतीय मानक संस्था का एक प्रतिनिधि लिया जायेगा, परन्तु इतना ही काफी नहीं है ।

मैं इस बात पर बल देना भी चाहती हूं कि केवल इस विधेयक से समस्या हल नहीं होगी, कानून को लागू करने के लिये, कुछ दोषहीन व्यवस्था भी होनी चाहिये। आजकल खाद्य निरीक्षकों की व्यापारियों से मिली-भगत के कारण ही खाद्यान्न में इतनी मिलावट हो रही है । मैं एक ऐसी व्यवस्था का सुझाव देना चाहती हूं जो न केवल निर्दोष होगी अपितु चौब सों घंटे काम भी करेगी और इस पर कुछ खर्च भी नहीं होगा । इस व्यवस्था को शिमला में परखा भी जा चुका है और यह वहां सफल सिद्ध हुई है । योजना यह है : कुछ गृहणियों ने इकट्ठी होकर अधिकारियों से कहा कि कीमतें बहुत चढ़ रही हैं इसके लिए कुछ करना चाहिये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रशासक और व्यापारियों के बीच बात-चीत कर के मूल्य निर्धारित कर दिये जावें। परन्तु

[श्रीमती सावित्री निगम]

फिर यह सवाल उठा कि निर्धारित मूल्यों को लागू कैसे किया जाये, क्योंकि इस में भ्रष्टाचार हो सकता है। हम ने प्रार्थना की कि निरीक्षकों को या तो लम्बी छुट्टी दे दी जाये या उन्हें केवल कार्यालय में काम करने के लिये कहा जाये और हम ने मूल्यों की निगरानी के लिये अपनी व्यवस्था बनाई। प्रत्येक बाजार में गृहणियों की एक समिति बना दी गई और खाद्य सम्भरण निदेशक के कार्यालय में एक नियंत्रक कार्यालय खोल दिया गया। दो गृहिणियां सदा वहां बैठी रहती थीं। गृहणियों को नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नम्बर दिया गया था। यदि वे कभी यह देखती थीं कि कोई व्यक्ति निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर खाद्य पदार्थ बेच रहा था तो वे तुरन्त नियंत्रण कक्ष को टेलीफोन कर देती थीं और 20 मिनट के अन्दर ही वहां पुलिस का उड़न दस्ता उन गृहिणियों के साथ वहां पहुंच कर उस व्यापारी को गिरफ्तार कर लेता था। इस प्रकार जो व्यापारी निरीक्षकों को खरीद लेते थे वे गृहिणियों को तो नहीं खरीद सकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि एक ही महीने में 20 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये किन्तु उसके बाद खाद्य पदार्थ निर्धारित दाम पर बिकने लगे। इस प्रकार व्यापारी न केवल निरीक्षकों से डरने लगे अपितु सब ग्राहकों से डरने लगे और एक ऐसी व्यवस्था कायम हो गई जो अपने आप काम करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कोई निर्दोष व्यक्ति दण्डित नहीं होता था और अधिक दाम पर खाद्य पदार्थ बेचने वाला बच नहीं सकता था। यदि माननीय स्वास्थ्य मंत्रिणी खाद्य निरीक्षक नियुक्त करने के बजाय राष्ट्रीय गृहिणी संस्था से सहायता लें तो इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति अवश्य हो जायेगी।

14.00 बजे।

मैं सरकारी प्रयोगशालाओं और विश्लेषकों के बारे में दो एक शब्द कहना चाहती हूं। मुझे इनका बहुत दुःखद अनुभव है। जब मैं आवास समिति की सदस्या थी तो मुझे संसद सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विभागों और भोजनालयों को देखने के लिये कहा गया था। मैंने वहां से कुछ नमूने लिये थे। प्रत्येक नमूने का आधा भाग सरकारी प्रयोगशाला को भेजा गया था और शेष आधा एक मित्र को, जिसकी अपनी प्रयोगशाला थी। मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों प्रयोगशालाओं के परिणाम बिल्कुल अलग थे। निजी प्रयोगशाला की परीक्षा के अनुसार 10 नमूनों में से 6 नमूने दोषपूर्ण थे। परन्तु सरकारी प्रयोगशाला के अनुसार ये सब नमूने ठीक थे।

हमें जापान का अनुसरण करना चाहिये। वे गृहिणियों की संस्थाओं जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं को अपनी प्रयोगशालायें चलाने के लिये काफी अनुदान देते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और गृहिणियां ये परीक्षा करती हैं, जिन्हें भ्रष्ट नहीं किया जा सकता और इस प्रकार परीक्षा के परिणाम निष्पक्ष और सही होते हैं। यदि स्वास्थ्य मंत्रालय यही व्यवस्था यहां करे तो इस विधेयक के उद्देश्य भी पूरे हो जायेंगे और इससे लोगों की बड़ी सेवा होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं और इसकी सफलता की कामना करती हूं।

श्री मुथिया (तिरुनलवेली): श्रीमन् मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, 1954 में संशोधन करना है जिससे खाद्य पदार्थों में बढ़ती हुई मिलावट रोकी जा सके और मिलावट करने वालों को कड़ी सजा मिले। देश में खाद्य पदार्थों में बहुत मिलावट होती है। दूध, घी, जिंजली का तेल, काले चने, चावल आदि सब में भयंकर मिलावट होती है। इसे रोकने के लिये कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सोडावाटर ग्रादि में यदि कोई मिलावट होती है तो वह निर्माता द्वारा की जाती है ग्रौर इसके लिये इस ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत पान बीड़ी बेचने वाले परचून विक्रेताग्रों को तंग नहीं किया जाना चाहिये। मैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रिणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वे राज्य सरकारों ग्रौर नगरपालिकाग्रों को ये हिदायतें दे दें कि इन छोटे छोटे व्यापारियों को लाइसेंस शुल्क से मुक्त कर दिया जाये, जैसा कि तमिलनाड पान, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट परचून व्यापारी संघ ने ग्रपने ग्रभ्यावेदन में मांग की है।

तिरुनलवेली जिले में बहुत से गरीब तेली हैं जो ग्रपने घरेलू कोल्हू से जिंजली का तेल निकालते हैं। उन्होंने 1962 में स्वास्थ्य मंत्रिणी जी को एक ज्ञापन भेजा था ग्रौर मैं उनसे मिला भी था। मिलों से प्रतिस्पर्धा के कारण इन का तेल तुरन्त नहीं बिकता। गिंडी प्रतिष्ठान में परीक्षणों से यह पता लगा है कि जिंजली तेल को रखे रहने से इसमें चर्बी का ग्रंश 3 प्रतिशत बढ़ जाता है। परन्तु इन निर्दोष उत्पादकों को सफाई निरीक्षक इसी वजह से तंग करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रिणी जी को इन के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये।

प्रवर समिति ने कई उपयोगी सुझाव दिये हैं, जैसे खाद्य निरीक्षकों के साथ सरकारी विश्लेषण कर्ता की नियुक्ति विश्लेषण के लिये लिए जाने वाले नमनों पर खाद्य निरीक्षक के साथ विक्रेता को ग्रपनी मुहर लगाने का ग्रधिकार। मेरा यह सुझाव है कि हर जिले में सरकारी विश्लेषण कर्ताग्रों के साथ एक खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भी खुलनी चाहिये। इससे निर्दोष विक्रेताग्रों के हितों की रक्षा होगी।

मूल ग्रधिनियम की धारा 14 का संशोधन विशेष रूप से उपयोगी है। धारा 9 का संशोधन भी ग्रावश्यक है। इससे निर्दोष दुकानदारों के हितों की रक्षा होगी। संसद् को नियमों पर पुनर्विचार के लिये जो शक्ति दी जा रही है, वह भी ग्रावश्यक है।

Shri Sheo Narain (Bansi): Madam Chairman, Adulteration is the curse of our country. This is the worst crime than even a murder. Adulteration is going on on a very large scale and we all are responsible for it. Government have brought this apt measure and this should be implemented effectively so that adulteration of food could be checked altogether.

There are some offences which are of technical nature they should be dealt with accordingly. I would suggest that Government machinery should be tightended in order to implement the provisions of the Bill effectively.

[**श्री सोनावने पीठासीन हुए**
(SHRI SONAVANE *in the Chair*)]

Why food is adulterated. Because its price is very high. I would, therefor, suggest that the prices of food-stuffs should be brought down. Adulteration also causes diseases. Young graduates should be made officers in order to improve the Governmental machinery. The steps should be aken for colourisation of Vanaspati in order to check its adulteration with pure *ghee*.

I would request the Government to take action not only on the basis of an Inspector's report but also to proceed against the culprit on the basis of a complaint made by a consumer. I want that Government should be strict in the matter and should enforce the law effectively. Only then it could be useful.

With these words I support the Bill.

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मेरे ख्याल में स्वास्थ्य मंत्री ने इस विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करके बड़ी सेवा की है। मेरी राय में मिलावट से बड़ा कोई समाजविरोधी कार्य नहीं हो सकता क्योंकि लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। वर्तमान कानून को अधिक कठोर बनाने के लिये ही यह विधेयक लाया गया है।

मेरी राय में इस विधेयक में सरकारी विश्लेषणकर्ता नियुक्त करने का उपबन्ध बहुत महत्वपूर्ण है।

इसी प्रकार से वस्तुओं की उत्तमता के बारे में विक्रेता को आश्वस्त करने का निर्माता पर जो उत्तरदायित्व डाला गया है वह भी ठीक है और इससे निरीक्षक अपराधी को पकड़ सकेंगे।

तीसरे विक्रेता को उस व्यक्ति का नाम और पता बताना पड़ता है जिससे माल खरीदा गया हो। मेरी राय में इन सब बातों से मिलावट को रोकने में काफी सहायता मिलेगी।

परन्तु इस कानून के बारे में एक बड़ी कठिनाई है। जब तक सरकार कारखानों, निर्माता उद्योगों और दुकानों के लिये लाइसेंस की पद्धति जारी नहीं करेगी तब तक वह इसे ठीक प्रकार से लागू नहीं कर सकेगी। इसलिये सब के लिये लाइसेंस देना जरूरी होना चाहिये। परचन वालों के लिये यह आवश्यक होना चाहिये कि वे उन थोक विक्रेताओं का नाम बतायें जिससे उन्होंने माल खरीदा हो और थोक विक्रेता निर्माता का नाम बतायें।

यदि इस कानून को ठीक प्रकार से लागू किया जायेगा तो यह बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। इसके लिये लोगों का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिये।

मिलावट का एक कारण अनाज की मंहगाई भी है। इसलिये मंहगाई को कम करने की भी कोशिश की जानी चाहिये। यदि सब का सहयोग प्राप्त हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री मिलावट को कम करने में जरूर सफल होंगी। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं और यह विधेयक लाने के लिये उन्हें बधाई देता हूं।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : इस कानून को सक्रिय बनाने के लिये खण्ड विकास पदाधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन निरीक्षकों की शक्तियां दी जानी चाहियें। 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले सब नगरों में इस काम के लिये विशेष पदाधिकारी होने चाहियें। प्रत्येक जिले के प्रधान नगर में एक रासायनिक प्रयोगशाला होनी चाहिये।

मिलावट की बुराई को दूर करने के साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि देश में नियमित व्यापार निर्बाध रूप से चलता रहे। आजकल देश में 8,000 लाख पौंड चाय तैयार होती है। इसमें से 6,000 लाख पौंड चाय का निर्यात किया जाता है और 2,000 लाख पौंड चाय कलकता और कोचीन में नीलाम की जाती है। कुछ पंजीबद्ध दलाल, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, देख कर ही चाय के नमूने बता देते हैं और उनकी कीमत लगा देते हैं। यह तरीका वर्षों से चल रहा है।

अब लोगों को यह आशंका है कि जो चाय ये दलाल पास कर दें, हो सकता है कि इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार वह निम्न कोटि की पाई जाये। यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं होगी। परन्तु इसकी रासायनिक परीक्षा की जायेगी। इससे हमारा समुद्र पार का व्यापार अस्त-व्यस्त हो जायेगा और निर्यात से होने वाली हमारी विदेशी मुद्रा की आय को भी हानि होगी।

इस कारण मेरा यह सुझाव है कि इस विधेयक में यह उपबन्ध होना चाहिये कि दलालों की रिपोर्ट काफी समझी जानी चाहिये अथवा इसे पंजीबद्ध विश्लेषणकर्त्ता की रिपोर्ट के बराबर मानना

चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो चाय का व्यापार अस्त-व्यस्त हो जायेगा। माननीय मंत्री को अपने उत्तर में इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहिये।

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, सभा ने इस विधेयक का जो स्वागत किया है उसके लिये मैं उसकी आभारी हूं।

इस बारे में दो राय नहीं हैं कि यह बुराई बहुत भयंकर है। मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत हूं जो यह कहते हैं कि हत्यारा एक व्यक्ति की हत्या करता है परन्तु मिलावट करने वाला कई व्यक्तियों की हत्या करता है। मुझे आश्चर्य है कि कुछ लोगों ने दण्ड को कुछ कठोर बनाने के उपबन्ध को पसन्द नहीं किया। एक ओर तो लोग मिलावट के अपराध के लिये सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाने और मृत्यु दण्ड की मांग करते हैं और दूसरी ओर कुछ थोड़े से लोग यह कहते हैं कि वर्तमान उपबन्ध काफी है तथा दण्ड को अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता नहीं है।

इससे यह पता लगता है कि संयुक्त समिति ने बीच का रास्ता अपना कर ठीक ही किया है और प्रस्तावित दण्ड व्यवस्था उपयुक्त है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*.]

इस कानून के बन जाने पर नियमों पर पुनर्विचार किया जायेगा और यदि उनमें किसी संशोधन की आवश्यकता हुई तो वह किया जायेगा तथा संशोधित नियम सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे जिससे कि माननीय सदस्य उसके बारे में यदि कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकें।

श्रीमन्, नियमों और मानकों को मनमाना बताया गया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि ऐसी बात नहीं है। कानून के मुताबिक बहुत से नमूनों का विश्लेषण करके जो सामान्य हक होता है उसी को न्यूनतम मानदण्ड निर्धारित किया जाता है। अतः इन मानकों से ईमानदार व्यक्ति को कोई भय नहीं होना चाहिये। यह तो मिलावट करने वाले बेईमान व्यक्तियों के लिये किया जाता है।

घी के अलग अलग मानदण्डों और उससे व्यापारियों को होने वाली परेशानी के बारे में बहुत कुछ कहा गया था। खाद्य अपमिश्रण रोक नियमों के नियम 44ख के अधीन विभिन्न राज्यों में घी के अलग अलग मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं और वह एगमार्क चिन्ह के अन्तर्गत दूसरे राज्यों में बेचा जा सकता है। वस्तुतः गुंटूर का घी कलकत्ते में एगमार्क की मुहर लगा कर बिकता भी है। इसमें किसी प्रकार की कठिनाई या परेशानी नहीं है।

यह भी कहा गया है कि खाने के मक्खन और देशी मक्खन के स्तर अलग अलग क्यों रखे गये हैं? खाने का मक्खन तैयार करते समय उसमें से दूध या छांछ का अंश काफी हद तक निकाल दिया जाता है परन्तु देशी मक्खन में यह बना रहता है इसीलिये दो मानदण्ड रखे गये हैं ताकि ईमानदार व्यापारी को परेशानी न हो और उपभोक्ता का भी हित सुरक्षित रहे।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि खाद्यान्न का मान निर्धारित करने के लिये एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति होनी चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि खाद्यान्न का मान निर्धारित करने के लिये एक बहुत उच्च शक्ति प्राप्त समिति विद्यमान है, जिसमें राज्यों तथा केन्द्र के विशेषज्ञ व्यक्ति हैं जो एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करके खाद्यान्न के मानदण्ड निर्धारित करते हैं।

[डा० सुशीला नायर]

माननीय सदस्य यह देखेंगे कि हमने इस संशोधक विधेयक में यह उपबन्ध किया है कि एक सदस्य भारतीय मानक संस्था का होगा, दो कृषि मंत्रालय के सदस्य होंगे ताकि विपणन संगठन आदि के प्रतिनिधि भी आ सकें और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि भी होंगे। इसलिये किसी को यह आशंका नहीं होनी चाहिये कि निर्धारित मानदण्ड ठीक नहीं होंगे। और फिर यह समिति हमेशा के लिये तो मान निर्धारित करती नहीं। हम निरन्तर स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के अनुसार मानदण्ड भी ऊंचा होता जाता है।

यह कहा गया था कि हमें केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के परिणाम पर भरोसा नहीं करना चाहिये, अपितु श्रीराम प्रयोगशाला या हाफकिन प्रयोगशाला के परिणाम को मानना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों को यह बता दूं कि हाफकिन संस्था राज्य सरकार के अधीन है केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला केन्द्रीय सरकार के अधीन दोनों में इतना ही अन्तर है। श्रीराम प्रयोगशाला के परिणाम पर केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला की अपेक्षा कैसे और क्यों भरोसा किया जाये ?

श्री मोहन स्वरूप : मैंने यह कहा था कि कोई स्वतन्त्र संस्था होनी चाहिये।

डा० सुशीला नायर : श्रीराम प्रयोगशाला एक निजी प्रयोगशाला है जबकि केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला ऐसी नहीं है। इसलिये इसके निर्णय को विश्लेषण रिपोर्ट के मामले में स्वतन्त्र, निष्पक्ष और अन्तिम मानना चाहिये।

श्री नि० चं० चटर्जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि कभी-कभी उच्चतम न्यायालय मिलावट को गम्भीरता से नहीं लेता, क्योंकि नमूने दो-तीन महीने तक पड़े रहने के कारण हो सकता है कि खराबी बाद में आ गई हो। मेरा यह निवेदन है कि विशेषज्ञों ने कुछ चीजें निकाल ली हैं जिससे ये नमूने पड़े रहने से खराब नहीं होते। हम इस काम को जल्दी निबटाने का भी ध्यान रखते हैं। गत वर्ष केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला में किसी नमूने को दो-तीन सप्ताह या अधिक से अधिक एक मास से ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने यह सुझाव मान लिया है कि हमें जनता को इस बारे में और अधिक बताना चाहिये कि यह कानून किस प्रकार से लागू किया जाता है।

यह कहा गया था कि हमें मसालों की चिन्ता नहीं करनी चाहिये अपितु मक्खन और दूध आदि पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। सच्चाई तो यह है कि केवल मक्खन और दूध में ही मिलावट नहीं होती, अपितु और भी बहुत सी चीजों में मिलावट होती है, तथा मसालों में तो सब से अधिक मिलावट होती है। हल्दी की गांठों को सीसे के क्रोमेट से, जो एक विषैली चीज होती है, रंगा जाता है जिससे वह अधिक दाम पर बिक सके। इसलिये हमें अधिक से अधिक चीजों में मिलावट रोकने की कोशिश करनी चाहिये।

मुझे श्री हरिश्चन्द्र माथुर के इस सुझाव को सुन कर आश्चर्य हुआ कि मंत्री महोदया को यह आश्वासन देना चाहिये कि इस कानून के पास होने पर एक वर्ष के अन्दर मिलावट खत्म हो जायेगी। हमने अनन्त काल से हत्या के लिये मृत्यु दण्ड रखा हुआ है, किन्तु हत्या का अपराध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हमें मिलावट को रोकने की भरसक चेष्टा करनी चाहिये और यह सब के सहयोग से ही हो सकता है।

श्री मोहन स्वरूप ने यह कहा कि इस कानून को लागू करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्र को अपने ऊपर ले लेना चाहिये और श्री नि० चं० चटर्जी ने इसके उत्तर में कहा कि ऐसा नहीं हो-

सकता। हमारा यह विचार है कि खाद्य निरीक्षक और नियन्त्रण निरीक्षक काफी संख्या में नियुक्त किये जायें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों की मदद करने के लिये पांच महाखंडीय संगठन होंगे। केन्द्र द्वारा समन्वय और मार्गदर्शन भी किया जायेगा। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि हमें प्रयोगशालाओं को सुधारना चाहिये। यदि किसी में सन्देह हो, तो अपीलीय प्रयोगशाला को मामला सौंपा जा सकता है। हम एक से अधिक अपीलीय प्रयोगशाला खोलने का विचार कर रहे हैं जिससे नमूनों को क्षेत्रीय रूप से जल्दी निबटाया जा सके।

यह कहा गया है कि एक जगह नहीं दो जगह परीक्षा करवाई जाये। यह बहुत कठिन और वास्तविकता रहित है। इसकी अपेक्षा हमें अच्छे उपकरण और सुप्रशिक्षित विश्लेषक रखने चाहियें। सन्देह होने पर अपीलीय प्रयोगशाला से निर्णय करवाया जा सकता है, जो अन्तिम होगा।

श्री मोहन स्वरूप चाहते थे कि प्रत्येक नमूने के लिये पांच विश्वसनीय गवाह होने चाहियें। कठिनाई तो यह है कि दो विश्वसनीय गवाह भी नहीं मिलते इसीलिये एक या अधिक गवाह करने का विचार किया जा रहा है। यदि अधिक गवाह मिल सकें तो सरकार को बड़ी खुशी होगी। जब मैं दिल्ली राज्य की स्वास्थ्य मंत्रिणी थी तो हम ने यह व्यवस्था कर दी थी कि कोई भी व्यक्ति निरीक्षक को अपने साथ ले जा कर किसी का नमूना भरवा सकता था। माननीय सदस्यों, विधान सभाओं के सदस्यों और नगरपालिका के सदस्यों का कुछ उत्तरदायित्व है। सब के सहयोग से ही यह कानून सफल हो सकता है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने यह कहा कि केन्द्रीय व्यवस्था जो की जा रही है इस से यह आभास होता है कि राज्यों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने राज्यों की अकुशलता तथा अकर्मण्यता की भी चुने हुए शब्दों में निन्दा की। मैं यह बताना चाहती हूं कि केन्द्र तो पहली बार इस में आ रहा है और खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी मुख्यतया नगरपालिकाओं और निगम पर थी। इसलिये राज्यों पर भी, अकुशलता का दोष नहीं लगाया जा सकता।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि सरकार को शुद्ध खाद्य पदार्थ लोगों को सप्लाई करने चाहियें। मैं बड़ी नम्रता से यह कहना चाहती हूं कि हम समग्रवादी शासन में नहीं रहते हैं जहां प्रत्येक चीज देना सरकार के हाथ में हो। स्वास्थ्य मंत्रालय का काम मिलावट को रोकना और शुद्ध चीजें उपलब्ध कराना है। उसे रोकने की हम भरसक चेष्टा करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि इस व्यवस्था से हम सफल होंगे।

एक माननीय सदस्य ने बड़े जोर-शोर से यह कहा था कि वनस्पति से मिलावट की जाती है इसीलिये इस का उत्पादन बन्द कर देना चाहिये। इसका जवाब तो खाद्य मंत्री दे सकते हैं कि इसका उत्पादन बन्द करना चाहिये या नहीं। परन्तु यह खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता। और जहां तक जनता की राय का सवाल है उसी के उत्तर में तो हम यह विधेयक लाये हैं और मुझे पूरी आशा है कि इस विधेयक को अच्छी तरह क्रियान्वित करने के लिये माननीय सदस्य इसी प्रकार अपनी राय देते रहेंगे।

यह बड़ा अजीब तर्क दिया गया था, एक ओर तो यह कहा गया था कि उपभोक्ताओं को शक्तिशाली बनाना चाहिये और दूसरी ओर यह कहा गया था कि कानून न जानने वाले ग्रामीणों को तंग किया जायेगा। यदि ग्रामीण मिलावट नहीं करेंगे तो उन्हें तंग नहीं

[डा० सुशीला नायर]

किया जायेगा। यदि शहर वाले जाकर उन्हें बिगाड़ देंगे तो उन्हें भी परेशानी उठानी पड़ेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि उपभोक्ता अब अपने हितों की रक्षा के लिये सक्रिय भाग लेने लगे हैं।

यह भी कहा गया था कि मिलावट को रोकने के लिये नैतिक स्तर ऊंचा उठाना चाहिये और मूल्य भी कम करने चाहियें। नैतिक स्तर कानून से ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। नैतिक स्तर सब से पहले तो घर में उठाया जा सकता है और फिर स्कूलों और कालेजों में उठाया जा सकता है और सार्वजनिक जीवन में आदर्श स्थापित कर के ऊंचा उठाया जा सकता है। मूल्यों पर तो काफी चर्चा हो चुकी है।

यह कहा गया था कि दो वर्ष पहले कलकत्ते में कुछ तिलहन जला दिये गये थे। चूंकि न्यायालय ने इसे मानव उपभोग के लिये उपयुक्त नहीं पाया इसलिये नष्ट करना पड़ा। सम्पत्ति मानव जीवन से अधिक मूल्यवान् नहीं है। इस बात का डर था कि उससे तेल निकाल कर किसी और चीज में न मिला दिया जाये इसीलिये न्यायालय ने उसको नष्ट करने का आदेश दे दिया था।

श्री अ० शं० आल्वा ने कहा था कि हो सकता है कि विक्रेता निर्माता के साथ मिला हुआ हो, इसलिये विक्रेता को वारंटी या समाश्वासन के खण्ड से मुक्त नहीं करना चाहिये। मिलावट के लिये पहला दोषी तो निर्माता ही होगा, इसलिये उसे तो दण्ड मिलना ही चाहिये, परन्तु न्यायालय विक्रेता को भी दण्ड दे सकता है। मेरे ख्याल में अच्छी नीयत से माल खरीदने वाले ईमानदार विक्रेता को इससे मुक्त रखना ही अच्छा होगा।

कई सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि मृत्यु दण्ड रखना चाहिये तथा इन मिलावट करने वालों को डराने के लिये उनकी जायदाद को जब्त करने का उपबन्ध होना चाहिये। श्री नि० चं० चटर्जी ने इसका उत्तर दे दिया था कि यदि हम दण्ड को अत्यधिक कठोर बना देंगे तो न्यायपालिका शायद दण्ड देने में आनाकानी करे, अतः मृत्यु दण्ड की आवश्यकता नहीं है। जहां तक जायदाद की जब्ती का सम्बन्ध है, सारी जायदाद की जब्ती सम्भव नहीं है। परन्तु यदि माननीय सदस्य मिलावट के साधनों आदि को जब्त किये जाने के बारे में कोई संशोधन लाते, जो कानून के अनुसार होता तो मैं उसे स्वीकार कर लेती।

श्री प्र० चं० बरुआ यह चाहते थे कि दलाल का प्रमाण-पत्र सरकारी विश्लेषक के प्रमाण-पत्र के बराबर माना जाये। मुझे खेद है हम ऐसा नहीं कर सकते।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से प्रार्थना करती हूं कि वह विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करें।

Shri Mohan Swarup : When the data was available why it was not supplied to me and to the traders ?

Dr. Sushila Nayar : I do not know what kind of data does he wa[nt]. If he would ask me later on I shall be able to tell him.

Shri Mohan Swarup : The hon. Minister had assured during the proceedings of the Joint Committee that an Expert Committee would be set up to supervise this and submit its findings. No mention has been made about that in her reply. I want to know as to what has been done about that ?

Dr. Sushila Nayar : Food standards committee is the Experts' Committee which is working and which is a statutory body. No pressure could be put on it.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैं यह चाहता हूं कि मामूली अपराधों के लिये व्यापारियों को कारागार में न भेज दिया जाये। परन्तु इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अधीन हम उन्हें छोटे-मोटे अपराधों के लिये छोड़ सकें।

डा० सुशीला नायर : मैं विधेयक के खण्ड 9 के परन्तुक की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। उसमें कोई न्यूनतम दण्ड नहीं निर्धारित किया गया है। मामूली अपराधों में न्यायालय केवल 5 या 10 रु० जुर्माना कर सकता है, परन्तु गम्भीर अपराधों में अधिक दण्ड दिया जा सकता है। विधेयक में यह नहीं लिखा गया है कि उन्हें जरूर जेल भेजा जाना चाहिये।

Shri Kashi Ram Gupta: Whether this law has been translated into Hindi and other regional languages and whether publicity would be given to it through films etc. ?

Dr. Sushila Nayar : Hon. Member's contention is right. This law would be translated into Hindi, as regards other regional languages I cannot say anything off hand. We will consult our Health Education Bureau for preparation of publicity literature about it.

श्री शं० शा० मोरे (पूना) : मैंने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक जिले में एक सरकारी प्रयोगशाला होनी चाहिये, जिससे वितरक वहां अपनी चीजों की परीक्षा करवा लें और बाद में उन्हें परेशानी न हो।

डा० सुशीला नायर : सरकार के लिये प्रत्येक जिले में प्रयोगशाला बनाना सम्भव नहीं है। स्थानीय प्रयोगशालाओं का इस काम के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

खण्ड 6—(धारा 10 का संशोधन)

श्री बड़े (खरगोन) : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं।

श्री द्वारका दास मंत्री (भीड़) : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हेम राज (कांगडा) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Bade : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have moved amendment No. 20 to clause 6. This is because that in the Criminal Procedure Code as well as the Excises Act there is a provision for producing two witnesses. This is essential and desirable. In this Bill also there should be provision for two independent witnesses instead of one. If there are two witnesses, an innocent person would get justice and in case one witness becomes hostile the other witness would support the case and thus it would be in the interest of Government to have two witnesses. I hope hon. Minister would accept this amendment.

Shri D. D. Mantri : Mr. Deputy Speaker, Sir, the hon. Minister was just now complaining that they do not get witnesses. Therefore, it is just possible that they may put somebody from their own department in the witness Box. That is why I want to add that the person should not be from their own Department. He should not be under the Food Inspector. I want that the witnesses should be independent persons.

Shri Hem Raj : My amendment seeks to provide that the food inspector should put his seal on the samples and get the seal of the vendor also affixed on it so that the vendors may not complain later on that the sample was changed. My amendment is a fool-proof device. I hope the hon. Minister would accept it.

डा० सुशीला नायर : दो स्वतन्त्र गवाह रखने के बारे में पहले संशोधन के सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुकी हूं कि गवाह मिलते नहीं हैं, इसलिये यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त गवाह चाहे कोई भी हो इससे क्या मतलब, क्योंकि नमूना तीन जगह भरा जाता है । एक दूकानदार के पास रहता है, एक स्थानीय अधिकारियों के पास और एक विश्लेषण के लिये भेजा जाता है । इसलिये यदि नमूना अच्छी तरह मुहरबन्द कर दिया जाये, तो यह चाहे किसी की भी उपस्थिति में भरा जाये इससे कोई अन्तर नहीं होता ।

संयुक्त समिति में यह सुझाव दिया गया था कि जिस व्यक्ति का नमूना भरा जाये उसके हस्ताक्षर करवा लिये जायें और गवाह की कोई जरूरत नहीं है, परन्तु यह ठीक समझा गया कि कम से कम एक गवाह रहना चाहिये । अतः सभा से मेरी यह प्रार्थना है कि इस खण्ड को संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार कर लिया जाये ।

श्री हेम राज के सुझाव के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहती हूं कि नियम बनाने का उपबन्ध है और नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक हो तो दो मुहरें भी लगाई जा सकती हैं इसके लिये कानून में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 और 20 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 2 and 20 were put and negatived.

संशोधन संख्या 21 सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

Amendments No. 21 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 was added to the Bill

खण्ड 7—(धारा 14 के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना)

श्री काशीराम गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 16 पेश करता हूं ।

मेरा संशोधन बड़ा सीधा-सादा है और यह प्रविधिक तथा कानूनी आधार पर पेश किया गया है, चूंकि मेरी राय में "निर्माता" शब्द का एक विशेष अर्थ है और आटा मिलें इसमें नहीं आतीं। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये कि "निर्माता" में सभी खाद्य उत्पादक शामिल होंगे ।

डा० सुशीला नायर : मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि यह बड़ा सोच-विचार कर रखा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 16 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 16 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9—(धारा 16 का संशोधन)

श्री हेम राज : मैं संशोधन संख्या 3 पेश करता हूं ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं संशोधन संख्या 7 और 11 पेश करता हूं ।

श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : मैं संशोधन संख्या 17 और 18 पेश करती हूं ।

श्री यशपाल सिंह : मैं संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बड़े : मैं संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री द्वारकादास मंत्री : मैं संशोधन संख्या 22, 23, 24, 26 और 27 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मी० रु० मसानी : संशोधन संख्या 10 और संशोधन संख्या 3 समान हैं । उसमें पृष्ठ 5, पंक्ति 4, खण्ड 9 में "और" शब्द के स्थान पर "अथवा" शब्द रखने का प्रयत्न है ।

माननीय मंत्री इस भावना से प्रभावित हैं कि क्या सजा से न्यायालय को यह अनुमति मिल जाती है कि वह सजा दे या जुर्माना करे । उन्होंने अभी श्री महीड़ा के एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि कुछ अपराधों के लिये न्यायालय जुर्माना कर सकते हैं । सामान्य अपराधों के लिये जेल की सजा देना वांछनीय नहीं है । हम यहां अपमिश्रण की चर्चा नहीं कर रहे हैं किन्तु पैकेज और विभिन्न वस्तुओं को तैयार करने के लिये मिलाये जाने वाले पदार्थों सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन की चर्चा कर रहे हैं । यहां हम मूल अपराधों पर नहीं किन्तु अन्य नियमों के उल्लंघन पर चर्चा कर रहे हैं । किन्तु विधेयक में दुर्भाग्यवश यह बात नहीं कही गई है । इसमें तो न्यायालय के लिये सजा और जुर्माना करना अनिवार्य है । संयुक्त समिति की रिपोर्ट में पृष्ठ 16–17 में कहा गया है कि "अन्य अपराधों के लिये न्यूनतम सजा नहीं है । यह सजा केवल पांच या दस रुपये जुर्माना हो सकती है । केवल गम्भीर अपराधों के लिये ही न्यूनतम सजा निर्धारित की गई हैं । संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि सामान्य अपराधों के लिये छः महीने की न्यूनतम सजा से घटा कर कम सजा और जुर्माना करने की छूट न्यायालय को दी जानी चाहिये । जो कुछ हम आज पारित करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें स्पष्ट रूप से विचार करना चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि श्री प्र० के० देव ने अपने विमति टिप्पण में स्पष्ट लिखा है कि :

> "हम इस बात के लिये उत्सुक हैं कि अपराधी को कठोर सजा दी जानी चाहिये किन्तु हम इस बात के लिये भी समान रूप से उत्सुक हैं कि कानून को प्रपीड़न का माध्यम और भ्रष्टाचार का स्रोत नहीं बनने देना चाहिये ।"

प्रवर समिति के एक अन्य सदस्य श्री उ० म० त्रिवेदी ने कहा था :

"जब 'प्रोबेशन आफ आफण्डर्स एक्ट' के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 562 के अन्तर्गत प्रथम बार अपराध करने वालों को संरक्षण दिया जाता है तो वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अपराध करने पर अनिवार्य सजा के उपबन्ध से दाण्डिक विधि की मूल भावना का ही हनन होता है ।" जब औषधियों के मिलावट पर न्यायालय को सजा या जुर्माना देने का विकल्प दिया गया है तो खाद्य मिलावट में इस व्यवस्था से भी अधिक विषम उपबन्ध की क्या आवश्यकता है । खाद्य अपमिश्रण से कोई व्यक्ति मरता नहीं है जब कि औषधि में अपमिश्रण का घातक परिणाम निकल सकता है । अमेरिका के खाद्य, औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1938, जो 1962 तक संशोधित रूप में है, एक अत्यन्त मानवीय और अर्थपूर्ण उपबन्ध है । उसमें कहा गया है कि उपर्युक्त लिखित नोटिस अथवा चेतावनी से काम निकल जाये तो अभियोग चलाने की आवश्यकता नहीं हैं । अमरीकी कानून में तो सामान्य अपराध के लिये अभियोग चलाने

की अनुमति भी नहीं दी गई है। कानून को इतना कठोर और भीषण नहीं होना चाहिये। एक ईमानदार दूकानदार मामूली बात से भी भयभीत हो सकता है। पेकिंग में साधारण भूल होने पर भी किसी दूकानदार को जेल भेजने की धमकी दी जा सकती है। एक सामान्य भद्र नागरिक को टेकनीकल अपराधों के लिये पीड़ित नहीं करना चाहिये। हत्या के अपराधों में प्रायः ऐसा देखा गया है कि जूरी अपराधी को आजन्म कारावास देने की प्रबल भावना रखते हुए भी जब उन्हें मृत्यु दण्ड देने के लिये मजबूर किया जाता है तो वे कह देते हैं "अपराध सिद्ध नहीं हुआ ; अपराधी को मुक्त कर दिया जाये।" इस तरह तो हमारा प्रयोजन ही व्यर्थ हो जायेगा।

अतः माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह "और" शब्द के स्थान पर "अथवा" शब्द रखें।

Shri Yashpal Singh : The provision of imprisonment of six years is totally futile. A person accumulates lakh of rupees by unfair means. Six years' imprisonment is not going to cause any hardship to him. His hands should be cut off. There is similar provision in Arab countries. The sentence of imprisonment for six months has no meaning when a person has already a accumulated fabulous wealth by resorting to adulteration.

श्रीमती रेणुका राय : जब भी विषाक्त पदार्थों की बात हो तो कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये। जो व्यक्ति इस प्रकार की दुस्प्रवृत्तियों का आश्रय लेते हैं वे तो सरासर हत्यारे हैं। एक व्यक्ति की हत्या और खाद्यान्न में मिलावट की अनेक व्यक्तियों की हत्या करने वाले व्यक्ति के लिये समान कानून नहीं होना चाहिये। श्री मसानी यदि सामान्य अपराधों से लोगों को बचाने के लिये इतने आतुर हैं तो उन्हें इस बात की भी चिन्ता करना चाहिये कि इस प्रकार के जघन्य अपराधों में लगे लोगों की सम्पत्ति जब्त कर ली जाये, उन्हें मृत्यु दण्ड दिया जाये अथवा उनके लिये आजीवन कारावास का उपबन्ध हो। मझे विश्वास है कि न्यायाधीश उन अपराधों में कठोर सजा देने में तनिक भी नहीं हिचकेंगे जब वे यह देखते हैं कि राष्ट्र की भावी सन्तान का स्वास्थ्य खतरे में है तथा विषाक्त पदार्थ खाद्य पदार्थों में मिलाये जाते हैं। करोड़ों रुपये कमाने के पश्चात् कुछ महीने की सजा से लोग नहीं घबराते हैं। अतः सम्पत्ति जब्त करने का उपबन्ध वांछनीय है।

Shri Bade : My amendment runs as follows :

"Imprisonment for a term of less than six months and of", substitute "imprisonment for six months."

It is not desirable to put a check on the discretion of magistrates in respect of technical offences. In foreign countries, we see a humanising tone in such matters. They are talking of bringing an end to death penalty and that prison houses should be turned into mental hospitals. But we are living in different circumstances in our country. And, therefore, it is not proper to put a check on the discretion exercised by judiciary in such cases.

Shri D. D. Mantri : By the present enactment you are tying the hands of judiciary. It seems to have been left not right of interpretation with the courts. Every commodity or article has a different standard in varying places. The courts are bound to view a case in light of standardization attached thereto. The rule of law warrants that right of discretion vested with the courts should not be disturbed. With this object, I hereby move my Amendment No. 27.

Shri Hem Raj : The standard of milk differs from region to region—Himachal Pradesh, Kangra and Punjab. So is the case with tea. The tea produced in my part of the County does not compare with that grown in Assam. As a result of all this, people will be apprehended for technical offces. It is feared that persons of integrity will also be caught in the trap. It is always fraught with evil consequences if you send good persons to jails. When, inside jails, they fall in league with habitual criminals, they too get influenced by them.

Shri Tulshidas Jadhav : (Nanded) : It is imperative that we should have a definite view about R. M. value it varies. The hon'ble Minister had, during the Select Committee deliberations, observed that ' I am prepared to call a meeting of the technical people so that this may be properly discussed., But so far this meeting of the technical people has not been convened. There is no doubt about the fact that offenders should be meted out a sever treatment but we can not overlook another and more important fact. This is regarding variation R.M value.

Shri Yashpal Singh : Those who indulge in nefarious deeds of adulteration should be disqualified in all walks of life. Such offenders should be treated as unworthy for contesting any post or office of repute. A murderer takes away the life of a single person but those who resort to food adulteration take away the lives of many persons. Therefore there is need for taking a stringent view in such matters. The evil deeds performed by such persons should be publicized and they should be branded unfit for seeking election to any or all posts.

डा० मा०श्री अणे : मैं श्रीमती रेणुका राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं । विश्व में आज मृत्यु दण्ड समाप्त करने की विचारधारा बल पकड़ती जा रही है जब कि वह उन अपराधों की सूची बढ़ा रही है जिनके लिये मृत्यु दण्ड दिया जाता है । मैं श्री मसानी के संशोधन का समर्थन करता हूं । सामान्य अपराधों के लिये मजिस्ट्रेट को यह छूट होना चाहिये कि वह केवल जुर्माने द्वारा ही अपराधी को छोड़ दे ।

डा० सुशीला नायर : श्री हेम राज ने विभिन्न प्रमापों की जो चर्चा की उसके बारे में मेरा निवेदन है कि एक राज्य में भी अलग अलग प्रमाप हो सकते हैं । प्रमाप के इस प्रश्न पर खाद्य प्रमाप समिति में विचार किया जायेगा । उनके निर्णय को अधिसूचित कर लागू किया जायेगा । खा प्रमाप समिति संविहित निकाय है । वह मौजूदा अधिनियम के अन्तर्गत ही स्थापित की गई है । यदि आवश्यक हुआ तो वह प्रमापों में परिवर्तन करेगी । गुजरात और मद्रास में कुछ परिवतन किये गये हैं । खाद्य प्रमाप समिति इस सभा की ओर से सजग प्रहरी का काम करती है । उपभोक्ताओं के हित में विभिन्न खाद्यान्नों का प्रमाप निर्धारित करना आवश्यक है । विश्लेषण और अध्ययन के विभिन्न तरीकों के माध्यम से यह समिति पूरी योग्यता से काम कर रही है । सभा मेरे इस विचार से सहमत होगी कि प्रमापों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण और अपराधियों को दण्डित करना होना चाहिये ।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि अपराधियों के कुकृत्यों का भरपूर प्रचार और प्रकाशन किया जाये । मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) में इसी आशय की बात कही गई है । यदि कोई व्यक्ति एक ही अपराध दुबारा अथवा उसके बाद करे तो न्यायालय को अधिकार है कि वह अपराधी के खर्च पर ही किसी भी समाचार पत्र में, जैसा न्यायालय उचित समझे, अपराधी का नाम, उसके रहने का स्थान, अपराध आदि का प्रकाशन करे । इस सिलसिले में किये गये खर्च

को अपराधी से जुर्माने की रकम के रूप में वसूल किया जाये। जहां तक श्री मसानी और श्री हेम राज द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का सम्बन्ध है, संयुक्त समिति का यह मत है कि परन्तुक में सम्मिलित अपराधों के लिये भी सजा की व्यवस्था होना चाहिये भले ही वह नाम मात्र की ही क्यों न हो। यदि सभा की ऐसी इच्छा है तो मैं प्रस्तावित संशोधन स्वीकार करने के लिये सहमत हूं।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि खंड (के) और (एल) में भी अपराध गुरूता स्वरूप के हो सकते हैं। इसलिये आवश्यक होने पर सजा का उपबन्ध आवश्यक है। किन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि इस पर विचार करने का अधिकार न्यायालय में ही निहित हो।

संशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ 5, पंक्ति 4 तथा 5 के स्थान पर निम्न रखा जाय :—

"a term of less than six months or of five of less than one thousand Rupees or of both imprisonment for a term of less than six months and five of less than one thousand Rupees"

["छः महीने से कम कारावास अथवा एक हजार रुपये से कम जुर्माना या दोनों—छः महीने से कम कारावास और एक हजार रुपये से कम जुर्माना।"] (28)

[डा० सुशीला नायर)

डा० सुशीला नायर : श्रीमती रेणुका राय के संशोधन के बारे में मेरा यह निवेदन है कि सम्पत्ति जब्त करने का विचार तो अच्छा है किन्तु कानूनी विशेषज्ञों का मत है कि अन्य एक और खण्ड में संशोधन किये बगैर इस प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि वर्तमान व्यवस्था से स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हम भविष्य में किन्ही अन्य उपायों पर विचार करेंगे।

संशोधन संख्या 17 और 18, सभा की अनुमति से, वापिस लिये गये।

Amendment Nos. 17 and 18 were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : सरकारी संशोधन को ध्यान में रखते हुए संशोधन संख्या 3 नहीं रखा जा सकता। संशोधन संख्या 10 अवरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7, 11, 12, 22, 23, 24, 26 और 27 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 7, 11, 12, 22, 23, 24, 26 and 27 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 10—(धारा 19 का संशोधन)

श्री हेम राज : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

यह एक सामान्य संशोधन है । आज स्थिति यह है कि जब कोई व्यक्ति हलदी या नमक बेचता है तो इंसपैक्टर आकर खुले हुए पैकेट में से नमूना लेता है जब दुकानदार यह आग्रह करता है कि उसी माल का एक बन्द पकेट भी इंसपैक्टर ले ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि दोनों में एक ही सामान है किन्तु इंसपैक्टर इस बात से इन्कार कर देता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि फुटकर विक्रेताओं के हितों की रक्षा की जाये ।

डा० सुशीला नायर : इस संशोधनकारी विधेयक में हमने यह व्यवस्था की है कि यदि अपराधी यह सिद्ध कर सके कि माल में गड़बड़ी नहीं है और यह उसी रूप में है जिसमें यह खरीदा गया था तो उस स्थिति में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है और उसका चालान नहीं किया जायेगा । यह कानून को लागू करने का प्रश्न है और उस पर विचार किया जा सकता है । इसके लिये कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 4 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11—(धारा 20 का संशोधन)

डा० सुशीला नायर : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 6.—

खण्ड 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

11. '**Amendment of Section 20**—In section 20 of the Principal Act, in sub-section (1) for the words "the State Government or a local authority or a person authorised in this behalf by the State Government or local authority'," the words " the Central Government or the State Government or a local authority or a person authorised in this behalf, by general or special order, by the Central Government or the State Government or a local authority" shall be substituted'.

["11. '**धारा 20 का संशोधन**—मूल अधिनियम की धारा 20 में, उप-धारा (1) में "राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार की ओर से इस कार्य के लिये अधिकृत व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस कार्य के लिये अधिकृत कोई व्यक्ति" शब्द रखे जायें' "] (1)

प्रत्येक अभियोग के लिये किसी व्यक्ति को अधिकृत करना व्यवहार्य नहीं है। अतः कानूनं विशेषज्ञों की राय से मौजूदा संशोधन आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 6,—

खण्ड 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :—

11 '*Amendment of section 20.*—In section 20 of the Principal Act, in sub-section (1) for the words "the State Government or a local authority or a person authorised in this behalf by the State Government or a local authority,"the words "the Central Government or the State Government or a local authority or a person authorised in this behalf, by general or special order, by the Central Government or the State Government or a local authority" shall be substituted.'

["11. '**धारा 20 का संशोधन**—मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (1) में "राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार की ओर से इस कार्य के लिये अधिकृत व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस कार्य के लिये अधिकृत कोई व्यक्ति" शब्द रखे जायें' "] (1)

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

The amendment was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11, as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 से 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड १२ से १४ विधेयक में जोड़ दियें गयें ।

Clause 12 to 14 were added to the Bill.

खण्ड 1

श्री वड़े : मैं संशो न संख्या 19 प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड 12 से 14 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 12 to 14 were added to the Bill.

खन्ड 1

श्री बड़े : मैं संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करता हूं।

There is no preservative for khoya. In a case in Delhi it has been observed that under rule 20 of the Prevention of Food Adulteration Rules 1955, no preservation has been prescribed for *khoya*". The result of analysis comes after four months and by that time the sample gets rotten. This results in acquittal of the offender. I can cite another example. The moisture content of Delhi butter is always more than of creamery butter. It has been stated just now that research is being conducted.This means that even basis has not been prepared which should have been done prior to conviction. As such no standards have been fixed for ghee, hing,jira and tea. I urge for the postponement of the application of the law. The law should not be enforced till standards are fixed.

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : सामान्य सिद्धान्त यह है कि पहले कानून पास किया जाता है और फिर नियम बनाये जाते हैं । वर्तमान स्थिति में उलटी बातें अपनायी जा रही हैं। यहां पर अधिनियम भी है और नियम भी तैयार हैं। संशोधित रूप में अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अवधि का कारावास सजा का आवश्यक अंग है । जबकि अधिनियम और संशोधनकारी विधेयक में वे बातें नहीं अभिव्यक्त की है जिनसे अपराध की सृष्टि होती है। किसी भी दण्ड विधान का यह आवश्यक अंग होता है कि अपराध के निर्माणकारी तत्वों का अधिनियम में ही वर्णन होना चाहिये । संभवत: सरकार को यह बात सुबिधाजनक नहीं रही कि सब बातों का विशद प्रमाप यहां दिया जाय। किन्तु एक ऐसा अपराध जिसके लिये कारावास की सजा हो सकती है और यह न बताया गया हो कि वह अपराध किन बातों से उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में सबसे पहले नियम बनाये जाना चाहिये। यह विधेयक भले ही स्तुत्य हो किन्तु जिस पद्धति से हम उसे पारित कर रहे हैं वह कानून की अच्छी परिपाटी नहीं है।

अपमिश्रण के अतिरिक्त एक और समस्या है--निम्न स्तर की वस्तुएं। हजारों प्रकार के नमूने प्राप्त करने के बाद प्रमाण निर्धारित किये जाते हैं लेकिन इस बात की मांग करने पर कि किन आंकड़ों के आधार पर प्रमाप तैयार किये जाते हैं, विभिन्न संगठनों को कोई उत्तर नहीं दिया गया। अन्य कई विषय हैं। दूध से उत्पन्न खाद्य पदार्थ, गरम मसाले, अन्य खाद्य वस्तुएं आदि। इन सबके बारे में अलग अलग ढंग से विचार करना है ।

अंत में मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद भी उसे तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिये जब तक नियमों का पुनरीक्षण और प्रमाप तैयार नहीं हो जाते।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैं उस निर्वाचन क्षेत्र से सम्बद्ध हूं जहां काफी दूध और दूध की वस्तुएं बनती हैं। इस सिलसिले में मेरा निवेदन यह है कि जब तक प्रमाप निर्धारित नहीं किये जायेंगे हम अपराधियों को किस प्रकार दण्ड दे सकते हैं। पंजाब उच्च न्यायालय में 'क्रिमिनल रिवीजन' संख्या 280 (सन 1962) के निर्णय में कहा गया कि कई महीने बाद नमूना कलकत्ता भेजने के पश्चात भी दो विश्लेषणकर्ताओं की सम्मत्ति में इतना अन्तर नहीं हो सकता जब तक कि विश्लेषण कर्ताओं ने अपना काम सावधानीपूर्वक न किया हो। इस

मामले में दण्ड रद्द कर दिया गया और अपराधी रिहा कर दिया गया। पूना नगर निगम के एक मामले में भी पूना के विश्लेषण कर्ता और कलकत्ता की प्रयोगशाला में पृथक परिणाम बताये गये। अतः हमें इस विषय में अत्यन्त सावधानी से काम करना चाहिये। यदि हम वर्तमान रीति से काम करते रहे तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपमिश्रण का आरोप लगाया जायेगा जिसने अपमिश्रण नहीं किया है।

डा० सुशीला नायर : मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ माननीय सदस्यों ने उपभोक्ताओं का नहीं अपितु व्यापारी वर्ग का दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया है। मैंने पहले यह नहीं कहा था कि प्रमाप नहीं हैं। सन् 1961 में सर्वेक्षण किया गया था। अब उसका पुनरीक्षण करना चाहिये। प्रमाप का स्तर ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित प्रमाप गजट में प्रकाशित किये जाते हैं। लोग आपत्तियां भेज सकते हैं। इन आपत्तियों पर फिर विशेषज्ञ विचार करते हैं। इसके पश्चात् अंतिम प्रमाप गजट में प्रकाशित किये जाते हैं। संविहित रूप से निर्धारित समिति विश्वस्त संस्था है। उसके काम पर किसी बाहरी संस्था को सम्मत्ति देने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार नहीं करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 19 मतदान के लिये रखा गया।

लोक सभा में मतदान हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 9, विपक्ष में 50

Ayes 9 **Noes 50**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

डा० सुशीला नायर : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

कुछ माननीय सदस्य : क्या दोनों एक साथ प्रस्तुत करेंगे ?

श्री पू० शे० नास्कर : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : जब हम सद्‌भावनापूर्वक किसी बात की आलोचना करते हैं और सुझाव प्रस्तुत करते हैं तो यह कहा जाता है कि हम व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अनुचित है।

डा० सुशीला नायर : मैंने यह आरोप नहीं लगाया है। मैंने तो केवल इतना कहा था कि व्यापारी वर्ग का दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयकों को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (SECOND AMENDMENT) BILL

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यदि कभी यह प्रश्न उत्पन्न हो कि संसद् अथवा राज्य विधान सभा, जिनमें संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा भी सम्मिलित है, का कोई सदस्य अनुच्छेद 103 अथवा अनुच्छेद 191 या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(1) के अधीन अनर्हताग्रस्त हो गया है, तो राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल, जैसी स्थिति हो, का निर्णय करना होगा। किन्तु उसे निर्णय करने के पहले उसके लिये चुनाव आयोग से सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है जिसके आधार पर वह निर्णय करेगा। वर्तमान कानून के अन्तर्गत चुनाव आयोग के लिये यह निर्णय करना कठिन है कि किसी सदस्य के विरुद्ध लगाये गये आरोप कहां तक सही हैं क्योंकि उसे दस्तावेज प्राप्त करने अथवा साक्ष्य सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। उड़ीसा के मुख्य मंत्री से संबंधित मामले में चुनाव आयोग ने तो यह सम्मति व्यक्त की थी कि अनर्हता सम्बन्धी प्रश्न बहुधा तथ्य और विधि मिश्रित होते हैं। चुनाव आयोग को ऐसी शक्तियां प्रदान करना वांछनीय होगा जो जांच आयोग अधिनियम, 1952, के अधीन आयोगों को दिये जाते हैं।

यह औपचारिक संशोधनकारी विधेयक है। मैं इसे सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : चुनाव आयोग ने सन् 1957 के दूसरे आम चुनाव के पश्चात् भी इसी आशय की सिफारिश की थी किन्तु सरकार ने उस समय उनकी सर्वथा उपेक्षा कर दी। अब चुनाव आयोग के दोहराने पर वे मौजूदा कार्यवाही कर रहे हैं। यदि समय पर ही इन सिफारिशों को लागू किया जाता तो उड़ीसा के मुख्य मंत्री उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से नहीं बच पाते। इस विधेयक में चुनाव आयोग को सिविल कोर्ट के समकक्ष समझे जाने का उद्देश्य है, उसके समक्ष हुई कार्यवाही न्यायिक समझी जायेगी; आयोग के समक्ष दिये गये साक्ष्य को साक्षी के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जायेगा यद्यपि मिथ्या साक्ष्य के लिये उस पर अभियोग चलाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर कल चर्चा करेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

(2) मरमागोआ पत्तन के कर्मचारियों की हड़ताल के समाचार

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान मरमागोआ पत्तन के कर्मचारियों की कथित हड़ताल के अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस विषय पर एक वक्तव्य दें।

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मरमागोआ (गोआ) में मैसर्स शान्तिलाल खुशालदास एण्ड ब्रादर्स के विंचमैन—एक स्टीवडरिंग फर्म ने 11 नवम्बर, 1964 को हड़ताल कर दी थी।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजायी जाये।

श्री रंगा (चित्तूर) : मंत्री महोदय अपना वक्तव्य पढ़ दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम के चैलेंज होने पर घंटी बजायी गई किन्तु उस पर भी जब कोरम पूर्ति नहीं हो सकी तो मेरे पास सभा स्थगित करने के अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं है।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 27 नवम्बर, 1964/6 अग्रहायण, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 27, 1964/Agrahayana 6, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III—2040 (Ai) LSD—23-4-65—600.